SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 5

(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

2026 का प्रतिवेदन संख्या 5

(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

विषय सूची

	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii-x
अध्याय I		
पृष्ठभूमि और लेखापरीक्षा ढांचा		
परिचय और ऐतिहासिक संदर्भ	1.1	1
जल जीवन मिशन का विहंगावलोकन	1.1.1	2
जल जीवन मिशन (जेजेएम) की संगठनात्मक संरचना	1.1.2	3
जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति	1.1.3	4
जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता एवं व्यय की स्थिति	1.1.4	7
लेखापरीक्षण संरचना	1.2	8
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2.1	8
लेखापरीक्षा मानदंड	1.2.2	8
लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली	1.2.3	8
निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हितधारक सहभागिता प्रक्रिया	1.2.4	10
अभिस्वीकृति	1.2.5	10
अध्याय II		
योजना		
परिचय	2.1	11
योजना संबंधी कमियाँ	2.2	11
कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ (आईएसए) एवं मूलभूत सर्वेक्षण	2.2.1	11
ग्राम कार्य योजनाएँ	2.2.2	13
जिला कार्य योजनाएँ तथा राज्य कार्य योजनाएँ	2.2.3	14
वार्षिक कार्य योजनाएँ	2.2.4	15
वार्षिक कार्य योजनाओं में कमजोर नियोजन	2.2.4.1	16
वार्षिक कार्य योजनाओं का अपर्याप्त निष्पादन	2.2.4.2	17
भारत सरकार द्वारा सीमित पर्यवेक्षण तथा असमाधित कमियाँ	2.2.4.3	17
अन्य महत्वपूर्ण योजना संबंधी मुद्दे	2.3	18
अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरूप एसवीएस एवं एमवीएस परियोजनाओं का मनमाना चयन	2.3.1	18
ग्रामीण समुदाय की अपर्याप्त सहभागिता	2.3.2	19
एफएचटीसी प्रदान करने के लिए गांवों को प्राथमिकता न देना	2.3.3	20
एससी/ एसटी बहुल क्षेत्र और सूखाग्रस्त क्षेत्र	2.3.3.1	20
आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित गांव	2.3.3.2	20
समन्वय	2.3.4	20
निष्कर्ष	2.4	21
अध्याय संबंधी अनुशंसाएँ	2.5	21

अध्याय III

कार्यान्वयन

योजनाओं की प्रगति	3.1	23
एसडब्ल्यूएसएम द्वारा वित्तीय प्रगति धीमी होने के कारण निधियों का जारी न होना	3.2	23
भौतिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न करना	3.3	24
क्षतिपूरक शास्ति (एलडी) की वसूली न होना	3.4	25
अनुमानों में कमियाँ	3.5	25
अवास्तविक लागत अनुमानों के कारण लागत वृद्धि पर राज्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ	3.5.1	25
न्यूनतम सड़क क्रॉसिंग (मिनिमम रोड क्रॉसिंग) सुनिश्चित किए बिना एफएचटीसी प्रदान करने के कारण अतिरिक्त लागत	3.5.2	26
बढ़े हुए अनुमान पर निविदा का निमंत्रण	3.5.3	27
पाइपलाइन बिछाने में अनावश्यक रूप से मुरुम बेडिंग का प्रावधान	3.5.4	28
अनुमान में सीसी सड़क रेस्टोरेशन (पुनर्स्थापन) की अधिक मात्रा शामिल की गई	3.5.5	28
सीसी सड़क पुनर्स्थापन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्देशों का प्रावधान	3.5.6	29
निविदा प्रक्रिया में कमियाँ	3.6	30
जीएसटी सहित पीएसी पर निविदा आमंत्रित करना	3.6.1	30
निविदा के वित्तीय प्रस्तावों को अनाधिकृत रूप से खोलना	3.6.2	31
अनुबंध प्रबंधन में कमियाँ	3.7	32
प्रणालीगत दोष के परिणामस्वरूप औसत एफएचटीसी लागत में एकरूपता की कमी	3.7.1	32
अवांछित रूप से एफएचटीसी का क्रियान्वयन	3.7.2	32
अतिरिक्त मदों एवं मात्राओं का अनधिकृत क्रियान्वयन तथा भुगतान	3.7.3	33
ठेकेदारों को अधिक भुगतान	3.7.4	34
पाइपलाइन के सहायक कार्यों में परिवर्तन के कारण ठेकेदार को अस्वीकार्य भुगतान	3.7.5	35
सिपेट द्वारा परीक्षण किए बिना एचडीपीई पाइपों के निष्पादन के लिए अनियमित भुगतान	3.7.6	36
रॉयल्टी की कटौती कम/न करना	3.7.7	37
हार्ड रॉक के कारण शासन को राजस्व हानि	3.7.8	37
निधि प्रबंधन में कमियाँ	3.8	38
एसडब्ल्यूएसएम द्वारा एकल नोडल खाते का संचालन	3.8.1	38
समुदायों द्वारा अनुपातिक पूंजी लागत का वहन न करना	3.8.2	39
अस्वीकार्य व्यय	3.8.3	40
घटक-वार व्यय में भिन्नता	3.8.4	41
निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर अनावश्यक व्यय	3.9	42
100-दिवसीय अभियान के माध्यम से सार्वजनिक संस्थाओं को जल आपूर्ति	3.10	42
कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) की सहायक गतिविधियों में कमियाँ	3.11	44
सभी योजनाओं के लिए आईएसए की नियुक्ति में विलंब / नियुक्ति न किया जाना	3.11.1	45
ऐसी गतिविधियों के लिए आईएसए को भुगतान जो निष्पादित नहीं की गईं	3.11.2	45
आईएसए द्वारा वीएपी तैयार करने पर व्यर्थ व्यय	3.11.3	46
तृतीय पक्ष निरीक्षण	3.12	46
निष्कर्ष	3.13	47

अध्याय संबंधी अनुशंसाएँ	3.14	48

अध्याय IV

निगरानी और परिणाम

निगरानी	4.1	49
डैशबोर्ड में गलत रिपोर्टिंग	4.1.1	49
जल आपूर्ति के बिना एफएचटीसी की गलत रिपोर्टिंग	4.1.1.1	49
एफएचटीसी के नियोजित और वास्तविक निष्पादन के बीच व्यापक भिन्नता	4.1.1.2	49
तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचारों को अपनाना	4.1.2	50
जल गुणवत्ता निगरानी	4.2	50
अपर्याप्त जल गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना	4.2.1	51
सभी आवश्यक मापदंडों का मान्यता प्राप्त न होना	4.2.2	52
अपर्याप्त संख्या में मापदण्डों का परीक्षण	4.2.3	52
प्रयोगशाला का गैप असेसमेंट और सुधार योजना	4.2.4	54
जल गुणवत्ता परीक्षण की आवृत्ति में कमियाँ	4.2.5	55
सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति का कोई आश्वासन नहीं	4.2.6	56
स्थानीय समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी	4.2.7	56
स्रोत और योजना स्थिरता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता	4.3	58
लाभार्थियों से संचालन एवं रख-रखाव (ओ एंड एम) लागत की वसूली नहीं की गई	4.3.1	58
घरेलू कनेक्शनों में मीटर न लगाना	4.3.2	59
बेयरफुट मैकेनिक्स का कौशल विकास	4.3.3	59
सामुदायिक विमुखता: योजना की स्थिरता को कमजोर करना	4.3.4	59
जल स्रोतों की स्थिरता	4.3.5	60
भूजल की उपलब्धता	4.3.6	60
जल स्रोतों की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप	4.3.7	61
स्थायी स्रोत सुनिश्चित किए बिना जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन करना तथा विनिर्देशों के विपरीत डेड स्टोरेज से जल की आपूर्ति करना	4.3.8	61
योजना के परिणामों का निर्धारण करने के लिए लाभार्थी सर्वेक्षण	4.4	62
निष्कर्ष	4.5	63
अध्याय संबंधी अनुशंसाएँ	4.6	63

अध्याय V

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

निष्कर्ष	5.1	65
अनुशंसाएँ	5.2	66

परिशिष्ट

परिशिष्ट	69

संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली	109

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्य विधानसभा सभा में रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 'मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं, जो 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि को आच्छादित करते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं, जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

कार्यकारी सारांश

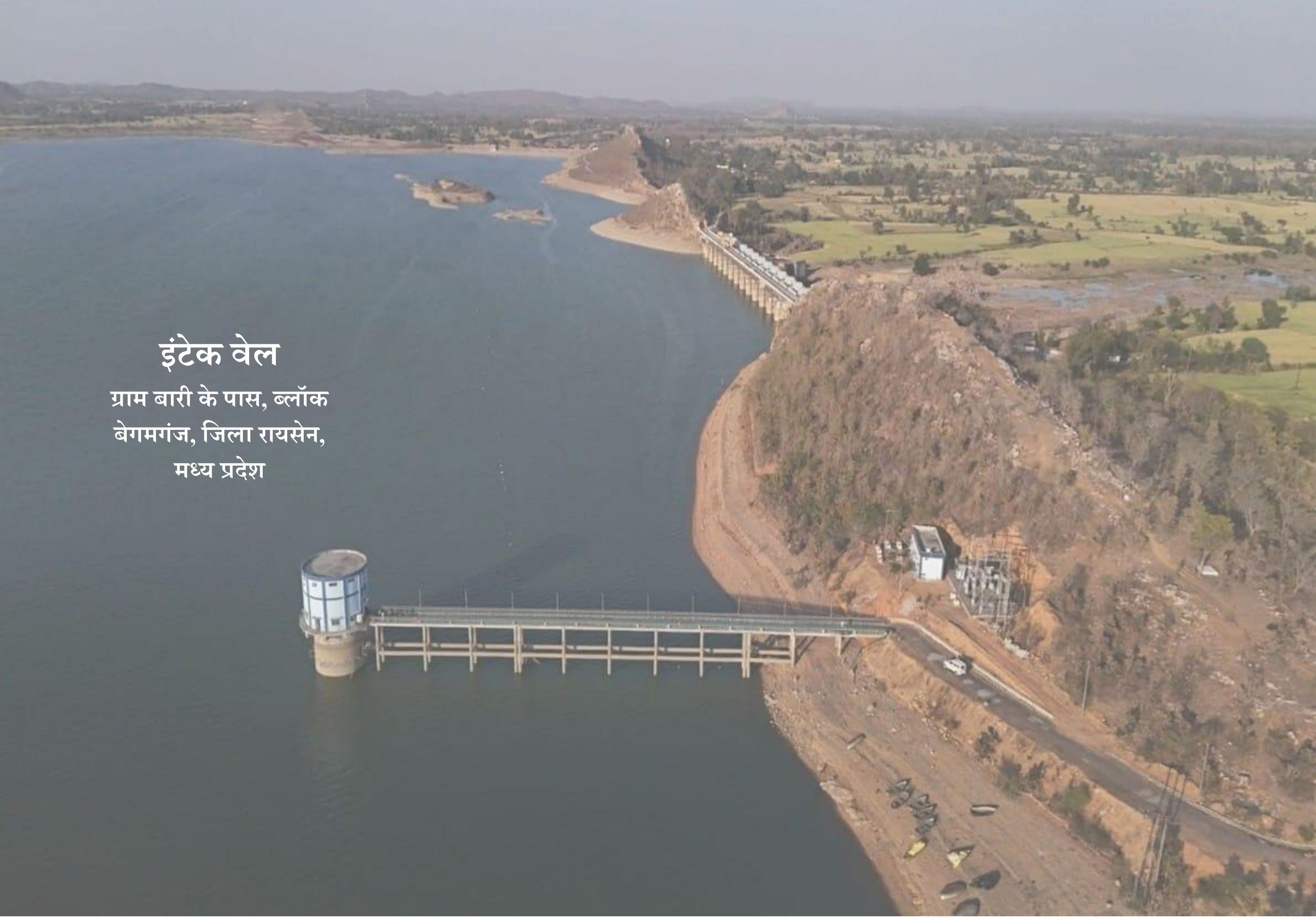

इंटेक वेल

ग्राम बारी के पास, ब्लॉक बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश

जल प्रशोधन संयंत्र

नीलखंड, एमवीएस, रायसेन, मध्य प्रदेश

कार्यकारी सारांश

यह लेखापरीक्षा क्यों

जल जीवन मिशन (जेजेएम) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 15 अगस्त 2019 को "हर घर जल" के दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने वाली कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है।

मार्च 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100 प्रतिशत नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के विरुद्ध, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दिसंबर 2024 तक कुल 1.11 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 60.90 लाख परिवारों को ही कवर कर सका, जबकि 13.53 लाख परिवारों के पास पहले से ही नल कनेक्शन उपलब्ध थे।

मध्य प्रदेश लगभग 80 प्रतिशत एफएचटीसी कवरेज की राष्ट्रीय जेजेएम प्रगति की तुलना में केवल 69 प्रतिशत के राज्य कवरेज के साथ जेजेएम प्रगति में पिछड़ गया।

जेजेएम की लेखापरीक्षा का उद्देश्य जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा जेजेएम के स्थापित दिशा-निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन की पुष्टि करना था।

योजना स्नैपशॉट

हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2024 तक 1.12 करोड़ कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जलापूर्ति प्रदान की जानी थी,
(आकलन पाँच सदस्यीय परिवार के आधार पर किया गया था)

जल की गुणवत्ता और स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित करना

सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व की भावना के माध्यम से योजना की स्थिरता

हमने क्या पाया

इस प्रतिवेदन में लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए चयनित आठ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के संभागों तथा मध्य प्रदेश जल निगम की परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों (पीआईयू) में जेजेएम के क्रियान्वयन के संबंध में अभिलेखों के नमूना परीक्षण की जांच से उत्पन्न हुए, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सत्यापित/समर्थित करने हेतु 32 गाँवों का लाभार्थी सर्वेक्षण भी शामिल है।

योजना संबंधी मुद्दे

योजना बनाने में प्रणालीगत समस्याएं थीं, मिशन की विकेंद्रीकृत, मांग-संचालित और बॉटम-अप प्लानिंग प्रक्रिया को कमजोर कर रही थीं, जिससे 'हर घर जल' की इच्छित समय सीमा (मार्च 2024) में देरी हुई। इनमें कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) की अपूर्ण नियुक्तियों के कारण कई गांवों में अनुपस्थित या विलंबित बेसलाइन सर्वेक्षण शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप एकल ग्राम योजनाओं में गलत आकलन और लागत में वृद्धि होती है।

सामुदायिक जुड़ाव सतही था और ग्रामीण समुदाय को संवेदनशील बनाने में मदद नहीं करता था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग शून्य वित्तीय भागीदारी (सामुदायिक योगदान) और एजेंसी और स्वामित्व की भावना कम हो गई। ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (व्हीडब्ल्यूएससी) काफी हद तक गैर-कार्यात्मक थीं, और ग्राम कार्य योजनाओं में स्रोत की स्थिरता और गुणवत्ता की पहचान नहीं की गई थी। जिला कार्य योजनाएं और राज्य कार्य योजनाएं वीएपी से उद्धृत नहीं थीं। जिसके परिणामस्वरूप डेटा विसंगतियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल, सूखा-प्रवण और आर्सेनिक/फ्लोराइड

प्रभावित क्षेत्रों जैसी उपेक्षित प्राथमिकताओं के साथ अवास्तविक वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) बन गईं। परिणाम जमीनी वास्तविकताओं से अलग एक टॉप-डाउन प्लानिंग प्रक्रिया थी।

दिसंबर 2020 तक सभी आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में एफएचटीसी के माध्यम से पीने योग्य पाइप से पानी उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष समिति और एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया क्योंकि दिसंबर 2021 तक डिंडोरी जिले के 33 फ्लोराइड प्रभावित गांवों में से केवल 18 गांवों में इलेक्ट्रोलाइटिक डिफ्लोरिनेशन यूनिट स्थापित की गई थी, जबकि शेष 15 गांवों में फ्लोराइड का स्तर उच्च होने के बावजूद डी-फ्लोराइडेशन के बिना पाइप से पानी की आपूर्ति जारी रही।

हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन के बिना योजनाओं को मनमाने ढंग से अपनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में एकल ग्राम योजनाओं से बहु-ग्राम योजनाओं में परिवर्तित किया गया, जिससे फिजूलखर्ची हुई। जल पुनर्भरण और ग्रे-वॉटर प्रबंधन के लिए अभिसरण की उपेक्षा की गई, जिससे दीर्घकालिक जोखिम बढ़ गया।

कार्यक्रम कार्यान्वयन

हमने अवसंरचना सृजन, अनुबंध प्रबंधन तथा निधि उपयोग में प्रणालीगत कमियों की पहचान की। सितंबर 2024 तक क्रियान्वयन धीमा रहा, जिसमें केवल 27 प्रतिशत बहु-ग्राम योजनाएँ तथा 58 प्रतिशत एकल-ग्राम योजनाएँ ही पूर्ण हुई थीं। कार्यों के प्रदान करने में विलंब, अवास्तविक आकलन तथा प्रतिवर्ष निधियों के उपयोग न होने के कारण केंद्रीय अनुदानों जारी नहीं किया गया तथा राज्य अंश के आवंटन में कमी रही।

आकलन त्रुटिपूर्ण थे, जिससे एसवीएस में लागत वृद्धि, परिहार्य व्यय, बढ़े हुए निविदा मूल्य, अवांछित / अनुमान तथा अधिक समृद्ध विनिर्देश शामिल थे। एसवीएस में भौतिक/ अंतिम पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी न किए जाने से समय से पूर्व हस्तांतरण का संकेत मिला, जिसकी पुष्टि संयुक्त भौतिक निरीक्षणों द्वारा हुई, जिनमें निरीक्षित 28 स्थलों में से सात गैर-कार्यशील पाए गए। ठेकेदारों से परिसमाप्त क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की गई।

जेजेएम निधियों को पीएफएमएस के बाहर रखा गया तथा खातों में निष्क्रिय शेष राशि बनाए रखी गई। सामुदायिक अंशदान नगण्य रहा, जिससे केंद्र तथा राज्य दोनों पर अतिरिक्त लागत का भार पड़ा। जेजेएम निधियों का उपयोग अपात्र गतिविधियों पर किया गया, जो प्रबंधन पर्यवेक्षण के अभाव को दर्शाता है। कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियाँ दोनों की नियुक्ति विलंब से की गई और उन्होंने अपने अपेक्षित प्रदेयों के अनुसार कार्य नहीं किया, जिससे व्यय निष्फल रहा, जबकि जल गुणवत्ता निगरानी, सामुदायिक सहभागिता, अप्रासंगिक वीएपी तथा अप्रमाणित क्रियान्वयन जैसे मिशन के उद्देश्यों से समझौता हुआ।

सार्वजनिक संस्थानों के लिए 100-दिवसीय अभियान आंशिक कवरेज तथा विलंब से प्रभावित रहा, जिससे विद्यालय/आंगनवाड़ियाँ सेवाओं से वंचित रह गईं।

निगरानी एवं परिणाम

ई-जल शक्ति पोर्टल पर नमूना जांच जिलों के उन गाँवों के परिवारों को प्रदान किए गए एफएचटीसी प्रदर्शित किए गए, जहाँ जल आपूर्ति प्रारंभ नहीं हुई थी या योजना पूर्ण नहीं हुई थी। यद्यपि 11,94,063 निजी/ स्वयं स्रोत के नल कनेक्शन जेजेएम नल कनेक्शन के वास्तविक लाभार्थी नहीं थे, फिर भी उन्हें जेजेएम पोर्टल पर जेजेएम के एफएचटीसी में शामिल किया गया।

प्रमुख निगरानी कमियों में एफएचटीसी का डैशबोर्ड पर गलत रिपोर्टिंग, एसवीएस में नियोजित तथा क्रियान्वयित एफएचटीसी के बीच व्यापक अंतर, तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स और हाइड्रो-भू-आकृतिक मानचित्र जैसे प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को न अपनाना शामिल है, जिससे प्रगति का गलत अनुश्रवण तथा अवसंरचना की कमजोर योजना बनी। गैर-कार्यशील एफएचटीसी का पता नहीं चल चल सका।

पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण (डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस) रूपरेखा, जो पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करती है, का पालन नहीं किया गया। डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस के लिए निर्धारित दो प्रतिशत तक की

निधियों में से सरकार ने केवल 0.38 प्रतिशत व्यय किया तथा 1.62 प्रतिशत को निर्माण गतिविधियों के लिए डायवर्ट किया। अपर्याप्त अवसंरचना के कारण जल गुणवत्ता निगरानी गंभीर रूप से प्रभावित हुई। ई. कोलाई तथा कुल कोलीफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण मानकों के लिए जिला तथा उप-मंडल प्रयोगशालाओं में एनएबीएल मान्यता का अभाव था तथा केवल आंशिक परीक्षण ही किया गया।

जेजेएम के अंतर्गत जल गुणवत्ता परीक्षण अपर्याप्त है, क्योंकि राज्य, जिला, उप-मंडल तथा जल शोधन संयंत्र स्थित प्रयोगशालाएँ सभी निर्धारित मानकों का परीक्षण नहीं कर रही हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रासायनिक, भारी धातु तथा कीटनाशक संकेतक भी शामिल हैं। यह सीमित तथा अपूर्ण परीक्षण जन-स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है तथा यह सुनिश्चित नहीं करता कि ग्रामीण समुदायों को आपूर्ति किया जाने वाला जल निर्धारित पेयजल मानकों के अनुरूप है।

पीएचईडी, राज्य प्रयोगशाला और जल निगम की प्रयोगशालाओं में परीक्षण आवृत्ति में कमी थी, क्योंकि जिला प्रयोगशालाओं ने निर्धारित जल गुणवत्ता परीक्षणों का 58 से 99 प्रतिशत, राज्य प्रयोगशाला ने 22-48 प्रतिशत तथा जल निगम के जल शोधन संयंत्र (डब्लूटीपी) की प्रयोगशालाओं ने मात्र 11-19 प्रतिशत परीक्षण ही किए। लौह, आर्सेनिक, ई. कोलाई तथा अन्य मानकों में महत्वपूर्ण परीक्षण विफलताओं के बावजूद, क्रॉस-सत्यापन सीमित रहा (राज्य प्रयोगशाला स्तर पर लगभग एक-चौथाई से एक-आधा तक) तथा सुधारात्मक कार्यवाही अधिकांशतः अनुपस्थित रही। ये कमियाँ गुणवत्ता आश्वासन को कमजोर करते हैं, ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य जोखिमों से अवगत कराते हैं तथा जेजेएम के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के मूल उद्देश्य को कमजोर करते हैं।

कई जिलों में यूरेनियम संदूषण की पहचान करने के बावजूद, यूरेनियम तथा वायरोलॉजिकल पैरामीटरों का परीक्षण नहीं किया गया और नमूनों को अनुमोदित प्रयोगशालाओं को नहीं भेजा गया। आगे, नाइट्रेट, फ्लोराइड तथा कठोरता से प्रभावित अनेक गाँवों में पेयजल सुरक्षा से समझौता करते हुए उपचारात्मक उपचार उपायों को अपनाए बिना जलापूर्ति योजनाएँ क्रियान्वित की गईं।

कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, राजमिस्त्री, प्लंबिंग, फिटिंग, बिजली आदि क्षेत्रों में 50,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 11,271 व्यक्तियों (22 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया, जिस पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत ₹ 1712.62 लाख में से ₹ 402.10 लाख (23 प्रतिशत) व्यय किए गए, जिससे पूर्ण की गई ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन पर प्रभाव पड़ा।

मध्य प्रदेश में जेजेएम के कार्यान्वयन में योजना तथा स्रोत दोनों के विफल होने का उच्च जोखिम है, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई महत्वपूर्ण स्थिरता संबंधी समस्याओं से स्पष्ट है – योजना तथा स्रोत दोनों में। संचालन एवं अनुरक्षण लागत लाभार्थियों से वसूल नहीं की गई, जलापूर्ति बिना मीटर के रही, तथा कौशल विकास और फील्ड टेस्ट किट उपयोगकर्ताओं का पर्याप्त समूह तैयार कर सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित नहीं किया गया। स्रोत संबंधी कमजोरियाँ इस रूप में स्पष्ट हुईं कि स्रोत क्षय के कारण पुनर्भरण उपायों के बिना एसवीएस से एमवीएस की ओर परिवर्तन किया गया, बाँध के मृत भंडारण से अत्यधिक आवंटन किया गया जिससे भविष्य की स्थिरता जोखिम में पड़ती है, तथा जलाशयों की वहन क्षमता से अधिक आवंटन/निकासी की गई। 32 गाँवों में 629 परिवारों के लाभार्थी सर्वेक्षण ने भी इन निष्कर्षों की पुष्टि की, जिसमें गैर-कार्यशील योजनाएँ तथा पुराने स्रोतों पर निर्भरता उजागर हुई, जिससे सामुदायिक स्वामित्व और दीर्घकालिक व्यवहार्यता कमजोर हुई।

ये प्रणालीगत विफलताएँ न केवल ग्रामीण आबादी को जलजनित रोगों तथा रासायनिक विषाक्तता जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से अवगत कराती हैं, बल्कि स्रोत विफलता तथा जन-विश्वास को कम कर सकती हैं, जिससे अंततः मध्य प्रदेश में जेजेएम के सफल कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

उपरोक्त सभी मुद्दे यह संकेत देते हैं कि मध्य प्रदेश में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए योजना, पारदर्शिता तथा सेवा प्रदाय में सुधार हेतु त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

हम अनुशंसा करते हैं

प्रणालीगत कमियों को दूर करने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कार्रवाइयों की अनुशंसा की जाती है:

1. स्रोत की स्थिरता एवं दीर्घकालिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए योजना निर्माण	वीएपी तैयार करने के पश्चात, ग्रे-वॉटर प्रबंधन तथा स्रोत स्थिरता से संबंधित विस्तृत आकलनों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप समाहित किया जाए। डीडबल्यूएसएम द्वारा वीएपी को समेकित कर डीएपी तैयार की जाए तथा तत्पश्चात एसडबल्यूएसएम द्वारा डीएपी को समेकित कर एसएपी का निर्माण किया जाए, ताकि मैक्रो स्तर की योजना-निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।
2. सतत सामुदायिक भागीदारी के लिए आईईसी गतिविधियाँ	योजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने, जो भावी योजनाओं की संचालनात्मक व्यवहार्यता के लिए अत्यंत आवश्यक है, के दृष्टिगत विभाग को अपनी सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों (आईईसी) की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सामुदायिक योगदान नगण्य है तथा लाभार्थियों से संचालन एवं अनुरक्षण लागत की वसूली नहीं हो रही है।
3. आईएसएएस की समय पर तैनाती	विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों में परिभाषित दायित्वों के अनुसार निर्धारित कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की समयबद्ध तैनाती की जाए।
4. निगरानी और पारदर्शिता के लिए आईओटी	विभाग को जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार योजनाओं की स्थिरता एवं कार्यात्मकता सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य रूप से आईओटी आधारित प्रणाली लागू करनी चाहिए तथा कार्यशील एवं अकार्यशील नल कनेक्शनों से संबंधित आंकड़ों को जल जीवन मिशन पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
5. घरेलू एवं संस्थागत नल कनेक्शनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	विभाग को निर्धारित तीन स्थानों में से किसी एक स्थान पर प्रत्येक घर के भीतर नल कनेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, सभी सार्वजनिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर नल कनेक्शन प्रदान किए जाने चाहिए।
6. प्रयोगशाला अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए तथा मान्यता सुनिश्चित की जाए	विभाग को पेयजल गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जिला एवं उप-संभाग जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को डीडब्ल्यूक्यूएम&एस में निर्धारित सभी मापदंडों के लिए एनएबीएल मान्यता, पर्याप्त प्रयोगशाला कार्मिक तथा आवश्यक परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित करना चाहिए। विभाग को नमूनों का पारस्परिक सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए तथा जिन मापदंडों की जाँच आंतरिक रूप से संभव नहीं है, उनके परीक्षण हेतु नमूनों को तृतीय-पक्ष प्रयोगशालाओं को भेजा जाना चाहिए।

अध्याय-I
पृष्ठभूमि और लेखापरीक्षा ढांचा

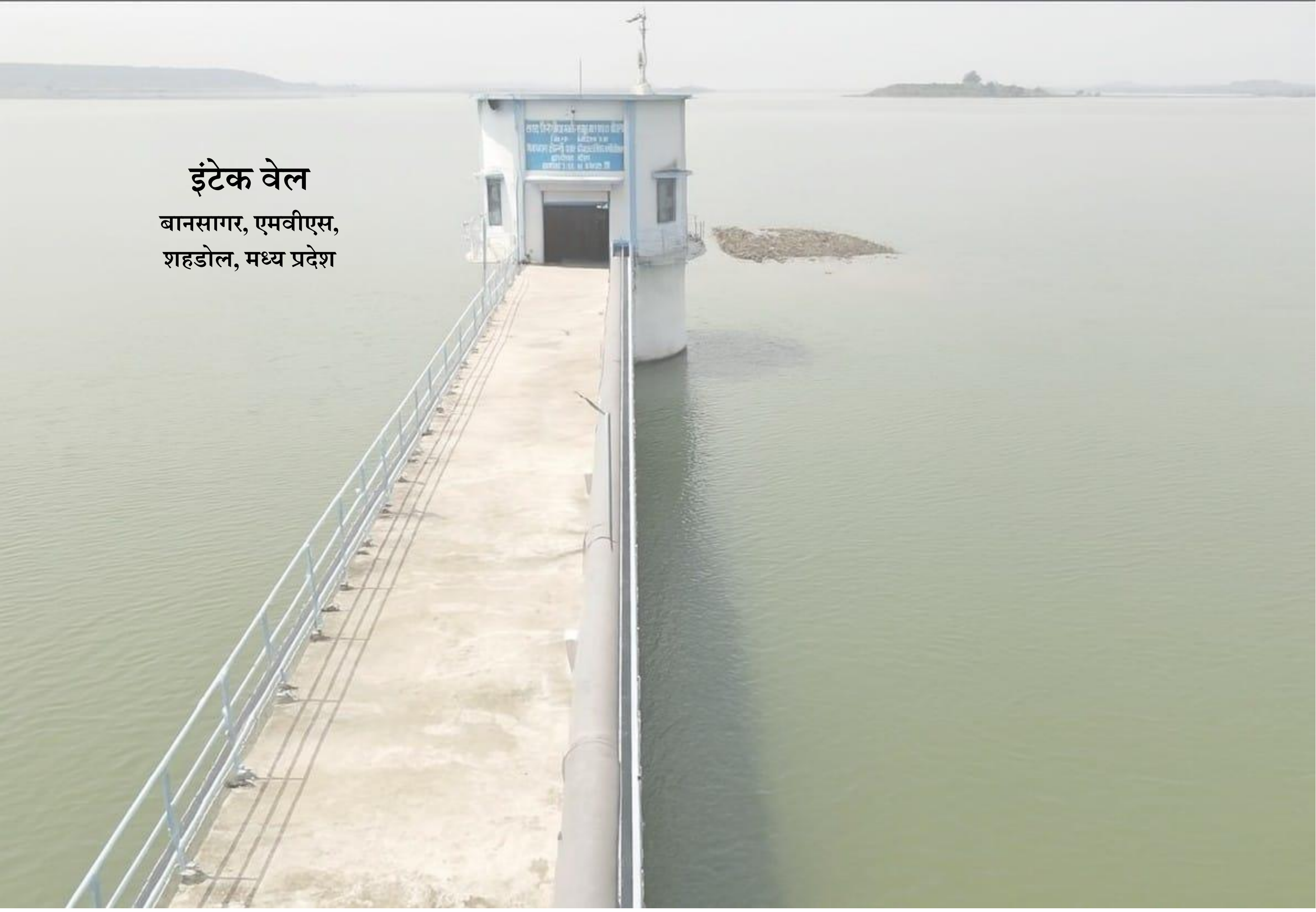

इंटेक वेल
बानसागर, एमवीएस,
शहडोल, मध्य प्रदेश

ओवरहैड टंकी
नीलखंड, एमवीएस, रायसेन,
मध्य प्रदेश

अध्याय I: पृष्ठभूमि और लेखापरीक्षा ढांचा

1.1 परिचय और ऐतिहासिक संदर्भ

पृष्ठभूमि:

1972 से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं/पहल शुरू की गई हैं और लागू की गई हैं।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) वर्ष 1972 में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों को कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) पेयजल उपलब्ध कराना था, स्रोत पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर ऊँचाई के भीतर और मैदानी क्षेत्रों में 1.6 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित हो। इसका उद्देश्य प्रत्येक 250 व्यक्तियों के लिए एक हैंडपंप या स्टैंडपोस्ट प्रदान करना था।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडब्ल्यूपी) वर्ष 2009 में पूर्व के एआरडब्ल्यूएसपी को संशोधित कर शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना था, ताकि सभी परिवारों को उचित दूरी के भीतर सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। एनआरडब्ल्यूपी के अंतर्गत लक्ष्य यह रखा गया कि कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन जलापूर्ति (घरेलू कनेक्शन) प्रदान की जाए, जबकि सार्वजनिक नलों और हैंडपंपों पर निर्भरता क्रमशः 20 प्रतिशत और 45 प्रतिशत तक सीमित की जाए।

जल जीवन मिशन, एनआरडीडब्ल्यूपी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए, अगस्त 2019 में शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित, पर्याप्त और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है, साथ ही मार्च 2024 तक सार्वभौमिक कवरेज हासिल करना और दीर्घकालीन जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। मिशन सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसमें वर्षा जल संचयन और ग्रेवाटर पुन: उपयोग जैसे स्रोत स्थिरता उपायों को समेकित किया गया है, और जल प्रणालियों के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है।

जल जीवन मिशन शुरू होने से पूर्व घरेलू नल कनेक्शनों का विवरण (पूर्ववर्ती योजनाओं के परिणाम) तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका 1: जेजेएम के शुभारंभ से पहले घरेलू कनेक्शन की स्थिति:

01.04.2018 की स्थिति में कुल परिवारों की संख्या	मार्च 2019 तक प्रदान किए गए एफएचटीसी (एनआरडीडब्ल्यूपी तक)	31.03.2019 की स्थिति में शेष परिवार	जेजेएम के शुभारंभ के समय कुल परिवारों की संख्या	जेजेएम (15.08.2019 तक) के शुभारंभ तक प्रदान किए गए एफएचटीसी	जेजेएम के शुभारंभ की तिथि पर शेष परिवार
1,08,90,226	13,28,100	95,62,126	1,11,81,136	13,53,151 (12.10 *प्रतिशत*)	98,27,985

(स्रोत: ई-जल शक्ति पोर्टल)

1.1.1 जल जीवन मिशन का विहंगावलोकन

जल जीवन मिशन (जेजेएम) भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मार्च 2024 तक देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार (नल कनेक्शन के माध्यम से) को पीने योग्य पानी प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की लक्ष्य-समाप्ति अवधि को मार्च 2028 तक विस्तारित किया गया है।

जेजेएम के उद्देश्यों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

दीर्घकालिक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झीलों, तालाबों एवं नदियों जैसे जलस्रोतों के पुनर्जीवन तथा संरक्षण को प्रोत्साहित करना।

दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय समुदायों को जलापूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन एवं अनुरक्षण का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना।

उचित फिल्ट्रेशन एवं उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

नीचे दी गई **तालिका-2** में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की तुलना में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के उद्देश्यों में किए गए प्रमुख संवर्द्धनों को दर्शाया गया है।

तालिका-2: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की तुलना में जल जीवन मिशन में प्रमुख संवर्द्धन

क्षेत्र	एनआरडीडब्ल्यूपी उद्देश्य	जल जीवन मिशन में संवर्द्धन
परिवारों का समावेशन	सभी परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुँच सुनिश्चित करना, जो उचित दूरी पर उपलब्ध हो (मार्च 2012 तक प्रति व्यक्ति 40 लीटर प्रतिदिन और उसके बाद 55 लीटर प्रतिदिन)। संतृप्ति का अर्थ ग्रामवासियों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से, साथ ही अन्य जल स्रोतों जैसे ट्यूबवेल और बोरवेल के माध्यम से जल उपलब्ध कराना।	प्रत्येक ग्रामीण घर में 55 एलपीसीडी पर कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) और बीआईएस: 10500 मानकों के अनुसार गुणवत्ता वाला पानी। संतृप्ति का मतलब एफएचटीसी के माध्यम से हर घर को कवरेज देना है।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र	पाइप के पानी के लिए खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता	गुणवत्ता प्रभावित, सूखा-प्रवण, रेगिस्तानी क्षेत्रों और संसद आदर्श ग्राम योजना गांवों को प्राथमिकता
संस्थागत समावेशन	विद्यालयों और आंगनवाड़ियों के लिए सुरक्षित जल तक पहुँच	विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों तथा सामुदायिक भवनों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराना।
सामुदायिक भागीदारी	जल स्रोतों के प्रबंधन के लिए पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों को सहायता	स्वैच्छिक सहभागिता के रूप में (नकद, वस्तु अथवा श्रम), श्रमदान तथा सामुदायिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल।
क्षमता निर्माण	स्पष्ट रूप से शामिल नहीं	निर्माण, प्लंबिंग, गुणवत्ता प्रबंधन, कैचमेंट संरक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास पर बल।
जागरूकता सृजन	विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया	जागरूकता सृजन, हितधारकों की सक्रिय सहभागिता तथा जल को सभी की साझा जिम्मेदारी बनाने पर सशक्त जोर।

एनआरडीडब्ल्यूपी के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश ने 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के मानक पर 100 प्रतिशत तथा 55 एलपीसीडी के मानक पर 88 प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त कर ली थी। तथापि, चूँकि एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत कवरेज केवल बसावटों तक सीमित थी, इसलिए वास्तव में 15 अगस्त 2019 तक राज्य के कुल 111.81 लाख ग्रामीण परिवारों में से मात्र

13.53 लाख परिवारों (12.10 प्रतिशत) को ही नल जल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध थी (संदर्भ: तालिका-1)। यह स्थिति नल जल कनेक्शनों के माध्यम से अत्यंत कम कवरेज को दर्शाती है, जो सार्वभौमिक नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन के त्वरित मिशन-मोड दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

एनआरडीडब्ल्यूपी तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत घटक-वार संतृप्ति योजना का विवरण नीचे दी गई **तालिका-3** में प्रस्तुत है:

तालिका-3: घटक-वार संतृप्ति योजना

घटक	एनआरडीडब्ल्यूपी के लक्ष्य	जल जीवन मिशन के लक्ष्य
समय-सीमा	चरण I: 2017 तक अंतिम: 2022[1] तक	मूल रूप से 2024 तक, प्रगति जारी है।
वित्त पोषण स्वरूप	50:50 (केंद्र: राज्य)	50:50 (केंद्र : राज्य)
परिवार कवरेज	2017 तक यह सुनिश्चित करना कि कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप जल आपूर्ति[2] उपलब्ध हो; कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति हो; 20 प्रतिशत से कम परिवार सार्वजनिक नलों का उपयोग करें और 45 प्रतिशत से कम परिवार हैंडपंप या अन्य सुरक्षित एवं पर्याप्त निजी जल स्रोतों का उपयोग करें।	100 प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी)
संतृप्ति	एनआरडीडब्ल्यूपी ने पहुंच का मूल्यांकन करके संतृप्ति का आकलन किया।	जल जीवन मिशन संतृप्ति का मापन कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के आधार पर करता है।

एनआरडीडब्ल्यूपी ने ग्रामीण जल आपूर्ति ढाँचे में सुधार के लिए आधार तैयार किया, जिसमें सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुँच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। इस दृष्टिकोण को जल जीवन मिशन ने और सुदृढ़ एवं व्यापक बनाया, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

1.1.2 जल जीवन मिशन (जेजेएम) की संगठनात्मक संरचना

मध्य प्रदेश में, जेजेएम को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) और पीएचईडी के तहत एक सरकारी कंपनी मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित (जल निगम) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएचईडी भूजल का उपयोग करने वाले एसवीएस को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि जल निगम एमवीएस को लागू कर रहा है जो नदियों और बांधों जैसे सतही जल स्रोतों पर निर्भर हैं। पीएचईडी का प्रशासनिक नेतृत्व सरकारी स्तर पर एक प्रमुख सचिव करता है। प्रमुख अभियंता (ई-इन-सी) पीएचईडी का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता मुख्य अभियंता (सीई), अधीक्षण यंत्री (एसई), और कार्यपालन यंत्री (ईई) करते हैं। जल निगम का नेतृत्व एक प्रबंध निदेशक (एमडी) करता है जिसकी सहायता के लिए एक परियोजना निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक होते हैं।

राज्य में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना दी गई **चार्ट 1** में प्रस्तुत है:

1 2022 तक यह सुनिश्चित करना कि कम से कम 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप जल आपूर्ति उपलब्ध हो; कम से कम 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति हो; 10 प्रतिशत से कम परिवार सार्वजनिक नलों का उपयोग करें और 10 प्रतिशत से कम परिवार हैंडपंप या अन्य सुरक्षित एवं पर्याप्त निजी जल स्रोतों का उपयोग करें।

2 यहाँ पाइप जल आपूर्ति का अर्थ प्रत्येक परिवार को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना नहीं है।

चार्ट-1: जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना

राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)

- शीर्ष और कार्यकारी समितियां: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति, प्रमुख सचिव/ सचिव, पीएचईडी सदस्य सचिव के रूप में, नीति मार्गदर्शन प्रदान करती है और जेजेएम कार्यान्वयन की निगरानी करती है। मिशन निदेशक (पीएचईडी के प्रधान सचिव) के नेतृत्व में कार्यकारी समिति, भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करती है और जल आपूर्ति निष्पादन का प्रबंधन करती है।

जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम)

- कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) की नियुक्ति सहित जिला स्तर पर जेजेएम के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार
- वॉटर प्रबंधन, स्रोत स्थिरता, जल संरक्षण आदि के लिए निधियों के समन्वय की जिम्मेदारी।

कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए)

- ग्राम समुदाय को ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान करने, डिजाइन अनुमान तैयार करने तथा जल आपूर्ति ढाँचे के तकनीकी अनुमोदन देने के साथ-साथ योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार।

ग्राम समुदाय

- ग्राम समुदाय, ग्राम पंचायत या उसकी उप-समिति वीडब्ल्यूएससी के माध्यम से वीएपी तैयार करने, योजना बनाने, डिजाइन करने, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, संचालन और जल आपूर्ति योजनाओं को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

1.1.3 जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

जल जीवन मिशन (जेजेएम) मार्च 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100 प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। जेजेएम की शुरुआत उस स्थिति से हुई थी जिसमें कुल 1.11 करोड़ परिवारों में से 13.53 लाख परिवारों के पास पहले से ही नल कनेक्शन थे। यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के मामले में लक्ष्य तिथि तक 98.28 लाख परिवारों को शामिल किया जाना था (संदर्भ: तालिका-1)। इस लक्ष्य के विरुद्ध, 9 दिसंबर 2024 तक पीएचईडी द्वारा 60.90 लाख ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किया जा सका (शेष 37.38 लाख परिवारों को कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं)। जेजेएम के तहत एफएचटीसी की वार्षिक कवरेज प्रगति नीचे दी गई **तालिका-4** में विस्तृत रूप से प्रस्तुत है:

तालिका-4: मध्य प्रदेश में घरेलू नल कनेक्शनों की प्रगति

वर्ष	प्रदान किए जाने वाले एफएचटीसी	वर्ष के दौरान प्रदान किए गए एफएचटीसी	शेष एफएचटीसी जिन्हें प्रदान किया जाना है	वर्ष के दौरान प्रगति (प्रतिशत में)
2019-20	98,27,985[3]	4,19,152	94,08,833	4.26
2020-21	94,08,833	19,86,546	74,22,287	21.11
2021-22	74,22,287	10,89,412	63,32,875	14.68
2022-23	63,32,875	8,90,863	54,42,012	14.07
2023-24	54,42,012	11,30,228	43,11,784	20.76
2024-25 (9 दिसंबर 2024 तक)	43,11,784	5,73,832	37,37,952	13.30
कुल		**60,90,033**		**61.96**

(स्रोत: ई-जल शक्ति पोर्टल)

3 1,11,81,136 -13,53,151 = 98,27,985 (एमपी में कुल एफएचटीसी - 15 अगस्त 2019 से पहले प्रदान की गई एफएचटीसी)

मध्य प्रदेश में, मिशन को बहु ग्राम योजनाओं (एमवीएस) और एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एमवीएस और एसवीएस दोनों के तहत एफएचटीसी का विस्तृत विवरण नीचे **तालिका- 5** में दिया गया है:

तालिका 5: एमवीएस, एसवीएस और उनके एफएचटीसी रूपांतरण की स्थिति

बहु ग्राम योजनाएँ			एकल ग्राम योजनाएँ		
योजनाएँ	एफएचटीसी		योजनाएँ	एफएचटीसी	
	प्रदान किया	शेष		प्रदान किया	शेष
147	15,52,416	24,72,431	27,336	61,34,686	10,03,912

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

एकल ग्राम योजनाएँ: जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका उद्देश्य एकल गांवों को एफएचटीसी प्रदान करना है जहां जल स्रोत भूजल है। एसवीएस का कार्यान्वयन पीएचईडी द्वारा किया जाता है।

बहु ग्राम योजनाएँ: इसका उद्देश्य कई गांवों को एफएचटीसी प्रदान करना है जहां जल स्रोत सतही जल है। योजनाओं का उद्देश्य चिन्हित जल भंडारों से पानी खींचने के लिए लिंकेज और गांव में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। एमवीएस का कार्यान्वयन जल निगम द्वारा किया जाता है।

दोनों प्रकार की योजनाओं की संरचना और कार्यप्रणाली को समझाने के लिए योजनात्मक चित्र नीचे दी गई **चार्ट 2** और **चार्ट 3** में प्रस्तुत हैं।

चार्ट 2: एकल ग्राम योजना का योजनात्मक चित्र

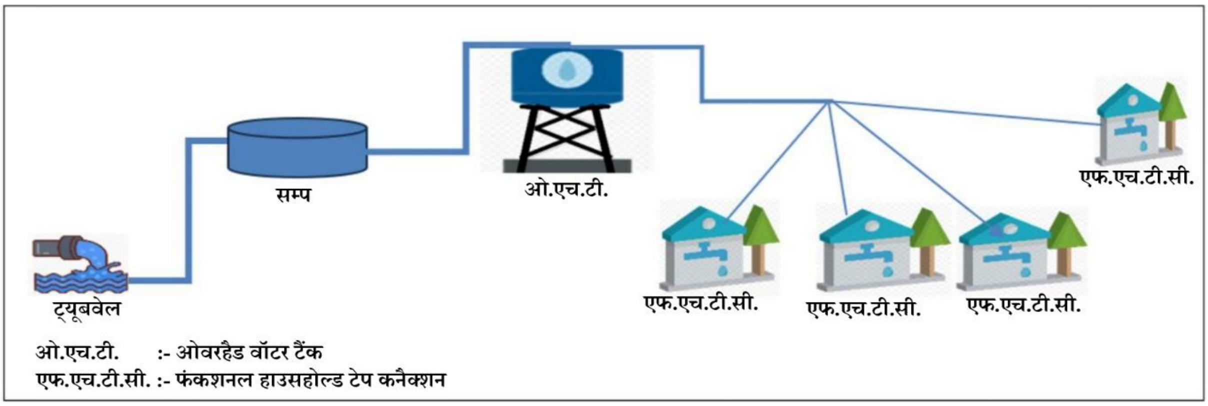

चार्ट 3: बहु-ग्राम योजना का योजनात्मक चित्र

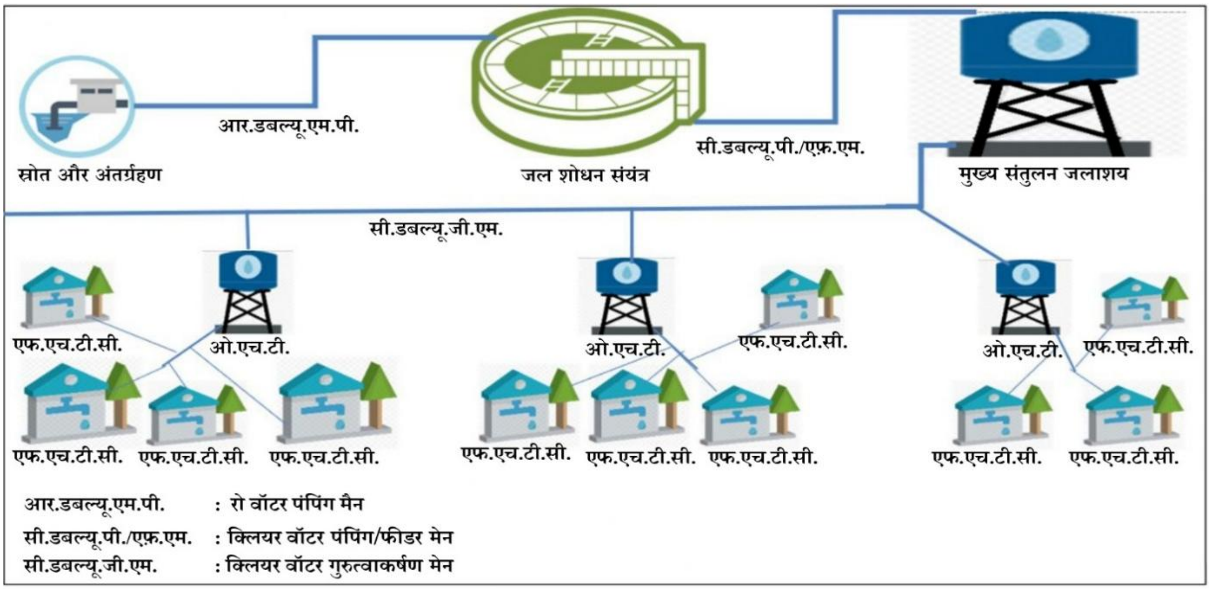

यह **चार्ट** मध्य प्रदेश में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धि की स्थिति को दर्शाता है:

चार्ट 4: मध्य प्रदेश में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का जिला-वार प्रतिशत में योजनात्मक प्रतिनिधित्व

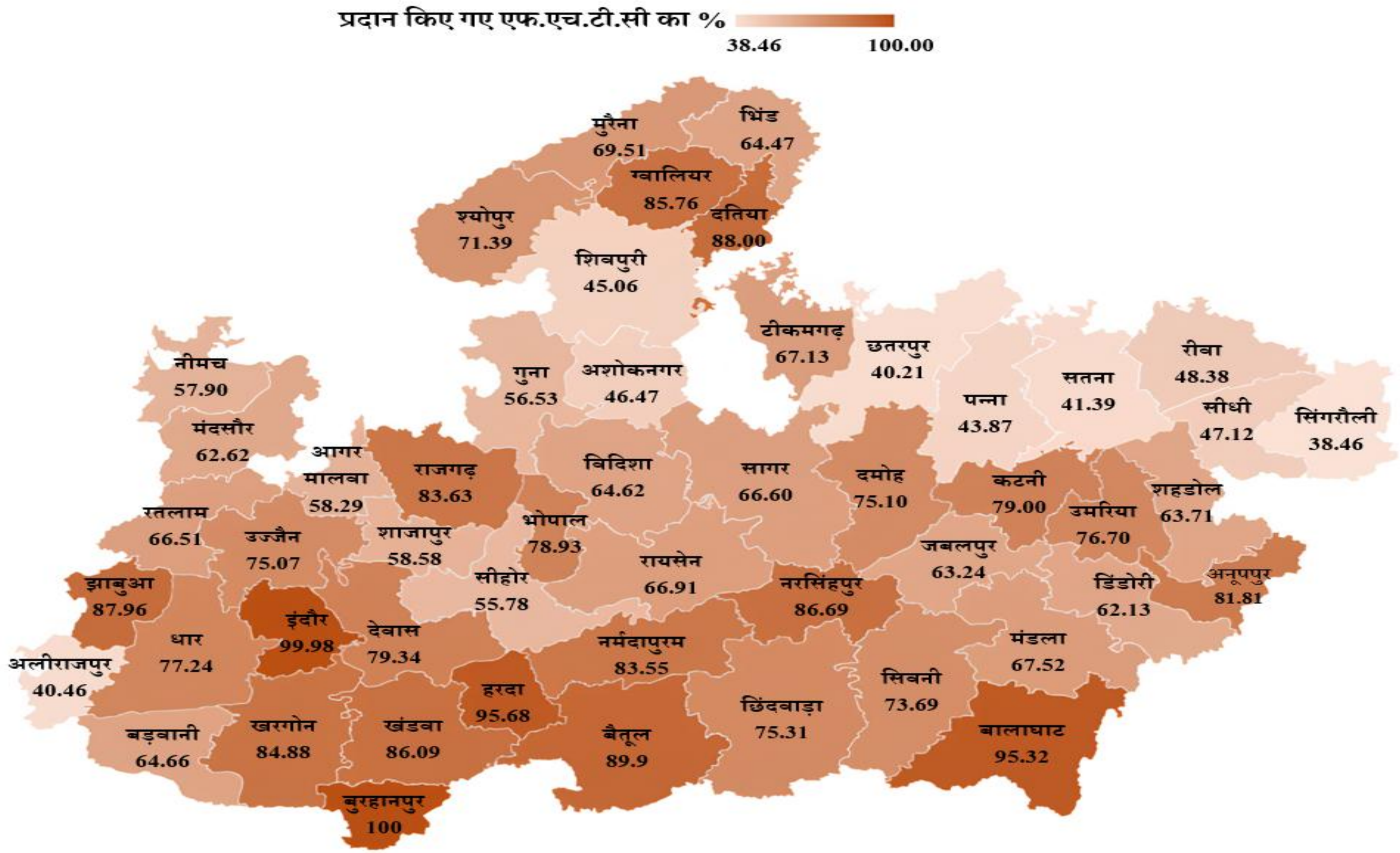

(स्रोत: मार्च 2025 तक विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

टिप्पणी: निवाड़ी जिले के कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को टीकमगढ़ जिले में सम्मिलित किया गया है।

मार्च 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन की प्रगति लगभग 80 प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज (19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.57 करोड़ परिवार) तक पहुँच चुकी थी, जबकि मध्य प्रदेश राज्य में कुल कवरेज मात्र 69 प्रतिशत (1.12 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 0.77 करोड़ परिवार) ही रहा, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राज्य में सबसे कम उपलब्धि वाले जिले उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती जिले रहे, जिनमें छतरपुर (40 प्रतिशत), पन्ना (44 प्रतिशत), सतना (41 प्रतिशत), सिंगरौली (38 प्रतिशत), सीधी (47 प्रतिशत) तथा रीवा (48 प्रतिशत) शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकल ग्राम योजनाओं के अंतर्गत कवरेज/उपलब्धि 64 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच रही, जबकि बहु-ग्राम योजनाओं का प्रदर्शन सात प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच पाया गया। एमवीएस की प्रगति की गति विशेष रूप से आलीराजपुर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, डिंडोरी, आगर मालवा, मंडला, रीवा, रतलाम, श्योपुर, जबलपुर तथा बड़वानी जिलों[4] में गंभीर अल्प-प्रदर्शन को उजागर करती है। इन जिलों में कमजोर प्रगति, कमजोर योजना एवं समन्वय के कारण उत्पन्न संभावित गंभीर कार्यान्वयन विलंब की ओर संकेत करती है। जिन 48 जिलों में एमवीएस का कार्यान्वयनन किया जा रहा है, उनमें से 32 जिलों में एफएचटीसी का कवरेज 50 प्रतिशत से कम रहा तथा विभाग जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मार्च 2024 की समय-सीमा को पूरा नहीं कर सका।

1.1.4 जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता एवं व्यय की स्थिति

जल जीवन मिशन के अंतर्गत व्यय का वहन भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाना था। तथापि**,** मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह निर्देश दिए गए कि जेजेएम योजनाओं के व्यय को 90:10 के अनुपात में लेखाबद्ध किया जाए (केंद्र एवं राज्य का अंशदान 45:45 के अनुपात में तथा शेष 10 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान)। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान जेजेएम निधि के अंतर्गत वर्ष-वार प्राप्ति एवं व्यय का विवरण नीचे दी गई **तालिका-6** में प्रस्तुत है।

तालिका-6: निधियों की उपलब्धता एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष राशि	प्राप्तियाँ (केंद्र से)	प्राप्तियाँ (राज्य से)	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय (प्रतिशत में)	अव्यय/समापन शेष (प्रतिशत में)	बैंक से अर्जित ब्याज और भारत सरकार को प्रेषित राशि
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7=5-6	8
2019-20	0.01	571.60	315.00	886.61	615.40(69)	271.21(31) *	0.00
2020-21	244.96	960.09	1,381.84	2,586.89	1,890.69(73)	696.20(27)	2.14
2021-22	696.20	3,837.59	3,795.93	8,329.72	4,742.11(57)	3,587.61(43)	34.78
2022-23	3,587.61	2,820.50	2,714.69	9,122.80	7,042.82(77)	2,079.98(23)	84.44
2023-24	2,079.98	5,419.90	5,353.54	12,853.42	12,779.11(99)	74.31(01)	55.55
कुल		**13,609.68**	**13,561.00**		**27,070.13**		

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े)

* केंद्रीय प्राप्ति की ₹ 244.96 करोड़ की अप्रयुक्त राशि अगले वर्ष के लिए अग्रेषित की गई है और राज्य प्राप्ति की ₹ 26.25 करोड़ की अप्रयुक्त राशि 2019-20 में राज्य कोष से ट्रांजैक्शन न होने के कारण लैप्स हो गई।

4 अलीराजपुर (7.69 प्रतिशत), अशोकनगर (11.88 प्रतिशत), गुना (13.92 प्रतिशत), शिवपुरी (15.38 प्रतिशत), डिंडोरी (16.12 प्रतिशत), आगर मालवा (22.84 प्रतिशत), मंडला (17.95 प्रतिशत), रीवा (18.29 प्रतिशत), रतलाम (19.29 प्रतिशत), श्योपुर (19.75 प्रतिशत), जबलपुर (18.93 प्रतिशत) तथा बड़वानी (24.96 प्रतिशत)।

1.2. लेखापरीक्षा संरचना

1.2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि क्या:

- योजना के उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए गए हैं**;**
- योजनाओं की नियोजन, कार्यान्वयन और परिचालन के बाद प्रबंधन के लिए कुशल संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है;
- वित्तीय संसाधनों को आर्थिक और कुशल तरीके से नियोजित किया गया है, और;
- योजना के माध्यम से सृजित संपत्तियाँ अगले दो से तीन दशकों तक टिकाऊ हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा से समझौता नहीं करती हैं।

1.2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशा-निर्देश और जल गुणवत्ता निगरानी एवं निरीक्षण ढाँचा;
- सामान्य वित्तीय नियम, 2017;
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश, जो उपरोक्त दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करते हैं;
- मध्य प्रदेश स्टोर क्रय नियमों के प्रावधान;
- भारत सरकार द्वारा जारी आदेश, जो संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में उल्लिखित अधिकारों के पृथक्करण से संबंधित हैं।

1.2.3 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की अवधि 2019-20 से 2023-24 तक को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति के माध्यम से आठ जिलों[5] (15 प्रतिशत) का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया को नीचे **चार्ट-5** में दर्शाया गया है।

5 छतरपुर, डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।

चार्ट-5: नमूना चयन प्रक्रिया

इसके अतिरिक्त, चयनित 32 गांवों में से प्रत्येक ग्राम से 20 लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया।

चार्ट–6 : मध्य प्रदेश के चयनित नमूना जिले

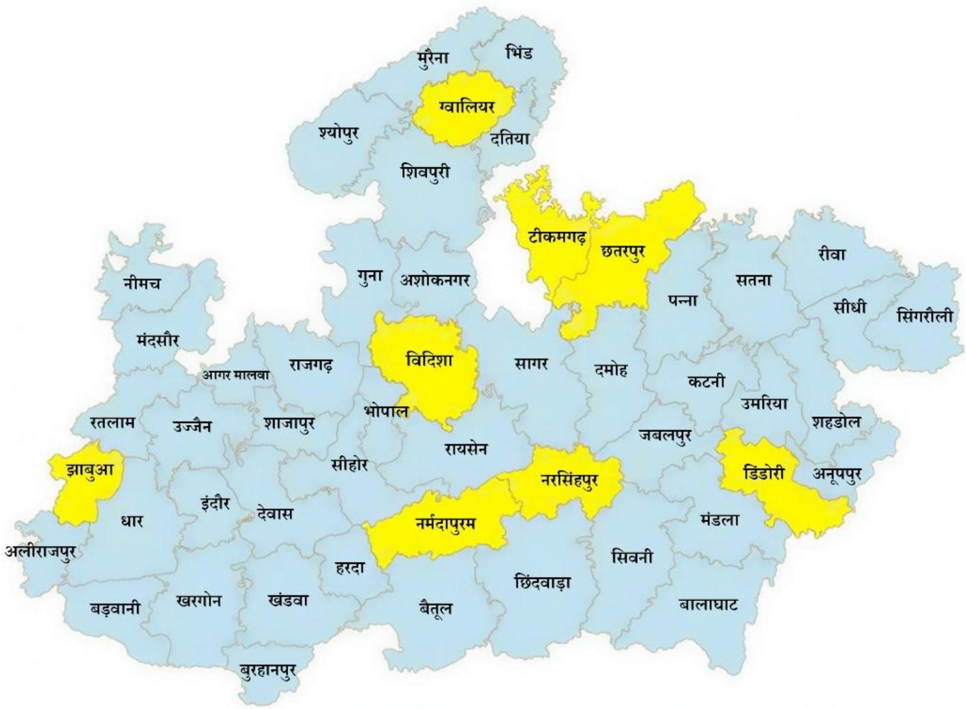

एमडी, जल निगम तथा पीएचईडी के संभागों (जिला इकाइयों) के अभिलेखों की जांच अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान की गई। प्रमुख अभियंता के अभिलेखों की भी जांच की गई (जुलाई 2024)। लेखापरीक्षा के दौरान एसवीएस से संबंधित 28 अनुबंधों, जो 144 गांवों को आच्छादित करते थे, तथा एमवीएस से संबंधित चार अनुबंधों[6], जो 1009 गांवों को आच्छादित करते थे, की जांच की गई। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ लेखापरीक्षित इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों एवं साक्ष्यों के साथ-साथ अन्य शासकीय

6 प्रबंध निदेशक, जल निगम तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संभागों (जिला इकाइयों) के अभिलेखों की जांच अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रमुख अभियंता के अभिलेखों की भी जांच (जुलाई 2024) में की गई। इन चार एमवीएस के अतिरिक्त, जल निगम के मुख्यालय में 12 अन्य एमवीएस की भी संक्षिप्त आधार पर जांच की गई।

तथा तृतीय-पक्ष स्रोतों से संकलित जानकारी पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीरों, लाभार्थी सर्वेक्षणों के परिणामों तथा संयुक्त भौतिक निरीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग भी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के समर्थन में किया गया है।

1.2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हितधारक सहभागिता प्रक्रिया

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), मध्य प्रदेश, भोपाल के द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा बेहतर समन्वय के उद्देश्य से निष्पादन लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में संबंधित हितधारकों, अर्थात् लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ सुनियोजित रूप से सहभागिता की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत 13 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश शासन के सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध निदेशक, जल निगम के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के दायरे, उद्देश्यों तथा नमूना चयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के सफल संचालन हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा (अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024) के दौरान लाभार्थी सर्वेक्षण भी किए गए।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मार्च 2025 में मध्य प्रदेश शासन (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा वित्त विभाग) को प्रेषित किया गया। इसके उपरांत 13 जून 2025 को मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध निदेशक, जल निगम के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इन अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए यह आश्वासन दिया गया कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में इन पर विचार किया जाएगा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्य चरणों में जहाँ-जहाँ उत्तर उपलब्ध कराए गए, उन्हें विधिवत रूप से विचार में लिया गया है तथा यथोचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.2.5 अभिस्वीकृति

निष्पादन लेखापरीक्षा के विषय से संबंधित जानकारी एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सका।

अध्याय-II
योजना

बोरवेल

कीटाणुशोधन इकाई

अध्याय II: योजना

2.1 परिचय

जल जीवन मिशन (जेजेएम) जल आपूर्ति के लिए विकेंद्रीकृत, मांग-आधारित और सामुदायिक-प्रबंधित दृष्टिकोण पर जोर देता है। इस मिशन का ध्यान निचले स्तर से ऊपर की ओर तीन-स्तरीय योजना दृष्टिकोण पर है, जो ग्राम कार्य योजना (वीएपी), जिला कार्य योजना (डीएपी) और राज्य कार्य योजना (एसएपी) के माध्यम से 'हर घर जल' (सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन द्वारा पीने योग्य जल की आपूर्ति) सुनिश्चित करने, स्रोत स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके सतत जल आपूर्ति प्रणाली को बढ़ावा देने, सहभागी योजना के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करने और जल गुणवत्ता निगरानी तथा अवसंरचना रखरखाव को एकीकृत करने पर आधारित है। इस योजना प्रक्रिया में निचले स्तर की भागीदारी पर विशेष जोर है, क्योंकि वे अंतिम उपभोक्ता थे।

चार्ट 7: योजना के चरण

मूलभूत सर्वेक्षण

- जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) सहायता गतिविधियों और मूलभूत सर्वेक्षण के लिए राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा पैनल में शामिल किए गए कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) की सूची से आईएसए को नियुक्त करेगा।

ग्राम कार्य योजना

- मूलभूत सर्वेक्षण के आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए ग्राम कार्य योजनाएँ तैयार की जाएँगी। इसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि किसी ग्राम में जल आपूर्ति एमवीएस के माध्यम से की जाएगी या एसवीएस के माध्यम से।

जिला एवं राज्य कार्य योजना

- सभी ग्राम कार्य योजनाओं को समेकित करते हुए जिला कार्य योजनाएँ तैयार की जाएँगी तथा इसके पश्चात सभी जिला कार्य योजनाओं को समेकित कर राज्य कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे योजना निर्माण, वित्तपोषण, किए जाने वाले कार्यों आदि का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हो सके।

वार्षिक कार्य योजना

- राज्य कार्य योजना एवं जिला कार्य योजनाओं से आधारित वार्षिक कार्य योजनाएँ (एएपी) तैयार की जाएँगी, जिनमें वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले योजना निर्माण, आच्छादन, वित्तपोषण आदि से संबंधित सभी पहलुओं/लक्ष्यों को सम्मिलित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्येक कार्य योजना के साथ-साथ समग्र योजना प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया तथा प्रत्येक योजना स्तर पर पाई गई कमियों को नीचे दर्शाया गया है:

2.2 योजना संबंधी कमियाँ

2.2.1 कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (आईएसए) एवं मूलभूत सर्वेक्षण

जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के पैरा 5.5 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम के लिए योजना के प्रारंभ से ही मूलभूत सर्वेक्षण करने तथा अन्य कार्यों (विवरण कंडिका 3.11 में दिया गया है) के निष्पादन हेतु कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की नियुक्ति की जानी थी।

इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार:

- राज्य जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा भागीदार गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/स्वयं सहायता समूहों को कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के रूप में पैनल में शामिल किया जाना था (जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के पैरा 5.2 के अनुसार)।

- जिला जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा पैनल में शामिल सूची से कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों को नियुक्त किया जाना था तथा उनके कार्य निष्पादन की निगरानी की जानी थी (जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के पैरा 5.3 के अनुसार)।

- जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किसी आईएसए के चयन के पश्चात, उसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग /ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सहयोग से उसे आवंटित गांवों के लिए संपूर्ण योजना चक्र हेतु कार्ययोजना तैयार करनी थी, जिसमें तिमाही आधार पर स्पष्ट रूप से निर्धारित आउटपुट दर्शाए जाने थे। आईएसए को किए जाने वाले भुगतान को समय-सारिणी तथा तिमाही आधार पर प्राप्त आउटपुट से संबद्ध किया गया था (जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के पैरा 5.5 के अनुसार)।

- मूलभूत सर्वेक्षण के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम कार्य योजना तैयार की जानी थी। प्रत्येक मूलभूत सर्वेक्षण में जेजेएम के कार्यान्वयन से पूर्व उपलब्ध कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या का आकलन किया जाना आवश्यक था (जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के पैरा 3.5 के अनुसार)।

चार्ट 8: मूलभूत सर्वेक्षण के घटक:

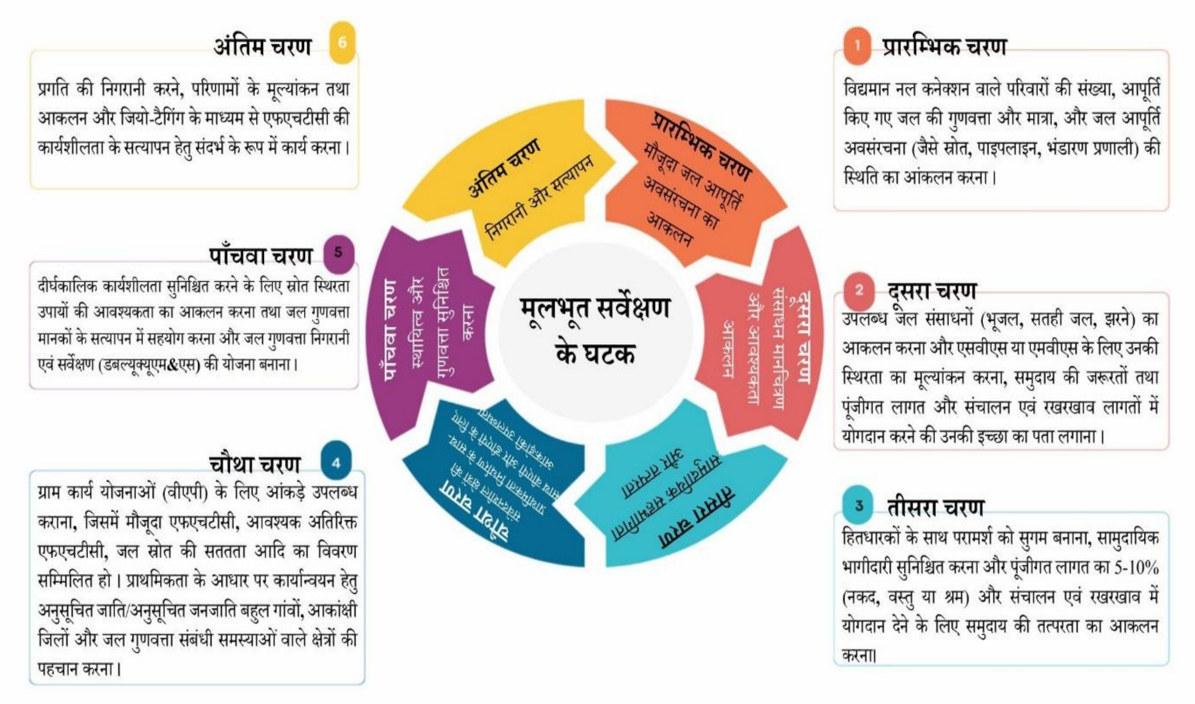

मूलभूत सर्वेक्षण जल जीवन मिशन की सफलता की आधारशिला हैं, जो सटीक योजना निर्माण, सामुदायिक सहभागिता, समान आच्छादन तथा सतत जलापूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आए:

- आठ नमूना जांच किए गए जिलों में 4576 एसवीएस योजनाओं में से, पीएचईडी ने केवल 3910 एसवीएस में आईएसए नियुक्त किया। इस प्रकार, 666 गांवों (कुल गांवों का 14 प्रतिशत) के लिए मूलभूत सर्वेक्षण **परिशिष्ट 1** में बताए अनुसार आयोजित नहीं किए गए थे।

- पायलि और बंसुजारा (टीकमगढ़) एमवीएस के लिए कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों को क्रमशः सितंबर 2022 और मार्च 2023 में नियुक्त किया गया, जबकि जल निगम द्वारा ठेकेदार को (दिसंबर 2018 एवं सितंबर 2022) कार्य प्रदान किया गया था। इन योजनाओं के लिए नियुक्ति के बाद भी आईएसए ने मौजूदा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत उपलब्ध नल कनेक्शनों का पुन: सत्यापन नहीं किया; इसलिए, वास्तविक स्तर पर आकलन नहीं किया गया। आईएसए द्वारा जेजेएम दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट कार्य/कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा था।

मूलभूत सर्वेक्षण न किए जाने या आईएसए की नियुक्ति में देरी के कारण, जमीनी स्तर पर योजना निर्माण सटीक नहीं हो पाया। इसका परिणाम आठ जिलों की 853 एसवीएस की लागत में ₹ 668.67 करोड़ से बढ़कर ₹ 997.12 करोड़ होने के रूप में देखा गया, जिसका विवरण कंडिका 3.5.1 में प्रस्तुत किया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (जून 2025), प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रमुख अभियंता को शेष मूलभूत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।

यह कार्रवाई न तो उचित है और न ही वास्तविक परिस्थितियों या जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, क्योंकि कार्य प्रदान करने के बाद या कार्य पूर्ण होने के चरण में किए गए मूलभूत सर्वेक्षणों से इन सर्वेक्षणों का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इनमें से कई पूर्ण की गई परियोजनाओं में स्थिरता और गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ पाई गईं, जिससे संपूर्ण मिशन विफल होने का उच्च जोखिम है।

2.2.2 ग्राम कार्य योजनाएँ

जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के पैरा 3.6 के अनुसार, ग्राम पंचायत अथवा उसकी उप-समिति (व्हीडब्ल्यूएससी/ पानी समिति/ उपयोगकर्ता समूह आदि) द्वारा कार्यान्वयन सहायता एजेंसी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) के सहयोग से ग्राम कार्य योजना तैयार की जानी थी। यह ग्राम कार्य योजना मूलभूत सर्वेक्षण, संसाधन मानचित्रण तथा सामुदायिक आवश्यकताओं (जिसमें भूमि की उपलब्धता, पूंजीगत तथा संचालन एवं अनुरक्षण लागत में योगदान की सहमति आदि शामिल हैं) पर आधारित होकर आगे की कार्रवाई हेतु डीडब्ल्यूएसएम को प्रस्तुत की जानी थी।

ग्राम कार्य योजनाओं में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

कमी	प्रभाव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग : जैसा कि परिशिष्ट 2 में विस्तृत है, आठ जिलों[7] के 7317 गांवों में से केवल 5199 (40.80 प्रतिशत से 99.44 प्रतिशत) के लिए वीएपी तैयार किए गए थे। जल निगम: बानसुजारा (बड़ामलहेड़ा) एमवीएस के 119 गांवों में से 17 गांवों में, पायली एमवीएस (जबलपुर) के 90 गांवों में से आठ गांवों में और सगड़ हिनोतिया एमवीएस (विदिशा) के 109 गांवों में से किसी में भी ग्राम कार्य योजनाएँ तैयार नहीं किए गए थे।	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 28.95 प्रतिशत गांवों तथा जल निगम के अंतर्गत 42.14 प्रतिशत गांवों के लिए ग्राम कार्य योजनाएँ तैयार न किया जाना योजना निर्माण में महत्वपूर्ण कमियों को दर्शाता है। इससे निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई, क्योंकि उपलब्धियों की समीक्षा हेतु कोई प्रदर्शन संकेतक निर्धारित नहीं थे।
ग्राम कार्य योजनाएँ सीमित सामुदायिक भागीदारी के साथ तैयार किए गए थे। उल्लेखनीय रूप से, 31 प्रतिशत गांवों में ग्राम पंचायत प्रस्तावों (एसवीएस के लिए) का अभाव था जैसा कि परिशिष्ट 3 में बताया गया है। एमवीएस के अंतर्गत आने वाले गांवों की ग्राम कार्य योजनाओं में वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रभावी जलापूर्ति प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव पाया गया। एमवीएस योजना से संबंधित प्रस्तावों में सामुदायिक योगदान की सहमति, समन्वय का विवरण, ग्रे-वॉटर प्रबंधन आदि से संबंधित आवश्यक विवरण सम्मिलित नहीं थे।	ग्राम कार्य योजनाओं में सीमित सामुदायिक सहभागिता के कारण स्वामित्व की भावना में कमी आई। इसका कारण नगण्य सामुदायिक अंशदान रहा (सामुदायिक अंशदान के रूप में वसूल की जाने वाली ₹ 241.74 करोड़ की राशि के विरुद्ध मात्र ₹ 27 लाख का योगदान प्राप्त हुआ), जैसा कि कंडिका 3.8.2 में चर्चा की गई है।

7 छतरपुर, डिंडोरी, झाबुआ, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम और ग्वालियर। हालाँकि, ग्वालियर और नर्मदापुरम के मामले में वीएपी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है।

कमी	प्रभाव
परिशिष्ट 4 में दिए गए विवरणानुसार, 144 एसवीएस वाले गांवों में से 47 गांवों (33 प्रतिशत) में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाने तथा निविदा आमंत्रण सूचना जारी किए जाने के पश्चात् ग्राम कार्य योजनाएँ पिछली तिथि से तैयार की गईं। 120 गाँवों को सम्मिलित करने वाली एक बहु-ग्राम योजना (बनसुजारा टीकमगढ़) के मामले में, कार्य अगस्त 2022 में प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् ग्राम कार्य योजना का निर्माण अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया।	यह दर्शाता है कि ग्राम कार्य योजनाएँ मात्र औपचारिक दस्तावेज़ बनकर रह गईं और इनमें न तो निचले स्तर से ऊपर की योजना प्रक्रिया का प्रतिबिंब था और न ही जमीनी वास्तविकताओं का। इसके परिणामस्वरूप कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों के नियोजित तथा वास्तविक कार्यान्वयन में उल्लेखनीय भिन्नताएँ पाई गईं, जिसकी चर्चा कंडिका 4.1.1.2 में की गई है।
इसके अतिरिक्त, ग्राम कार्य योजना में जल गुणवत्ता के मापदंडों का या तो प्रकटीकरण नहीं किया गया अथवा आंशिक रूप से किया गया (एसवीएस योजनाओं में), जिसके परिणामस्वरूप जलापूर्ति योजनाओं का अपर्याप्त योजना निर्माण हुआ। ऐसी योजनाएँ जल गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकतीं और इससे सभी के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के जल जीवन मिशन के उद्देश्य को क्षति पहुँचती है।	राज्य सरकार जल गुणवत्ता के क्षरण से प्रभावित गांवों को प्राथमिकता देने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ के निवासियों को गंभीर स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय जोखिमों का सामना करना पड़ा, जैसा कि कंडिका 2.3.3.2 में विस्तृत रूप से वर्णित है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर चिन्हित कमियों के निराकरण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

प्राप्त उत्तर में ग्राम कार्य योजनाएँ तैयार न किए जाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके पश्चात् ग्राम कार्ययोजनाएँ तैयार करने अथवा उनमें पाई गई कमियों के सुधार हेतु की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का पहले से पूर्ण अथवा प्रगतिरत योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (*मध्य प्रदेश में सभी जिलों के लिए योजनाओं की पहचान पहले ही की जा चुकी है और कोई नई योजना परिकल्पित नहीं है*)।

2.2.3 जिला कार्य योजनाएँ तथा राज्य कार्य योजनाएँ

जेजेएम दिशानिर्देशों के पैरा 3.6.1 में प्रावधान है कि:

- जिला कार्य योजना (डीएपी), जिसमें जिले के सभी गांवों की ग्राम कार्य योजनाएँ सम्मिलित होंगी, का निर्माण जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पैरा 5.3 के अनुसार, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) जिले में जल जीवन मिशन के समग्र कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।
- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), जिला कार्य योजनाओं के आधार पर राज्य कार्य योजना (एसएपी) तैयार करेगा एवं अंतिम रूप देगा तथा राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य कार्य योजना के आधार पर वार्षिक कार्य योजनाएँ (एएपी) तैयार की जानी थीं, जिनमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नियोजित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के लक्ष्य, निधि आवश्यकताएँ, नियोजित सहायक गतिविधियाँ आदि का विवरण शामिल होना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जिला कार्य योजनाएँ तथा राज्य कार्य योजनाएँ, जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार नहीं की गई थीं। जिला कार्य योजनाएँ एवं राज्य कार्य योजनाएँ तैयार नहीं किए जाने से उत्पन्न प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

जिला कार्य योजनाओं के तैयार न किए जाने के प्रभाव:

राज्य कार्य योजनाएँ जिला कार्य योजनाओं से नहीं बनीं।	पूरे राज्य के लिए समग्र राज्य कार्य योजना तैयार नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अकुशल आवंटन हुआ तथा पूरे राज्य के लिए सुव्यवस्थित एवं प्रणालीगत योजना का अभाव रहा।
तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाएँ स्थलीय वास्तविकताओं पर आधारित नहीं थीं।	जिलों द्वारा (ग्राम कार्य योजनाओं से उत्पन्न) कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों की आवश्यकताओं के सापेक्ष निधि आवश्यकता के आकलन के आधार पर समग्र योजनाएँ तैयार की जानी थीं। यह कार्य नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाएँ स्थलीय वास्तविकताओं पर आधारित नहीं थीं। (वार्षिक कार्य योजनाओं से संबंधित कमियों पर पैरा 2.2.4 में चर्चा की गई है।)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा लक्ष्यों का मनमाना निर्धारण	कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के लक्ष्य ग्राम कार्य योजनाओं से प्राप्त जिला कार्य योजनाओं में निर्धारित किए जाने थे। जिला कार्य योजनाएँ के अभाव में, ये लक्ष्य प्रमुख अभियंता द्वारा मनमाने रूप से निर्धारित किए गए, जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि ये बॉटम-अप योजना प्रक्रिया से प्राप्त नहीं हुए थे।
समन्वय में कमियाँ	डीडब्ल्यूएसएम ने वीएपी से उभरने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त आयोग अनुदान, मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, एमपीएलएडी, एमएलएएलएडी योजनाओं आदि जैसी अन्य योजनाओं के साथ समन्वय[8] के स्रोतों की पहचान नहीं की।
जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण गतिविधियाँ	नई प्रयोगशालाओं की स्थापना, समय पर एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने और मोबाइल प्रयोगशाला सुविधाओं को लागू करने के लिए त्रैमासिक योजनाएँ तैयार नहीं की गईं। आपूर्ति किए गए नल के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित न होने से यह सीधे तौर पर समुदायों के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है।

राज्य कार्य योजना:

कमी	प्रभाव
वार्षिक कार्य योजनाएँ राज्य कार्य योजना से तैयार नहीं किए गए।	वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई, जबकि 2021-22 एवं 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में विलंब हुआ। वार्षिक कार्य योजना को राज्य कार्य योजना से तैयार नहीं किया गया तथा स्पष्ट वार्षिक रोडमैप के अभाव में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के लिए अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसके कारण राज्य वार्षिक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। (वार्षिक कार्य योजना से संबंधित कमियों पर कंडिका 2.2.4 में चर्चा की गई है।)

सभी ग्राम कार्य योजनाओं को समेकित कर जिला कार्य योजना एवं राज्य कार्य योजना तैयार न किए जाने के कारण, ग्राम कार्य योजना तैयार करने की पूरी प्रक्रिया निरर्थक सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन से पूर्व जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन) द्वारा किए जाने वाले नियोजन से जो लाभ प्राप्त होने थे, वे भी प्राप्त नहीं हो सके।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया तथा कहा कि सभी जिलों में इन बैठकों को मासिक रूप से आयोजित किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने यह भी कहा कि चिन्हित कमियों के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

उत्तर में जिला कार्य योजनाओं तथा राज्य कार्य योजना के तैयार न किए जाने के कारणों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जल जीवन मिशन की मिशन अवधि के पश्चात राज्य कार्य योजना तैयार करना अप्रभावी होगा, क्योंकि यह पूर्व-नियोजन का विषय है। *(मध्य प्रदेश में सभी जिलों के लिए योजनाएँ पहले ही चिन्हित की जा चुकी हैं तथा कोई नई योजना परिकल्पित नहीं है)*।

2.2.4 वार्षिक कार्य योजनाएँ

जल जीवन मिशन दिशा-निर्देश, 2019 के पैरा 3.6 एवं 7.5.3 के अनुसार अनिवार्य वार्षिक कार्य योजनाएँ, राज्य कार्य योजना से प्राप्त एक महत्वपूर्ण परिचालन ढांचा हैं। वार्षिक कार्य योजना का उद्देश्य वार्षिक परिचालन ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करना है, जिसमें जिला-वार कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के भौतिक लक्ष्य, ग्राम/ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिले का कवरेज, वित्तीय प्रावधान, अन्य योजनाओं के साथ समन्वय/एकीकरण, सहायक गतिविधियाँ (जैसे-सामुदायिक सहभागिता, जल गुणवत्ता निगरानी आदि) तथा समय-सीमा का स्पष्ट विवरण होता है। वार्षिक कार्य योजना को समानता, समावेशन, सामुदायिक सहभागिता तथा स्थिरता के जल जीवन मिशन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया जाना अपेक्षित है तथा परामर्श के आधार पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) की स्वीकृति आवश्यक है। पूर्ववर्ती वार्षिक कार्य योजना के प्रदर्शन के आधार पर ही धनराशि का निर्गम किया जाता है।

8 अन्य योजनाओं जैसे वित्त आयोग अनुदान, राज्य योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं (एमजीएनआरईजीएस), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी), विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडी), आदि।

हालाँकि, वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक मध्य प्रदेश की वार्षिक कार्य योजनाओं के विश्लेषण से यह संकेत मिला कि उनके निर्माण, कार्यान्वयन तथा केन्द्रीय मार्गदर्शन के प्रति अनुक्रियाशीलता में व्यापक कमियाँ विद्यमान थीं, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी, वित्तीय अक्षमताएँ तथा सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने में विलंब हुआ।

2.2.4.1 वार्षिक कार्य योजनाओं में कमजोर नियोजन

मध्य प्रदेश की वार्षिक कार्य योजनाओं में निरंतर ऐसी मूलभूत कमियाँ पाई गईं, जिनके कारण संसाधनों का समुचित एवं लक्ष्यानुरूप आवंटन नहीं हो सका तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। दिसंबर 2019 में जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देश विलंब से जारी होने के कारण वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप 4.19 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन बिना किसी निर्धारित लक्ष्य के उपलब्ध कराए गए, इससे असंरचित कार्यान्वयन की परंपरा स्थापित हुई। इसके पश्चात तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाओं में अत्यधिक आशावादी/अवास्तविक लक्ष्य निर्धारण किया गया, जो मैदानी वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं था। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजनाओं में 26.27 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरुद्ध केवल 19.87 लाख (75.64 प्रतिशत) की उपलब्धि हुई, जबकि वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजनाओं में 22.01 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र 10.89 लाख (49.48 प्रतिशत) कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन ही प्रदान किए जा सके। वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना तक कुल मिलाकर 95.32 लाख के नियोजित लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 55.16 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धि हुई तथा वार्षिक उपलब्धि दर घटकर 41.79 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजनाओं में ग्राम/ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिला स्तर के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि 70 प्रतिशत से अधिक इकाइयाँ निम्न कवरेज श्रेणियों में थीं, तथापि योजनाओं में इन्हें पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई।

एक गंभीर कमी आँकड़ों की अविश्वसनीयता रही। वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना में राज्य के आँकड़ों और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन डैशबोर्ड के आँकड़ों के बीच आठ लाख परिवारों का अंतर पाया गया। यह स्थिति आँकड़ों के डेटा वैलिडेशन एवं रिपोर्टिंग में गंभीर कमियों की ओर संकेत करती है, जबकि विश्वसनीय नियोजन के लिए सटीक एवं प्रमाणिक आँकड़े अनिवार्य होते हैं।

बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) के लिए योजना निर्माण विशेष रूप से अप्रभावी रहा, क्योंकि वार्षिक कार्य योजना 2021-22 में एक ऐसी योजना का उल्लेख किया गया था, जिसके अंतर्गत एमवीएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन का लक्ष्य वर्ष 2023-24 निर्धारित किया गया था। चूँकि एमवीएस परियोजनाओं की पूर्णता अवधि 24-30 माह लंबी होती है, अतः इन्हें इतने विलंबित चरण में प्रस्तावित करना ही यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश शासन मूल समय-सीमा, अर्थात मार्च 2024 तक सार्वभौमिक संतृप्ति प्राप्त करने की स्थिति में कभी नहीं था। वास्तविकता में, वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत 29 एमवीएस योजनाएँ प्रारंभ की गईं, जिनकी अंतिम लक्षित पूर्णता तिथि जुलाई 2026 निर्धारित की गई। विभाग द्वारा पूर्व में निष्पादित एमवीएस परियोजनाओं के निष्पादन के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि टर्न-की परियोजनाओं में औसत पूर्णता अवधि 80 माह[9] रही है, जिससे यह अंतर्निहित जोखिम उत्पन्न होता है कि इन परियोजनाओं में संशोधित लक्ष्य तिथि मार्च 2028 से भी आगे तक विलंब हो सकता है। विभाग द्वारा आसान एवं त्वरित लाभ देने वाले विकल्पों की उपेक्षा की गई, जैसे कि 29,626 गाँवों में विद्यमान पाइप जल आपूर्ति (पीडब्ल्यूएस) योजनाओं का रेट्रोफिटिंग, जहाँ घरेलू कवरेज मात्र 40.93 प्रतिशत था। यह दृष्टिकोण अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता देने संबंधी जल जीवन मिशन के समानता के अनिवार्य सिद्धांत का उल्लंघन है।

सार्वजनिक संस्थानों के लिए 100-दिवसीय अभियान को वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही तक अव्यवस्थित ढंग से विस्तारित किया गया (जिसकी विस्तृत चर्चा कंडिका 3.10 में की गई है)। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू नल कनेक्शनों की चल रही योजनाओं के साथ एकीकृत करने के बजाय स्वतंत्र योजनाएँ आरंभ की गईं, जिनमें आठ जिलों की 4,173 परियोजनाओं में 103 से 402 दिनों तक की देरी हुई तथा अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी।

वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। 59,288 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसाहटों में से वर्ष 2021-22 के लिए केवल 11,307 को ही योजना में शामिल किया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अंतर्गत

9 बांसुजरा (बड़ामलहेरा) – विलंब 1901 दिन, पायलि – विलंब 1155 दिन, सगड़ हिनोतिया – विलंब 1971 दिन
औसत विलंब = (1901 दिन + 1155 दिन + 1971 दिन) / 3 = 1676 दिन = 56 महीने
औसत पूर्णता अवधि = 24 महीने (निर्धारित) + 56 महीने (औसत विलंब) = 80 महीने।

वर्ष 2020-21 में उपलब्धि मात्र 18.63 प्रतिशत रही तथा 80 प्रतिशत कार्य स्थगित कर दिए गए। इसी प्रकार, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत संतृप्ति हेतु लक्षित 79 गाँवों में से केवल 43 गाँवों को ही शामिल किया गया।

इन कमियों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्य योजना की संतृप्ति योजनाओं में 10,423 गाँवों को शामिल नहीं किया गया तथा मिशन अवधि की समाप्ति मार्च 2024 तक 19.95 लाख परिवार अब भी कवरेज से वंचित रह गए।

2.2.4.2 वार्षिक कार्य योजनाओं का अपर्याप्त निष्पादन

वार्षिक कार्य योजनाओं में क्रियान्वयन संबंधी कमियाँ भी परिलक्षित हुईं, जिनके परिणामस्वरूप लगातार कमजोर प्रदर्शन रहा तथा समन्वय के अवसरों का लाभ नहीं उठाया जा सका। वित्तीय नियोजन अविवेकपूर्ण था, क्योंकि वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना में ₹ 5,241 करोड़ के परिव्यय में अनिवार्य सामुदायिक अंशदान—जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थायित्व हेतु एक अपरिहार्य घटक है—को शामिल नहीं किया गया, जिससे सार्वजनिक निधियों पर अनुचित भार पड़ा। स्रोत सुदृढ़ीकरण एवं ग्रे-वाटर प्रबंधन हेतु 15वें वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 1,766 करोड़ में से केवल ₹ 450 करोड़ का ही प्रावधान किया गया, जिससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वय के अवसरों की उपेक्षा हुई। त्रैमासिक लक्ष्य अवास्तविक थे। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना में 20 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया (औसतन 6,030 प्रतिदिन), जबकि पूर्व अवधि में औसत उपलब्धि 5,450 प्रतिदिन रही थी, परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 में कम उपलब्धि दर्ज की गई।

परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की ऑनबोर्डिंग में विलंब हुआ, जबकि कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ (आईएसए) 4,576 एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस) में से केवल 3,910 के लिए ही नियुक्त की गईं, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (वीडब्ल्यूएससी) मात्र 50 प्रतिशत गाँवों में ही गठित की गईं (वर्ष 2021-22 में 13,560 का प्रावधान था, जिससे 26,199 गाँव कवरेज से वंचित रह गए)। ग्राम कार्य योजनाएँ (वीएपी) भी 51,674 गाँवों में से केवल आधे गाँवों तक सीमित रहीं। तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) की संख्या 20 लाख एफएचटीसी के लिए मात्र 28 रही, जिससे गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था प्रभावित हुई। जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) के लिए अपर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया गया (दिशा-निर्देशों में निर्धारित दो प्रतिशत के विरुद्ध एक प्रतिशत से भी कम), जबकि फील्ड टेस्ट किट (एफटी) के माध्यम से परीक्षण को प्रति गाँव वर्ष में केवल एक बार तक सीमित रखा गया, जिससे सामुदायिक सशक्तिकरण की उपेक्षा हुई। एसवीएस तथा एमवीएस में व्यापक विलंब देखा गया, जो कोविड-19 व्यवधानों एवं आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं से और अधिक बढ़ गया। यह स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि वार्षिक कार्य योजनाओं में नियोजन के स्तर पर जोखिम न्यूनीकरण को समुचित रूप से सम्मिलित नहीं किया गया।

2.2.4.3 भारत सरकार द्वारा सीमित पर्यवेक्षण तथा असमाधित कमियाँ

जल जीवन मिशन के विकेन्द्रीकृत मॉडल के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई, जबकि भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन दिशा-निर्देश, परामर्शी सहयोग तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। इस मॉडल की प्रमुख कमी यह रही कि वार्षिक कार्य योजनाओं में चिन्हित कमियों पर कठोर अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था का अभाव था। उदाहरणस्वरूप, लगातार कमजोर निष्पादन के बावजूद भारत सरकार द्वारा प्रवर्तन तंत्र —जैसे सशर्त निधि निर्गम अथवा दंडात्मक प्रावधान—लागू नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए बिना ही विलंब होता रहा। फलस्वरूप, सार्वभौमिक संतृप्ति के लिए निर्धारित मूल लक्ष्य तिथि मार्च 2024 को संशोधित कर मार्च 2028 कर दिया गया, जिससे परियोजना लागत में वृद्धि भी हुई।

इसके अतिरिक्त, आईएमआईएस (ई-जल शक्ति डैशबोर्ड) के माध्यम से स्वयं-रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर निर्भरता, तृतीय-पक्ष निरीक्षणों की अपर्याप्त व्यवस्था अथवा एफएचटीसी को आधार संख्या से जोड़े जाने का अभाव, आंकड़ों में अशुद्धियों को निरंतर बनाए हुए है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण राज्य द्वारा दर्शाए गए संतृप्ति आंकड़ों तथा राष्ट्रीय जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के बीच पाए गए अंतर से मिलता है, (चर्चा पूर्ववर्ती कंडिका 2.2.4.1 में की गई है)।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि भारत सरकार द्वारा चर्चा[10] अभिलेखों तथा जारी निर्देशों के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के वार्षिक कार्य योजनाओं में विद्यमान महत्वपूर्ण कमियों को बार-बार रेखांकित किया गया, तथापि इन कमियों का निराकरण नहीं किया गया, जो प्रणालीगत विफलताओं की ओर संकेत करती है।

2019-20	कोई वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई
2020-21	भारत सरकार द्वारा कोई निर्देश/अनुदेश जारी नहीं किए गए।
2021-22 वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा।	भारत सरकार ने संतृप्ति समय-सीमा को पुनः निर्धारित करने (यह 2022-23 की समय-सीमा से असंगत थी तथा इसके परिणामस्वरूप 20.92 लाख एफएचटीसी 2023-24 में स्थानांतरित हो गए), समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाइप वाटर सप्लाई योजनाओं के रेट्रोफिटिंग/संवर्द्धन को प्राथमिकता देने, एससी/एसटी/पीवीटीजी/डीपीएपी/एसएजीवाई क्षेत्रों के अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने (जैसे डीपीएपी के अंतर्गत केवल 20 प्रतिशत कवरेज की योजना), समुदाय अंशदान को अनिवार्य करने, पीएमयू/आईएसए/तृतीय पक्ष कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति में तेजी लाने, सहायता गतिविधियों बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने (2.5 प्रतिशत से या ₹ 161.79 करोड़), जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस पर व्यय को 2 प्रतिशत तक बढ़ाने, बार-बार एफटीके परीक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने, आईएमआईएस पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा ग्राम कार्य योजना के विवरण को अद्यतन करने तथा 100-दिवसीय अभियान को शीघ्र पूर्ण करने की सलाह दी।
2022-23	भारत सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी नहीं किए गए।
2023-24 वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा।	भारत सरकार ने हर घर जल प्रमाणन, 15वें वित्त आयोग के साथ समन्वय तथा आंकड़ों के मिलान पर विशेष जोर दिया।

इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, मध्य प्रदेश द्वारा न तो योजनाओं में संशोधन किया गया, न ही प्राथमिकता क्षेत्रों के कवरेज में वृद्धि की गई, न ही शेष ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया, न ही पर्याप्त आईएसए/टीपीआईए की नियुक्ति सुनिश्चित की गई तथा न ही परीक्षण प्रोटोकॉल आदि में सुधार किया गया। यह स्थिति इस लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों से स्पष्ट होती है, जिनकी चर्चा (कंडिका 2.3.2, 3.11 एवं 3.12 में) की गई है।

2.3 अन्य महत्वपूर्ण योजना संबंधी मुद्दे

2.3.1 अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरूप एसवीएस एवं एमवीएस परियोजनाओं का मनमाना चयन

जेजेएम दिशा-निर्देशों (अध्याय 6) के अनुसार, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा क्यू एंड क्यू (मात्रा एवं गुणवत्ता) के आधार पर ऐसे ब्लॉकों की सूची चिन्हित की गई है, जहाँ निर्धारित गुणवत्ता का भूजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिन गांवों में भूजल/झरना जल क्यू एंड क्यू मानकों के अनुरूप उपलब्ध है, वहाँ एकल ग्राम योजना (एसवीएस) का कार्यान्वयन किया जाता है। जिन ब्लॉकों में भूजल क्यू एंड क्यू मानकों के अनुरूप उपलब्ध नहीं है, उन्हें बहु ग्राम योजना (एमवीएस) हेतु चयनित किया जाता है। मध्य प्रदेश में जेजेएम के कार्यान्वयन से पूर्व, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा क्यू एंड क्यू ब्लॉकों की सूची के आधार पर सभी गांवों को निर्धारित समय-सीमा में आच्छादित करने हेतु एसवीएस एवं एमवीएस को अपनाने के लिए राज्य कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एसडब्ल्यूएसएम द्वारा उपयुक्त हाइड्रोजियोलॉजिकल आकलन भी किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसडब्ल्यूएसएम ने उपलब्ध क्यू एंड क्यू ब्लॉकों की सूची के आधार पर एसवीएस एवं एमवीएस को अपनाने के लिए एक समग्र राज्यव्यापी योजना तैयार नहीं की, न ही उन्होंने पानी की उपलब्धता और स्रोत स्थिरता का आकलन करने के लिए ब्लॉक-वार अध्ययन किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसडब्ल्यूएसएम ने हाइड्रोजियोलॉजिकल मूल्यांकन के बिना या क्यू एंड क्यू ब्लॉकों की सूची के आधार पर एसवीएस को मंजूरी दी।

10 वार्षिक कार्ययोजनाओं पर हुई चर्चाओं के अभिलेखित कार्यवृत्त।

कानपुर आईआईटी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया कि मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र कठोर चट्टानों और जलोढ़ मैदानों से बना एक जटिल भूभाग है। अधिकांश क्षेत्र में एक अभेद्य उपसतह है तथा कठोर जलवायु परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिससे भूजल की उपलब्धता अत्यधिक अनिश्चित हो जाती है और वर्तमान स्थिर जल स्तर[11] जमीनी स्तर (एमबीजीएल) से 40 मीटर नीचे है, यह क्षेत्र धीरे-धीरे 200 एमबीजीएल तक अर्द्ध-गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रहा है।

छतरपुर जिले में 1,082 गांव तथा टीकमगढ़ जिले में 674 गांव थे (दोनों ही मध्य प्रदेश के जल-अभावग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं)। इन जिलों में नियोजित/ क्रियान्वित बहु ग्राम योजनाओं एवं एकल ग्राम योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

योजनाएँ	छतरपुर जिला	टीकमगढ़ जिला
नियोजित बहु ग्राम योजनाएँ	**878 गांव**	**201 गांव**
नियोजित एकल ग्राम योजनाएँ	**204 गांव**	**473 गांव**
कुल	**1,082 गांव**	**674 गांव**

हालाँकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 248 गांव —छतरपुर (170) तथा टीकमगढ़ (78)—जिन्हें पूर्व में एसवीएस के अंतर्गत लिया गया था, बाद में एमवीएस में स्थानांतरित कर दिए गए। यह दर्शाता है कि इन 248 गांवों में जल स्रोत की स्थिरता संदिग्ध थी, जिसके कारण उन्हें एमवीएस में स्थानांतरित करना पड़ा। यह स्थिति जेजेएम के अंतर्गत मात्रा एवं गुणवत्ता ब्लॉकों अथवा जल-भूवैज्ञानिक स्थिति का समुचित आकलन किए बिना गांवों के लिए योजनाओं के मनमाने चयन का परिणाम थी। विभाग द्वारा, संपूर्ण क्षेत्र के जल-अभावग्रस्त होने के बावजूद, इन गांवों में एसवीएस के चयन के लिए कोई कारण/औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, इन गांवों में (एसवीएस के अंतर्गत) जल स्रोत सृजन पर किया गया व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

मामले की सूचना शासन को दी गई थी, और उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (अगस्त 2025)।

2.3.2 ग्रामीण समुदाय की अपर्याप्त सहभागिता

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 5.4 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत और/या उसकी उप-समिति, जैसे कि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति /पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि, ग्राम में जल आपूर्ति अवसंरचना की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव में प्रमुख भूमिका निभाएंगी।

लेखापरीक्षा में जेजेएम की योजना और कार्यान्वयन में ग्रामीण समुदायों की सहभागिता में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्लूएससी) का गठन न होना	आठ चयनित जिलों में कुल 7,245 गांवों के विरुद्ध 5,517 गांवों (76.14 प्रतिशत) में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (वीडब्ल्यूएससी) गठित की गई, जैसा कि **परिशिष्ट 5** में विवरणित है।
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्लूएससी) की बैठकों में कमी	लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए 32 गांवों में से 20 गांवों में, जेजेएम दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वार्षिक चार अनिवार्य बैठकों का संचालन ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) द्वारा नहीं किया गया।
पूंजी योगदान हेतु समुदाय की सहमति का अभाव	लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए 32 गांवों में से किसी भी ग्राम में ग्राम पंचायत/ ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) ने परियोजना की पूंजी लागत में योगदान हेतु समुदाय के 80 प्रतिशत सदस्यों की सहमति नहीं ली, जहाँ यह 5/10 प्रतिशत योगदान लागू था।

इस प्रकार, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) द्वारा प्रभावी सामुदायिक सहभागिता का अभाव जेजेएम के सामुदायिक-संचालित दृष्टिकोण के विजन को कमजोर करता है, जिससे योजनाएँ अस्थिर बन सकती हैं और समुदाय में स्वामित्व/सामाजिक जिम्मेदारी की भावना कमजोर हो जाती है। यह जेजेएम की दीर्घकालिक सफलता के लिए खतरा उत्पन्न करता है।

मामले की सूचना शासन को दी गई थी, और उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (अगस्त 2025)।

11 यह उस स्तर को संदर्भित करता है, जिस पर जलभृत से कोई जल निकासी न होने की स्थिति में कुएँ में पानी स्थिर रहता है।

2.3.3 एफएचटीसी प्रदान करने के लिए गांवों को प्राथमिकता न देना

2.3.3.1 एससी/ एसटी बहुल क्षेत्र और सूखाग्रस्त क्षेत्र

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 3.3 (ii) में गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों में एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के आदेश (29 सितंबर 2020) में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जिनमें एससी/एसटी बहुल क्षेत्र भी शामिल हैं, में 100 प्रतिशत एफएचटीसी कवरेज योजना लागू करने का निर्देश दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि तीन जिलों (छतरपुर, ग्वालियर और विदिशा) ने जेजेएम योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के दौरान एससी/एसटी बहुल गांवों को प्राथमिकता नहीं दी। परिणामस्वरूप, 520 एससी/एसटी गांवों, जिनकी कुल जनसंख्या 3,72,745 थी, को पाइप जल आपूर्ति के लिए प्राथमिकता नहीं दी गई।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश शासन ने वार्षिक कार्य योजना 2020-21 में 17,285 गांवों को सूखा प्रवण एवं रेगिस्तानी क्षेत्र (डीपीडीए) के रूप में चिन्हित किया था। हालांकि, 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना में विभाग ने डीपीडीए के अंतर्गत किसी भी उपलब्धि को प्रदर्शित नहीं किया था। इस प्रकार, पाइप जल आपूर्ति के लिए डीपीडीए को प्राथमिकता देने के संदर्भ में विभाग के प्रदर्शन पर लेखापरीक्षा कोई टिप्पणी नहीं कर सकती।

2.3.3.2 आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित गांव

एसडब्ल्यूएसएम की 16वीं शीर्ष समिति की बैठक (3 मार्च 2020) की कार्यवृत्त में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों[12] के अनुपालन में दिसंबर 2020 तक आर्सेनिक एवं फ्लोराइड से प्रभावित सभी क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

लेखापरीक्षा में डिंडोरी जिले में यह पाया गया कि 33 फ्लोराइड-प्रभावित गाँवों में से 18 गाँवों में इलेक्ट्रोलाइटिक डी-फ्लोरिडेशन यूनिट (ईडीएफ)[13] (दिसंबर 2021) में स्थापित की गई थीं, जबकि शेष 15 गाँवों में उच्च फ्लोराइड स्तर होने के बावजूद बिना डी-फ्लोरिडेशन के पाइप जल की आपूर्ति जारी रही। यह शीर्ष समिति तथा एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने (जून 2025 में) प्रमुख अभियंता , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को डिंडोरी जिले के फ्लोराइड-प्रभावित गाँवों में सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए।

आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई थी (जुलाई 2025)।

2.3.4 समन्वय

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 3.6 में यह उपबंधित किया गया है कि वीएपी तथा डीएपी के आधार पर स्रोत की निरंतरता एवं ग्रे-वॉटर प्रबंधन उपायों के लिए समन्वय हेतु राज्य कार्य योजना बनाई जाएगी। जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 5.3 में इन कार्यों के लिए समन्वय के माध्यम से निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है तथा इसे डीपीआर की स्वीकृति के लिए अनिवार्य शर्त बनाया गया है। जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 6.3 में जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन तथा ग्रे-वॉटर प्रबंधन के माध्यम से जल सुरक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के साथ समन्वय पर बल दिया गया है।

आठ परीक्षण-जाँच किए गए जिलों में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि पीएचईडी द्वारा तैयार किए गए डीपीआर में समन्वय के माध्यम से लागू किए जाने वाले जल सुरक्षा, स्थिरता तथा ग्रे-वॉटर प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों का अभाव था। परिणामस्वरूप, निरंतरता से संबंधित कार्य निष्पादित नहीं किए गए। विभाग द्वारा जल स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु रीचार्ज स्ट्रक्चर की स्थापना के लिए कोई योजना भी विकसित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, डीडब्ल्यूएसएम द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य निधियों तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से

12 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का आदेश दिनांक 28.01.2020 :मूल आवेदन संख्या 384 of 2019 :श्रीमती सुनीता पाण्डेय एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

13 इलेक्ट्रोलाइटिक डी-फ्लोरिडेशन, जल से अतिरिक्त फ्लोराइड को हटाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक जल उपचार तकनीक है।

संबंधित अन्य कार्यक्रमों के संसाधनों को समेकित करते हुए वर्ष-वार वित्तीय योजना तैयार नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, जल निगम द्वारा निष्पादित चार[14] एमवीएस के डीपीआर एवं अनुबंधों में भी "ग्रे-वॉटर प्रबंधन" को शामिल नहीं किया गया था।

ये मुद्दे जल संसाधन प्रबंधन हेतु रणनीति के निर्माण तथा समन्वय के माध्यम से प्रभावी वित्तीय योजना में चूक को दर्शाते हैं, जो योजना के कार्यान्वयन में गंभीर विफलताओं की ओर संकेत करते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव इन गाँवों में दीर्घकालीन जल उपलब्धता पर पड़ेगा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रबंध निदेशक, जल निगम तथा प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने (जून 2025 में) यह बताया कि जल संरक्षण से संबंधित प्रयास अन्य विभागों की जिम्मेदारी हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होने के नाते पीएचईडी, विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य के माध्यम से जल संरक्षण, ग्रे-वॉटर प्रबंधन आदि सुनिश्चित करने हेतु समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

2.4 निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की लेखापरीक्षा में योजना निर्माण में प्रणालीगत विफलताओं की पहचान की गई है, जिससे मिशन की विकेन्द्रित, मांग-आधारित एवं बॉटम-अप योजना प्रक्रिया कमजोर हुई तथा 'हर घर जल' के लिए निर्धारित समय-सीमा (मार्च 2024) में विलंब हुआ। आधारभूत खामियों में कई गाँवों में मूलभूत सर्वेक्षणों का अभाव अथवा विलंब शामिल है, जो कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की अपूर्ण नियुक्ति के कारण उत्पन्न हुआ। इसके परिणामस्वरूप आकलन में अशुद्धियाँ हुईं तथा एकल ग्राम योजनाओं की लागत में वृद्धि हुई।

समुदाय की भागीदारी सतही रही तथा इससे ग्रामीण समुदाय का समुचित संवेदनशीलकरण नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय सहभागिता (समुदाय अंशदान) लगभग शून्य रही और स्वामित्व की भावना भी क्षीण हुई। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (वीडब्ल्यूएससी) अधिकांशतः निष्क्रिय पाई गईं तथा ग्राम कार्य योजनाओं में स्रोत की स्थिरता एवं गुणवत्ता की पहचान नहीं की गई। जिला कार्य योजनाएँ एवं राज्य कार्य योजनाएँ, ग्राम कार्य योजनाओं को सम्मिलित कर के तैयार नहीं की गई, जिसके कारण अवास्तविक वार्षिक कार्य योजनाएँ बनीं, जिनमें आँकड़ों में विसंगतियाँ रहीं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल, सूखा-प्रवण तथा आर्सेनिक/फ्लोराइड-प्रभावित क्षेत्रों जैसी प्राथमिकताओं की उपेक्षा हुई। परिणामस्वरूप, योजना निर्माण की प्रक्रिया शीर्ष-से-नीचे की ओर रही, जो जमीनी वास्तविकताओं से कटी हुई थी।

हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययनों के बिना योजनाओं को मनमाने ढंग से अपनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में बाद में एकल ग्राम योजनाओं से बहु-ग्राम योजनाओं की ओर स्थानांतरण करना पड़ा, जिससे व्यर्थ व्यय हुआ। जल पुनर्भरण एवं ग्रे-वॉटर प्रबंधन हेतु समन्वय की उपेक्षा की गई, जिससे दीर्घकालिक जोखिम और अधिक बढ़ गए।

2.5 अध्याय संबंधी अनुशंसाएँ

अनुशंसा की जाती है कि मध्य प्रदेश शासन:

1. शेष सभी गाँवों में आईएसए का उपयोग करते हुए 100 प्रतिशत ग्राम कार्य योजना कवरेज शीघ्र सुनिश्चित करें।

2. सभी गाँवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ गठित/सक्रिय करें, आईईसी अभियानों के माध्यम से पूँजी/संचालन एवं अनुरक्षण के लिए (5-10 प्रतिशत समुदाय अंशदान सुनिश्चित करने का प्रयास करें) जनजागरूकता फैलाएँ एवं जेजेएम हैंडबुक के अनुसार स्थानीय लोगों को जल गुणवत्ता परीक्षण और स्रोत संरक्षण के प्रति संवेदनशील करें।

3. सभी नई/चल रही योजनाओं के लिए अनिवार्य हाइड्रोजियोलॉजिकल मूल्यांकन कराएँ, पारंपरिक जल स्रोतों (जैसे, तालाब, झरने) को पुनर्जीवित करें तथा वर्षा जल संचयन जैसे जल पुनर्भरण उपायों को लागू करें।

उपरोक्त अनुशंसाओं को अंतिम अध्याय में उपयुक्त रूप से संक्षिप्त किया गया है।

14 सगड़ हिनोतिया, बानसुजारा (बड़ामलहेड़ा), बानसुजारा (टीकमगढ़) और पायली एमवीएस

अध्याय-III
कार्यान्वयन

संपवेल

मास्टर बैलेंसिंग जलाशय

अध्याय III: कार्यान्वयन

इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, आठ नमूना जांच किए गए जिलों में, हमने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित 144 एसवीएस[15] (4570 एसवीएस में से) और जल निगम द्वारा कार्यान्वित 24 एमवीएस में से चार एमवीएस (1009 गांवों को मिलाकर) की जांच की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा एसवीएस और जल निगम द्वारा एमवीएस के निष्पादन में देखी गई अनियमितताओं का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

3.1 योजनाओं की प्रगति

लेखापरीक्षा में सभी आठ जिलों में अवसंरचना के निर्माण की प्रगति धीमी पाई गई। सितंबर 2024 तक एमवीएस और एसवीएस की जिला-वार प्रगति का विवरण नीचे **तालिका 7** में दर्शाया गया है।

तालिका 7: चयनित आठ जिलों में जलापूर्ति अवसंरचना के निर्माण की स्थिति

जिला	बहु ग्राम योजना						एकल ग्राम योजना		
	योजनाओं की संख्या	गांवों की संख्या	पूर्ण की गई योजनाओं की संख्या	गांवों की संख्या	प्रगतिरत योजनाओं की संख्या	गांवों की संख्या	कुल	पूर्ण	प्रगतिरत
मध्य प्रदेश	**147**	**35,126**	**39**	**2,340**	**108**	**32,786**	**27,336**	**15,739**	**11,597**
चयनित आठ जिले									
छतरपुर	6	878	1	119	5	759	204	54	150
डिंडोरी	3	897	0	0	3	897	448	144	304
ग्वालियर	2	212	0	0	2	212	455	235	220
झाबुआ	5	311	0	0	5	311	716	276	440
नर्मदापुरम	0	0	0	0	0	0	858	329	529
नरसिंहपुर	1	63	0	0	1	63	894	563	331
टीकमगढ़	1	201	0	0	1	201	473	136	337
विदिशा	6	1,547	1	109	5	1,438	522	256	266
कुल	**24**	**4,109**	**2**	**228**	**22**	**3,881**	**4,570**	**1,993**	**2,577**

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल निगम के अभिलेख)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 147 एमवीएस योजनाओं में से केवल 39 योजनाएँ (27 प्रतिशत) ही पूर्ण की गई थीं, जबकि एसवीएस के मामले में 27,336 योजनाओं में से 15,739 एसवीएस योजनाएँ (58 प्रतिशत) पूर्ण की गई थीं (सितंबर 2024)। जिन जिलों की जाँच की गई, वे राज्य के औसत से काफी पीछे पाए गए (एमवीएस में 8 प्रतिशत उपलब्धि तथा एसवीएस में 44 प्रतिशत उपलब्धि)। एमवीएस में लक्ष्य प्राप्ति में विलंब का प्रमुख कारण एमवीएस के आवंटन में देरी तथा स्थल की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन किए बिना योजनाओं को शुरू करना था।

3.2 एसडब्ल्यूएसएम द्वारा वित्तीय प्रगति धीमी होने के कारण निधियों का जारी न होना

भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधि के उपयोग का आकलन करने के पश्चात जल जीवन मिशन की निधियाँ किश्तों में जारी करती है। निधियों के अनावश्यक पार्किंग से बचने हेतु वित्त मंत्रालय के 'जस्ट इन टाइम' सिद्धांत के अनुरूप निधियों की अदायगी की योजना बनाई जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में निधियाँ प्रदान की जाती हैं, जिनमें प्रत्येक किस्त दो भागों (ट्रांच) में जारी की जाती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

15 एक अनुबंध में एक से अधिक एसवीएस सम्मिलित थी।

प्रथम किस्त	वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवंटन का 50 प्रतिशत
	● प्रथम भाग : अधिशेष प्रारंभिक शेष को समाहित करने के पश्चात प्रथम किस्त का 50 प्रतिशत
	● द्वितीय भाग : प्रथम किस्त का 50 प्रतिशत (प्रथम किश्त का 80 प्रतिशत समाप्त होने के बाद)
द्वितीय किस्त	वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवंटन का 50 प्रतिशत (केंद्रीय निधियों के 60 प्रतिशत उपयोग के आधार पर)
	● प्रथम भाग : अधिशेष प्रारंभिक शेष (OB) को समाहित करने के पश्चात द्वितीय किस्त का 50 प्रतिशत
	● द्वितीय भाग : प्रथम किस्त का 50 प्रतिशत (प्रथम भाग के 80 प्रतिशत उपयोग के पश्चात)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

➢ राज्य सरकार वर्ष 2019-23 की अवधि के दौरान भारत सरकार के समकक्ष अपना योगदान जारी नहीं कर सकी (राज्य के योगदान जारी करने में 41 प्रतिशत की कमी रही)।

➢ विभाग किसी भी वर्ष में उपलब्ध निधियों का 80 प्रतिशत उपयोग नहीं कर सका। राज्य द्वारा उपलब्ध निधियों के 80 प्रतिशत का उपयोग न किए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा आवंटित निधियाँ जारी नहीं की गईं। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2019-24 के दौरान आवंटित अंश के रूप में ₹ 9,297.11 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त नहीं हो सकी, जिसका विवरण नीचे **तालिका 8** में विस्तार दिया गया है।

तालिका 8: केंद्रीय एवं राज्य योगदान का विवरण, जिसके अभाव में योजना वंचित रही

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्य केंद्रीय योगदान	राज्य द्वारा जारी किया जाने वाला राज्य योगदान	जारी किया गया केंद्रीय योगदान	राज्य द्वारा जारी किया गया राज्य योगदान	कुल व्यय (प्रतिशत में)	केंद्रीय योगदान से वंचित योजना	राज्य योगदान से वंचित योजना
1	2	3	4	5	6	7	8=3-5	9=3-6
1	2019-20	571.00	571.00	571.60	315.00	615.40(69)	-0.60	256.00
2	2020-21	1,280.13	1,280.13	960.09	1,381.84	1,890.69(73)	320.04	-101.71
3	2021-22	5,116.79	5,116.79	3,837.59	3,795.93	4,742.11(57)	1,279.20	1,320.86
4	2022-23	5,641.02	5,641.02	2,820.50	2,714.69	7,042.82(76)	2,820.52	2,926.33
5	2023-24	10,297.85	10,297.85	5,419.90	5,353.54	12,779.11(99)	4,877.95	4,944.31
	कुल	**22,906.79**	**22,906.79**	**13,609.68**	**13,561.00**	**27,070.13**	**9,297.11**	**9,345.79**

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभिलेख)

प्रकरण शासन को सूचित किया गया था, और उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

3.3 भौतिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न करना

अनुबंध की सामान्य शर्तों की खंड 35.1 के अनुसार, कार्य की भौतिक पूर्णता के पश्चात प्रभारी अभियंता द्वारा अनुबंध डेटा (परिशिष्ट-यू) में निर्धारित प्रारूप में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना था। खंड 35.2 के अनुसार, ठेकेदार को अंतिम भुगतान किए जाने के पश्चात प्रभारी अभियंता द्वारा अनुबंध डेटा (परिशिष्ट-वी) में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में अंतिम पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा में (अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान) यह पाया गया कि चार जिलों[16] के अंतर्गत सात एसवीएस में योजनाएँ पूर्ण कर ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई थीं, तथापि तीन से 28 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद प्रभारी अभियंता द्वारा न तो भौतिक पूर्णता प्रमाण-पत्र और न ही अंतिम पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए गए **(परिशिष्ट-6)**।

16 झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर एवं टीकमगढ़।

इस प्रकार के प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना एक अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकता है जिसे ग्राम पंचायतों को योजनाओं के पूरा होने और सौंपे जाने से पहले पूरा किया जाना चाहिए था। इन प्रमाणपत्रों के अभाव में, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधूरी योजनाओं को समय से पहले सौंपे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जेपीआई/लाभार्थी सर्वेक्षण इस दावे का समर्थन करता है, क्योंकि ऑडिट द्वारा भौतिक रूप से निरीक्षण किए गए 28 एसवीएस में से सात गैर-कार्यात्मक पाए गए, जो इन गांवों में 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल करने के सरकारी दावों का खंडन करता है।

कार्यपालन यंत्रियों ने (अगस्त से अक्टूबर 2024) उत्तर दिया कि भौतिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। हालांकि, आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया है (जुलाई 2025)।

3.4 क्षतिपूरक शास्ति (एलडी) की वसूली न होना

एसवीएस के अनुबंध की सामान्य शर्तों के भाग-I के खंड 15 (विलंब के लिए मुआवजा) और एमवीएस के "अनुबंध की शर्तों" के खंड 13 के अनुसार, कार्य निष्पादन हेतु दिए गए समय का ठेकेदार द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा समय-सीमा एवं/या निर्धारित लक्ष्य का पालन करने में विफलता पर विलंब के प्रति दिन 0.05 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाएगा, जो अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।

लेखापरीक्षा में (अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच) आठ जिलों[17] में यह पाया गया कि:

- ठेकेदारों द्वारा (एसवीएस कार्यों के अंतर्गत) 30 अनुबंधों में कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किए गए। इन कार्यों में 136 दिनों से लेकर 1,262 दिनों तक की देरी पाई गई। 27 अनुबंधों में समय-विस्तार के मामले या तो तैयार ही नहीं किए गए अथवा स्वीकृत नहीं किए गए तथा एलडी भी आरोपित नहीं किया गया, जबकि शेष तीन प्रकरणों में अपेक्षित से कम एलडी आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.09 करोड़ की राशि का एलडी आरोपित न किया जाना/कम आरोपित किया जाना पाया गया (परिशिष्ट-7)।
- पायली, सगड़ हिनोतिया तथा बांसुजारा एमवीएस क्रमशः 1155 दिन, 1971 दिन तथा 1901 दिनों की देरी से पूर्ण की गईं। देय कुल एलडी ₹ 95.92 करोड़ के विरुद्ध, सगड़ हिनोतिया एवं बांसुजारा एमवीएस में कोई भी राशि वसूल नहीं की गई, जबकि पायली एमवीएस में (₹ 64.54 करोड़ के सापेक्ष) केवल ₹ 8.46 करोड़ की राशि ही रोकी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.46 करोड़ की राशि की एलडी आरोपित न किया जाना/कम आरोपित किया जाना पाया गया (परिशिष्ट-8)।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, पीएचईडी के प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में स्पष्ट किया कि विलंब से पूर्ण हुई परियोजनाओं के लिए समय-सीमा विस्तार के अंतिम निर्णय हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं और एलडी उपयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। तथापि, समय-सीमा विस्तार के निर्णय में विलंब के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

इस संबंध में आगे की प्रगति लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।

3.5 अनुमानों में कमियाँ

3.5.1 अवास्तविक लागत अनुमानों के कारण लागत वृद्धि से राज्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 7.5 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य को पाँच वर्षीय राज्य कार्ययोजना तैयार करनी होगी, जिसमें एफएचटीसी के वार्षिक लक्ष्य तथा उनसे संबंधित वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान किया जाएगा। जेजेएम के अंतर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं का कार्यान्वयन लागत एवं समय में बिना किसी अतिव्यय के किया जाना होगा। स्वीकृत लागत से अधिक किसी भी प्रकार की लागत वृद्धि की स्थिति में, उसका वहन संबंधित राज्य एवं विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा तथा केंद्रीय योगदान से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय अनुमत नहीं होगा।

17 छतरपुर, डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।

यह पाया गया (अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान) कि आठ जिलों[18] में 853 एकल ग्राम योजनाएँ ₹ 668.67 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई थीं, परंतु कार्यान्वयन के दौरान योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त ₹ 328.33 करोड़ की राशि व्यय किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संबंधित जिलों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिनकी स्वीकृति राज्य शासन स्तर पर लंबित थी। लागत में इस वृद्धि का कारण एफएचटीसी की संख्या में वृद्धि, अनुमान में अतिरिक्त मात्रा तथा अतिरिक्त मदों का सम्मिलन था। अतः जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 7.5 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त ₹ 328.33 करोड़ की संपूर्ण अतिरिक्त लागत का वहन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाना होगा, जिसका विवरण परिशिष्ट–9 में दिया गया है। यदि राज्य के समस्त 52 जिलों को व्यापक (मैक्रो) स्तर पर विचार में लिया जाए, तो यह अतिरिक्त लागत और अधिक बढ़ सकती है। संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में, भारी व्यय किए जाने के पश्चात भी ये योजनाएँ अपूर्ण अवस्था में हैं तथा इनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा यह समझने में असमर्थ है कि राज्य शासन द्वारा योजनाओं को पूर्ण करने हेतु इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी।

कार्यपालन यंत्रियों ने (अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान) उत्तर दिया कि स्रोतों का दूरस्थ स्थानों पर उपलब्ध होना, नई बसाहटों का सम्मिलन तथा एफएचटीसी के प्रावधान जैसे विभिन्न कारणों से लागत में वृद्धि हुई, जिसके लिए संशोधित अनुमान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए थे। निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा इसके अतिरिक्त कोई अन्य उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अवास्तविक अनुमान तथा नई बसाहटों के सम्मिलन के कारण लागत में वृद्धि हुई, जैसा कि कंडिका में उल्लेखित है। यह स्थिति दर्शाती है कि आधारभूत सर्वेक्षणों में कमी थी, जैसा कि पूर्व में भी अवलोकित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

3.5.2 न्यूनतम सड़क क्रॉसिंग (मिनिमम रोड क्रॉसिंग) सुनिश्चित किए बिना एफएचटीसी प्रदान करने के कारण अतिरिक्त लागत

अनुबंध का अभिन्न अंग बनी तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार, पाइपलाइनें उस सड़क की ओर बिछाई जा सकती हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक हो। तदनुसार, अर्थव्यवस्था के हित में अधिकांश मामलों में रोड क्रॉसिंग किए बिना एफएचटीसी उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं के डीपीआर एवं बीओक्यू तैयार किए गए।

पीएचईडी के एसओआर के अनुसार, *'रोड क्रॉसिंग के साथ एफएचटीसी प्रदान करना'*(₹ 2120 प्रति एफएचटीसी) मद *'रोड क्रॉसिंग के बिना एफएचटीसी प्रदान करना'* (₹ 2030 प्रति एफएचटीसी) की तुलना में अधिक महंगा था।

लेखापरीक्षा में (अगस्त 2024 और अक्टूबर 2024 के बीच) यह पाया गया कि चार जिलों[19] में सात अनुबंध के बीओक्यू में बिना रोड क्रॉसिंग वाले की तुलना में रोड क्रॉसिंग वाले अधिक संख्या में एफएचटीसी का प्रावधान किया गया था। 4600 एफएचटीसी में से 3635 एफएचटीसी (79 प्रतिशत) में रोड क्रॉसिंग का प्रावधान किया गया था जबकि 965 एफएचटीसी (21 प्रतिशत) में रोड क्रॉसिंग का प्रावधान नहीं किया गया था। निष्पादन के दौरान यह पाया गया कि कुल प्रदान किए गए एफएचटीसी को 4600 से घटाकर 3081 एफएचटीसी कर दिया गया था, अर्थात 2,669 एफएचटीसी (87 प्रतिशत) में रोड क्रॉसिंग थी और 412 एफएचटीसी (13 प्रतिशत) में रोड क्रॉसिंग नहीं थी। इसलिए निष्पादन के दौरान, रोड क्रॉसिंग वाले एफएचटीसी 79 प्रतिशत से बढ़कर 87 प्रतिशत हो गए।

अन्य सात अनुबंध में, जहां बिना रोड क्रॉसिंग वाले की तुलना में रोड क्रॉसिंग वाले एफएचटीसी की कम व्यवस्था की गई थी, तीन जिलों[20] के बीओक्यू में 6392 एफएचटीसी में से 2670 एफएचटीसी (42 प्रतिशत) में रोड क्रॉसिंग का प्रावधान किया गया था, जबकि 3722 एफएचटीसी (58 प्रतिशत) में रोड क्रॉसिंग का प्रावधान नहीं किया गया था। निष्पादन के दौरान यह पाया गया कि 4673 एफएचटीसी (88 प्रतिशत) में रोड क्रॉसिंग सहित और 658 एफएचटीसी (12 प्रतिशत) रोड क्रॉसिंग के बिना बनाए गए। इसलिए निष्पादन के दौरान, रोड क्रॉसिंग वाले एफएचटीसी की संख्या 42 प्रतिशत से बढ़कर 88 प्रतिशत हो गई।

18 छतरपुर, डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।
19 छतरपुर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और टीकमगढ़।
20 ग्वालियर, नरसिंहपुर और विदिशा।

ये विचलन दर्शाते हैं कि विभाग ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और निष्पादन से संबंधित जेजेएम दिशा-निर्देशों और तकनीकी विशिष्टताओं का पालन नहीं किया। रोड क्रॉसिंग के साथ एफएचटीसी के के प्रावधानित मात्राओं/आवंटित मात्राओं से अधिक असंगत निष्पादन के परिणामस्वरूप ₹ 0.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 10** में बताया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रमुख सचिव ने प्रमुख अभियंता को इस मुद्दे की व्यापक स्तर पर जांच करने का निर्देश दिया।

इस संबंध में आगे की प्रगति लेखापरीक्षा (जुलाई 2025) में प्रतीक्षित है।

3.5.3 बढ़े हुए अनुमान पर निविदा का आमंत्रण

जल निगम द्वारा सभी सिविल कार्यों के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (यूएडीडी) द्वारा जारी एसओआर (2012 एवं 2021) को अपनाया गया है।

पायली और बंसुजारा (टीकमगढ़) एमवीएस के डीपीआर की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीसी एम-30[21] द्वारा सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क जीर्णोद्धार कार्य के लिए डीपीआर में प्रावधान किए गए थे। सीसी फुटपाथ के लिए एसओआर 2012 की मद संख्या 6.5 और एसओआर 2021 की मद संख्या 6.2 के अनुसार दर अपनाने के बजाय, सीसी उप-संरचना (मद संख्या 15.20 एसओआर 2012) और (मद संख्या 18.14.1 एसओआर 2021) के लिए लागू दर अपनाई गई, जो अधिक महंगी थी। इसके परिणामस्वरूप लागत में ₹ 3.75 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका विवरण नीचे **तालिका 9** में दिया गया है:

तालिका 9: डीपीआर में बढ़े हुए अनुमान का विवरण

(राशि ₹ में)

योजना	एम-30 की मात्रा (घन मीटर में)	एम-30 की दर यूएडीडी एसओआर 2012 एवं 2021 (जल आपूर्ति कार्य)	एम-30 की दर यूएडीडी एसओआर 2012 एवं 2021 (सड़क कार्य)	दर में अंतर	राशि
1	2	3	4	5	6=2*5
पायली	22,717.34	5,738[22]	4,698[23]	1,040	2,36,26,034.00
बंसुजारा (टीकमगढ़)	54,237.00	5,839[24]	5,583[25]	256	1,38,84,672.00
		कुल			3,75,10,706.00

(स्रोत: पायली और बंसुजारा (टीकमगढ़) एमवीएस की डीपीआर)

सीसी सड़क कार्य के लिए एम-30 की दर को अपनाने के बजाय उप-संरचना[26] के लिए एम-30 की दर को अपनाने के परिणामस्वरूप अनुमान (पीएसी) तैयार करने से ₹ 3.75 करोड़ का अनुमानित खर्च बढ़ गया।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर निगम ने उत्तर दिया कि सभी एमवीएस के लिए निविदाएँ ईपीसी मोड पर आमंत्रित की गई थीं तथा मदवार दरों का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि ठेकेदार अपने स्तर पर कार्य की लागत का आकलन कर अंतिम दरें प्रस्तुत करते हैं। अतः किसी विशेष मद की अधिक दर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ठेकेदार कार्य निष्पादन हेतु निविदा में दी गई विनिर्देशों का संदर्भ लेते हुए अपनी लागत की गणना करते हैं और उसी के आधार पर कार्य की कुल लागत निर्धारित करते हैं।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजना की डीपीआर निविदा दस्तावेज क्रय करने के पश्चात ठेकेदारों को उपलब्ध होती है। अनुमान ही निविदा दरों का निर्धारक होता है, क्योंकि ठेकेदार दरें प्रस्तुत करते समय पीएसी का संदर्भ लेते हैं; परिणामस्वरूप, उच्च पीएसी से उच्च दर प्राप्त होती है।

---

21 एम-30 कंक्रीट के ग्रेड को संदर्भित करता है, जिसमें 'एम' मिक्स को दर्शाता है तथा '30' 28 दिनों के क्योरिंग के बाद कंक्रीट की अभिलाक्षणिक दाब-क्षमता को दर्शाता है, जो एन/मिमी² (न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर) में मापी जाती है।

22 एसओआर यूएडीडी 2012 वॉल्यूम- I आइटम 15.20 (iii) - ₹. 5,738 आइटम 15.16.1- ₹ 703 = ₹ 6,441

23 एसओआर यूएडीडी 2012 वॉल्यूम-III (सड़क) आइटम 6.5 - ₹ 4,698

24 एसओआर यूएडीडी 2021 वॉल्यूम- I आइटम 18.14.1 ₹ 5,839

25 एसओआर यूएडीडी 2021 वॉल्यूम-III (सड़क) आइटम 6.3 -₹ 5,583

26 उप-संरचना (सब-स्ट्रक्चर) भवन का वह भाग होता है जो भूमि स्तर के नीचे स्थित होता है, जबकि अधि-संरचना (सुपर-स्ट्रक्चर) भूमि स्तर के ऊपर स्थित संपूर्ण भाग को दर्शाती है।

3.5.4 पाइपलाइन बिछाने में अनावश्यक रूप से मुरुम बेडिंग का प्रावधान

समझौते की 'सामान्य संक्षिप्त विनिर्देश' की खंड 8.4.20 के अनुसार, पाइपलाइन बिछाने हेतु खुदाई के दौरान यदि चट्टान या बोल्डर पाए जाते हैं, तो खाई को उस स्तर से कम से कम 100 मि.मी. नीचे तक समतल किया जाएगा, जिस स्तर पर पाइप का तल रखा जाना है, तथा पाइप बिछाने के लिए उपयुक्त बेडिंग उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त मोटाई में रेत या मुरुम जैसे गैर-संपीड़ित सामग्री से भरा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने गांधी सागर-I एमवीएस में पाया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमान में सभी प्रकार की मिट्टी और साधारण चट्टान में खुदाई का प्रावधान किया गया था। यह इंगित करता है कि पूरे पाइपलाइन बिछाने की लंबाई में हार्ड रॉक (कठोर चट्टान) मिलने की संभावना नहीं थी। तथापि, निगम ने अनुमान में पाइपलाइन बिछाने हेतु मुरुम बेडिंग का प्रावधान किया, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, पाइपलाइन बिछाने में अनावश्यक मुरुम बेडिंग के प्रावधान के कारण ठेकेदार को ₹ 5.41 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ (विस्तृत विवरण **तालिका 10** में दिया गया)।

तालिका 10: पाइपलाइन बिछाने में मुरुम के अनावश्यक प्रावधान का विवरण

(राशि ₹ में)

घटक	मद	मात्रा (घन मीटर)	दर	अनुमानित राशि	27वें आरए बिल तक भुगतान प्रतिशत	भुगतान की गई राशि
वितरण लाइन	मुरुम बेडिंग	1,47,465.59	478	7,04,88,552	76.77	5,41,14,061

निगम ने उत्तर दिया कि अनुबंध में यह उल्लेखित है कि डीपीआर में कार्य की वास्तविक स्थिति का सटीक चित्रण आवश्यक नहीं हो सकता है। यह परियोजना के कार्य-क्षेत्र का केवल एक संभावित आकलन है। अतः निर्माण चरण के दौरान स्थल पर हार्ड रॉक पाए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मुरुम बेडिंग का प्रावधान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मुरुम बेडिंग उपलब्ध कराने का अनुमान वास्तविक आवश्यकता के बजाय अनुमानी आधार पर लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.41 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

3.5.5 अनुमान में सीसी सड़क रेस्टोरेशन (पुनर्स्थापन) की अधिक मात्रा शामिल की गई

लेखापरीक्षा ने गांधी सागर-1 एवं वैढ़न-1 एमवीएस में पाया कि सीसी सड़क पुनर्स्थापन के लिए 26,558.92 घन मीटर की अतिरिक्त प्रावधान किया गया था, जबकि केवल तोड़ी गई सीसी सड़क की मात्रा ही पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप, अनुमान में सीसी सड़क पुनर्स्थापन की अतिरिक्त मात्रा के प्रावधान के कारण ठेकेदार को ₹ 8.57 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ (विस्तृत विवरण **तालिका 11** में दिया गया)।

तालिका 11: सीसी सड़क पुनर्स्थापन की अतिरिक्त मात्रा का विवरण

(राशि ₹ में एवं मात्रा घन मीटर में)

घटक	तोड़ी गई सीसी की मात्रा	सीसी पुनर्स्थापन की मात्रा	अतिरिक्त मात्रा	दर	राशि	27वें आरए बिल तक भुगतान प्रतिशत	राशि
1	**2**	**3**	**4=3-2**	**5**	**6=4*5**	**7**	**8=6*7**
			गांधी सागर 1				
सीडब्ल्यूपीएम	61.99	191.2	129.21	4,755	6,14,394	62.28	3,82,645
सीडब्ल्यूजीएम	2,058.45	3,087.68	1,029.23	4,755	48,93,989	73.94	36,18,615
वितरण	49,770.21	73,733.98	23,963.77	4,219	10,11,03,146	76.77	7,76,16,885
कुल	**51,890.65**	**77,012.86**	**25,122.21**		**10,66,11,529**		**8,16,18,145**

वैढ़न 1							
घटक	तोड़ी गई सीसी की मात्रा	सीसी पुनर्स्थापन की मात्रा	अतिरिक्त मात्रा	दर	राशि	30वें आरए बिल तक भुगतान प्रतिशत	राशि
1	2	3	4=3-2	5	6=4*5	7	8=6*7
वितरण	5,746.89	7,183.60	1,436.71	4,698	67,49,664	60.42	40,78,147
	महायोग		26,558.92				8,56,96,292

निगम ने उत्तर दिया कि गांधी सागर-1 की डीपीआर में सीसी तथा बीटी-दोनों प्रकार की सड़कों के ध्वस्तीकरण/डिमोलिशिंग का प्रावधान किया गया है तथा दोनों प्रकार की पेवमेंट् (पक्के मार्गों) पर पुनर्स्थापन सीसी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। अतः डीपीआर में कुल ध्वस्तीकरण (सीसी + बीटी) की मात्रा 1,03,808.08 घन मीटर उपलब्ध कराई गई गई है (जिसमें ध्वस्तीकरण की औसत गहराई 0.20 मीटर ली गई है), जबकि कुल पुनर्स्थापन की मात्रा 77,053.66 घन मीटर ली गई है, (जिसमें पुनर्स्थापन की औसत गहराई 0.15 मीटर ली गई है)। वहीं, वैधन-1 एमवीएस के संबंध में बताया गया कि सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है, जिनमें कंक्रीट की मोटाई समान नहीं रहती। अतः सीसी की औसत मोटाई 20 सेंटीमीटर मानी गई है। तथापि, पुनर्स्थापन के समय पूर्व में बिछाई गई कंक्रीट की मोटाई की परवाह किए बिना सीमेंट कंक्रीट की एकसमान मोटाई बिछाना आवश्यक होता है। इस कारण सड़क पुनर्स्थापन कार्य हेतु सीसी में 15 सेंटीमीटर एम-15 तथा 10 सेंटीमीटर एम-30 कंक्रीट का उपयोग किया गया है।

उत्तरों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि—

- गांधी सागर-1 की डीपीआर के मामले में बीटी सड़क के पुनर्स्थापन हेतु सीसी द्वारा प्रावधान किया जाना अनियमित था।
- वैढ़न-1 की डीपीआर तैयार करते समय सीसी के पुनर्स्थापन की मात्रा, सीसी ध्वस्तीकरण की मात्रा से अधिक प्रावधानित की गई थी। डीपीआर में सीसी सड़क पुनर्स्थापन की अधिक मात्रा को शामिल करने से अनुमान बढ़ गया।

3.5.6 सीसी सड़क पुनर्स्थापन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्देशों का प्रावधान

वितरण नेटवर्क में एचडीपीई एवं डीआई पाइप के उपयोग के संक्षिप्त विनिर्देशों जो बहु ग्राम योजनाओं के अनुबंध का भाग है के अनुसार, कंक्रीट/बीटी सड़कों की कटिंग एवं पुनर्स्थापन हेतु अनुमान पारंपरिक विधियों पर आधारित हैं तथा ठेकेदार ऐसी कंक्रीट/बीटी सड़कों को *'जैसा था'* की स्थिति में फिर से बनाएगा। साथ ही, एम-30 ग्रेड की सीसी, एम-15 एवं एम-20 ग्रेड की सीसी की तुलना में अधिक समृद्ध और महंगा विनिर्देश है।

पाँच एमवीएस (सतना बाणसागर, बक्सवाहा, गोपी कृष्णा, मड़ीखेड़ा तथा कुंडालिया) की डीपीआर की जाँच के दौरान यह पाया गया कि अनुमान में '*कंक्रीट सड़क के भाग की कटिंग तथा उसी का एम-15 अथवा एम-20 ग्रेड द्वारा अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति सहित पुनर्स्थापन*' नामक मद शामिल की गई थी। हालांकि, अन्य छह एमवीएस में, (जहाँ पुनर्स्थापन कार्य किया जाना था), वितरण नेटवर्क की संपूर्ण लंबाई पर एम-30 ग्रेड सीसी के साथ निष्पादन हेतु उक्त मद का प्रावधान (अनुमान में) किया गया था। चूँकि ग्राम सड़कों पर यातायात के लिए एम-20 ग्रेड सीमेंट कंक्रीट पर्याप्त था, अतः अनुमान में अधिक महंगे एम-30 ग्रेड सीसी का प्रावधान किए जाने से अनुमान में ₹ 10.77 करोड़ की अनुमान में वृद्धि हुई, जैसा कि नीचे **तालिका-12** में दर्शाया गया है।

तालिका 12: सीसी रोड की उच्च गुणवत्ता विशिष्टता के प्रावधान का विवरण

(राशि ₹ में तथा मात्रा घन मीटर में)

क्रम संख्या	योजना	एम-30 की मात्रा (घन मीटर में)	सड़क कटिंग सहित एम-30 की दर	सड़क कटिंग सहित एम-20 की दर	दर में अंतर	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7=3*6
1	मोहनपुरा	47,473.97	6,441	5,757	684	3,24,72,195
2	मदिया	54,168.33	6,441	5,757	684	3,70,51,138
3	जबेरा-तेन्दूखेड़ा	7,399.99	6,441	5,757	684	50,61,593
4	इंदवार-1	16,581.93	6,167	5,757	410	67,98,591
5	पायली	22,717.34	6,441	5,757	684	1,55,38,428
6	दमोह पटेरा	15,695.23	6,441	5,757	684	1,07,35,537
			कुल			10,76,57,482

एम-30 ग्रेड से कार्य वास्तव में कराए जाने का संकेत देने वाला कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं पाया गया, अतः अनुचित लाभ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उत्तर में (अक्टूबर 2024) जल निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि वर्तमान समय में सभी ग्रामीण सड़कों का निर्माण एम-30 मिक्स से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वितरण नेटवर्क ग्राम क्षेत्रों में बिछाया गया था, जहाँ हाल के वर्षों में अधिकांश सड़कें सीसी की थीं।

यह उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि सड़क का पुनर्स्थापन उसी सीसी ग्रेड से किया जाना था, जिससे उसका मूल निर्माण किया गया था। निगम द्वारा यह सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि पूर्ववर्ती सड़क एम-30 ग्रेड की सीसी थी तथा वास्तव में पुनर्स्थापन कार्य भी एम-30 ग्रेड की सीसी से किया गया। उदाहरणार्थ, लेखापरीक्षा द्वारा पायली एमवीएस के कार्यान्वयन के पश्चात सड़क पुनर्स्थापन में प्रयुक्त सीसी ग्रेड के संबंध में साक्ष्य संकलित किए गए, जबकि उक्त योजना की डीपीआर में सड़क पुनर्स्थापन हेतु एम-30 का प्रावधान था, परंतु संपूर्ण योजना में सड़क पुनर्स्थापन का कार्य एम-20 ग्रेड की सीसी से किया गया।

3.6 निविदा प्रक्रिया में कमियाँ

3.6.1 जीएसटी सहित पीएसी पर निविदा आमंत्रित करना

गोपी कृष्णा एवं राजघाट बहु ग्राम योजना के अनुमान शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग (यूएडीडी) के 12 मई 2012 दिनांकित एकीकृत मानक दर अनुसूची (आईएसएसआर) के आधार पर तैयार किए गए थे। यूएडीडी द्वारा नवंबर 2017 दिनांकित पत्र के माध्यम से एक संशोधन जारी किया गया, जिसके अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण आईएसएसआर की दरों में 10 प्रतिशत की कटौती (तत्काल प्रभाव से) की गई। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि भविष्य में आईएसएसआर का उपयोग कर तैयार किए जाने वाले अनुमान में प्रचलित जीएसटी दरों को पृथक से जोड़ा जाना आवश्यक होगा। अतः निविदाओं की संभावित संविदा राशि (पीएसी) की गणना आईएसएसआर के आधार पर प्राप्त राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जारी संशोधित निर्देशों (नवंबर 2017) के अनुसार, गोपी कृष्णा एमवीएस एवं राजघाट एमवीएस की डीपीआर से (प्रचलित आईएसएसआर के आधार पर) गलत रूप से निर्धारित की गई, जैसा कि निम्नानुसार है:

लागू किया जाने वाला फॉर्मूला	गलत रूप से लागू किया गया फॉर्मूला
पीएसी में 10 प्रतिशत की कटौती करना	• प्रथम, पीएसी में से 10 प्रतिशत की कटौती की गई, तत्पश्चात • संशोधित/ घटाई गई पीएसी पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया, और इसके बाद • जीएसटी सहित पीएसी में से अतिरिक्त 10 प्रतिशत की पुनः कटौती की गई।
मूल पीएसी ₹ 100 होने की स्थिति में— लागू किया जाने वाला फॉर्मूला= ₹ 100 का 90 प्रतिशत = ₹ 90 **संशोधित पीएसी = ₹ 90**	**मूल पीएसी ₹ 100 होने की स्थिति में—** लागू किया गया फॉर्मूला= ₹ 100 का 90 प्रतिशत लिया गया तथा उस पर 12 प्रतिशत जीएसटी जोड़ा गया, अर्थात ₹ 90 * 112 प्रतिशत = ₹ 100.80 इसके पश्चात ₹ 100.80 का 10 प्रतिशत घटाया गया = ₹ 90.72। **संशोधित पीएसी: ₹ 90.72**

पीएसी की गणना हेतु गलत फॉर्मूला अपनाए जाने के परिणामस्वरूप, गोपी कृष्णा एमवीएस एवं राजघाट एमवीएस में निविदा आमंत्रण हेतु पीएसी को क्रमशः ₹ 392.24 करोड़ तथा ₹ 1649.63 करोड़ दर्शाया गया, जबकि वास्तविक पीएसी क्रमशः ₹ 389.13 करोड़ तथा ₹ 1636.54 करोड़ थी, जैसा कि **परिशिष्ट–11** में विस्तृत किया गया है। इस विसंगति के कारण पीएसी में कुल ₹ 16.20 करोड़ की वृद्धि हुई (₹ 3.11 करोड़: गोपी कृष्णा एमवीएस तथा ₹ 13.09 करोड़: राजघाट एमवीएस)।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

3.6.2 निविदा के वित्तीय प्रस्तावों को अनाधिकृत रूप से खोलना

पीएचईडी में ई-प्रोक्योरमेंट को अपनाए जाने के समय, प्रमुख अभियंता द्वारा (दिसंबर 2018) में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें एनआईसी द्वारा विकसित नए ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल अर्थात् *www.mptenders.gov.in* के कार्यान्वयन के पश्चात निविदाओं के खोलने हेतु टेंडर समिति के गठन के संबंध में निर्देश दिए गए थे। टेंडर समिति की संरचना तथा उसकी शक्तियों का विवरण निम्नानुसार था:

कार्यालय का प्रकार	निविदा आमंत्रण हेतु निविदा राशि	निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्य
संभागीय कार्यालय	₹ 1 करोड़ तक	1. कार्यपालन यंत्री, 2. संभागीय लेखाकार 3. जिला मुख्यालय में पदस्थ सहायक यंत्री 4. वरिष्ठ लेखा लिपिक एवं 5. तकनीकी/निविदा अनुभाग में पदस्थ कर्मचारी
क्षेत्रीय कार्यालय	₹ 1 करोड़ से ₹ 5 करोड़ तक	1. अधीक्षण यंत्री (खरीद), 2. कार्यपालन यंत्री (खरीद), 3. लेखा अधिकारी, 4. मुख्यालय अधीक्षक एवं 5. सहायक यंत्री/ उप-यंत्री (खरीद)
प्रमुख अभियंता कार्यालय	₹ 5 करोड़ से अधिक	1. अधीक्षण यंत्री (खरीद), 2. कार्यपालन यंत्री (खरीद) 3. संयुक्त संचालक (वित्त), 4. सहायक यंत्री/उप-यंत्री(खरीद) एवं 5. ड्राफ्ट्समैन

कॉलम संख्या–2 में उल्लिखित राशि के अनुसार निविदाओं का प्रकाशन संबंधित कार्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा तथा पोर्टल पर निविदा सृजन के समय, संबंधित कार्यालय के लिए कॉलम संख्या–3 में उल्लिखित समिति के सदस्यों को निविदा खोलने हेतु नामित/चयनित किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा (अगस्त 2020) में एक आदेश जारी किया गया, जिसके माध्यम से संभागीय कार्यालयों द्वारा निविदा आमंत्रण की सीमा को संशोधित कर ₹ 5.00 करोड़ कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, बोलियों के लिए निर्देशों की खंड 20.1 के अनुसार, अनुबंध प्रदान करने के निर्णय से पहले, परीक्षण, मूल्यांकन, तुलना एवं अनुबंध प्रदान करने की सिफारिश से संबंधित जानकारी बोलियों के प्रस्तुतकर्ताओं या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो आधिकारिक रूप से इस प्रक्रिया से संबंधित न हो, प्रकट नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा में (अगस्त 2024 और अक्टूबर 2024 के बीच) देखा गया कि आठ जिलों[27] के 22 निविदाओं में, वित्तीय बोलियाँ ₹ 1.00 करोड़ से अधिक की थीं और इसलिए कार्यपालन यंत्री की पात्रता से परे थीं। हालांकि, कार्यपालन यंत्री द्वारा अपने कार्यालयों में , वित्तीय बोलियाँ को खोला गया और बोली प्रक्रिया की गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए केवल अनुमोदन के लिए उच्च अधिकारियों यानी अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता को भेजा गया। अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता ने बोली प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए कार्यपालन यंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

कार्यपालन यंत्री ने उत्तर दिया (अगस्त से अक्टूबर 2024) कि निविदाएं मप्र शासन, पीएचईडी आदेश (अगस्त 2020) के अनुपालन में खोली गईं; जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि संभागीय स्तर पर ₹ 5 करोड़ तक के मूल्य तक की निविदाएं आमंत्रित की जानी थीं और निपटारा किया जाना था।

27 छतरपुर, डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।

उत्तर भ्रामक है क्योंकि अगस्त 2020 के आदेश के अनुसार, संभागीय कार्यालयों को केवल ₹ 5 करोड़ तक की निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति थी, उन्हें इन निविदाओं का निर्णय लेने या निर्णय सुनाने का अधिकार नहीं था। इसके लिए सीमा पहले ही प्रमुख अभियंता द्वारा दिसंबर 2018 में निर्धारित की जा चुकी थी, जिसके अनुसार कार्यपालन यंत्री पात्रता नहीं रखते थे।

3.7 अनुबंध प्रबंधन में कमियाँ

3.7.1 प्रणालीगत दोष के परिणामस्वरूप औसत एफएचटीसी लागत में एकरूपता की कमी

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 7.1 के अनुसार, कुल वित्तीय आवश्यकता की गणना हेतु प्रति परिवार औसत लागत ₹ 25,000 मानी गई है, जो उपचारित भूजल पर आधारित एकल ग्राम योजनाओं के लिए लागू है, जबकि बहु-ग्राम योजना के लिए प्रति परिवार औसत लागत ₹ 47,000 होगी।

लेखापरीक्षा ने (अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान) आठ जिलों[28] में यह पाया कि विभाग ने एसवीएस के लिए प्रति एफएचटीसी निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया। कुल 4,570 एसवीएस में से 3,060 एसवीएस की स्वीकृत लागत, एसवीएस के लिए निर्धारित अधिकतम ₹ 25,000 प्रति एफएचटीसी की सीमा से अधिक थी, जैसा कि परिशिष्ट-12 में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप 3,060 एसवीएस में एफएचटीसी पर ₹ 6.47 करोड़ की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी। लागत में इस वृद्धि के बावजूद, इन विचलनों की सूचना भारत सरकार (जीओआई) को देने हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार की विसंगतियाँ जल जीवन मिशन के कुल बजट को बढ़ा सकती हैं तथा अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता उत्पन्न कर सकती हैं।

106 एसवीएस में प्रति एफएचटीसी लागत ₹ 1 लाख से अधिक पाई गई, जिसमें झाबुआ जिले की महुदियाड़ा एसवीएस में अधिकतम ₹ 3.28 लाख प्रति एफएचटीसी दर्ज की गई। यह स्वीकृत मानकों से गंभीर विचलन को दर्शाता है।

जल निगम द्वारा क्रियान्वयित किए जा रहे चार एमवीएस के लेखापरीक्षा में पाया गया कि एफएचटीसी (₹ 47,000) के लिए उपरोक्त सीमा का पालन नहीं किया गया था। इन चार योजनाओं में औसत प्रति एफएचटीसी लागत ₹ 63,734 प्रति एफएचटीसी (सगड़ हिनोतिया एमवीएस के मामले में) से ₹ 90,033 प्रति एफएचटीसी (बंसुजारा टीकमगढ़ एमवीएस) तक थी। जेजेएम दिशा-निर्देशों के अनुसार एफएचटीसी लागत से विचलन के कारणों को दर्ज नहीं किया गया था। एफएचटीसी की बढ़ी हुई लागत के परिणामस्वरूप एफएचटीसी पर ₹ 586.67 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई जैसा कि परिशिष्ट 12 में दर्शाया गया है।

ये लागत-वृद्धियाँ विभाग द्वारा जेजेएम दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से तैयार एवं मूल्यांकित किए जाने वाले तीन वैकल्पिक तकनीकी-आर्थिक विकल्पों को तैयार न करने और उनका मूल्यांकन न करने के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, न तो प्रस्तावित विकल्पों और न ही उनसे संबंधित लागत को स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायतों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो जेजेएम के मानकों का उल्लंघन है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रों की परिक्षिप्त प्रकृति के कारण लागत की राशि पर सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है तथा ये आंकड़े भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा न होकर लक्ष्यगत राशि को दर्शाते हैं। प्रमुख अभियंता ने यह भी बताया कि पाइपलाइन लागत में वृद्धि तथा बिखरी हुई बसाहटों के कारण लागत में बढ़ोतरी हुई है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेजेएम के अंतर्गत एफएचटीसी की लागत क्रमशः एसवीएस के लिए ₹ 25,000 तथा एमवीएस के लिए ₹ 47,000 निर्धारित की गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लागत निर्धारित करते समय सभी बाह्य कारकों को ध्यान में रखा गया था। यदि आवश्यक होता, तो निगम द्वारा तैयार किए गए अनुमानों में ऐसे व्यापक विचलनों को समुचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया।

3.7.2 अवांछित रूप से एफएचटीसी का क्रियान्वयन

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 3.6.1 के अनुसार, ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जाने वाली ग्राम कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ गाँव की वर्तमान जलापूर्ति स्थिति का विवरण शामिल किया जाना आवश्यक है, ताकि मौजूदा अवसंरचना का उपयोग पूर्व-

28 छतरपुर, डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।

स्थापित योजनाओं में किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना हेतु डीपीआर तैयार करने के मैनुअल के पैरा 3 के अनुसार, ऐसी योजनाओं की उपयोगी डिजाइन जीवन 20 वर्ष निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा ने (सितंबर 2024) यह पाया कि टीकमगढ़ जिले के रामपुरा एकल ग्राम योजना में पुरानी योजना (अप्रैल 2014 में) पूर्ण की गई थी तथा 164 घरेलू नल कनेक्शनों के साथ अभी भी कार्यात्मक थी और अपनी उपयोगी डिजाइन जीवन भी पूर्ण नहीं की थी। इसके बावजूद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा रामपुरा गाँव में कुल 165 परिवारों के लिए रेट्रोफिटिंग योजना क्रियान्वित की गई, जिसमें मौजूदा 164 कार्यात्मक नल कनेक्शनों की अवसंरचना का उपयोग नहीं किया गया। कार्य को पूर्ण दर्शाते हुए/*हर घर जल* प्रमाणित किया गया तथा ठेकेदार को ₹ 33.60 लाख का भुगतान किया गया। चूँकि कुल 165 में से 164 नल कनेक्शन पहले से ही कार्यात्मक थे, अतः इस मामले में रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता नहीं थी। परिणामस्वरूप, इस योजना पर ₹ 33.60 लाख का व्यय अवांछित था।

उत्तर में, कार्यपालन यंत्री ने (अगस्त से अक्टूबर 2024 के दौरान) बताया कि मौजूदा नलकूप सूख गए थे तथा कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए नए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें इस तथ्य का समाधान नहीं किया गया है कि मौजूदा योजना एवं कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन अभी भी डिजाइन अवधि के भीतर थे तथा उपयोग योग्य स्थिति में होने चाहिए थे।

यह प्रकरण शासन को सूचित किया गया है और इस संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2025)।

3.7.3 अतिरिक्त मदों एवं मात्राओं का अनधिकृत क्रियान्वयन तथा भुगतान

सामान्य अनुबंध शर्तों की खंड 21 के साथ पठित अनुबंध डेटा के अनुसार सभी अतिरिक्त मदों तथा अतिरिक्त मात्राओं को निम्नानुसार उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा:

सक्षम प्राधिकारी	अतिरिक्त मात्राएँ	अतिरिक्त मदें	प्रतिस्थापित मदें
कार्यपालन यंत्री	10 *प्रतिशत* तक	---	---
अधीक्षण यंत्री (एसई)	20 *प्रतिशत* तक, अधिकतम ₹ 20.00 लाख तक, परंतु कुल लागत प्रशासनिक स्वीकृति (एए) की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए	₹ 20.00 लाख तक, परंतु कुल लागत प्रशासनिक स्वीकृति (एए) की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए	₹ 20.00 लाख तक, परंतु कुल लागत प्रशासनिक स्वीकृति (एए) की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए
मुख्य अभियंता (सीई)	पूर्ण अधिकार (प्रशासनिक स्वीकृति (एए) की 10 प्रतिशत तक)	पूर्ण अधिकार (प्रशासनिक स्वीकृति (एए) की 10 प्रतिशत तक)	पूर्ण अधिकार (प्रशासनिक स्वीकृति (एए) की 10 *प्रतिशत* तक)

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2024 और अक्टूबर 2024 के बीच) छः अनुबंध के चार जिलों[29] में, अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मद और अनुबंध की मात्रा के 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा को अधीक्षण यंत्री (एसई)/ मुख्य अभियंता (सीई) की मंजूरी के बिना क्रियान्वयित और भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ की मद और मात्राओं का अनधिकृत क्रियान्वयन हुआ जैसा कि परिशिष्ट 13 में दिखाया गया है। अनधिकृत क्रियान्वयन और भुगतान का जिलावार सार नीचे **तालिका 13** में वर्णित है:

तालिका 13: अनधिकृत क्रियान्वयन और अतिरिक्त मद और मात्राओं के भुगतान का सार

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जिला	अनुबंध संख्या	अतिरिक्त मात्रा		अतिरिक्त मद	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	डिंडोरी	110/2021-22	3	3,69,767.00	-	-
2	ग्वालियर	52/2020-21	3	18,41,928.00	-	-

29 डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ और टीकमगढ़।

क्रम संख्या	जिला	अनुबंध संख्या	अतिरिक्त मात्रा		अतिरिक्त मद	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
3		57/2022-23	9	54,86,679.00	2	3,98,655.00
4		48/2020-21	4	4,99,729.00	1	2,54,405.00
5	झाबुआ	77/2020-21	1	4,53,183.00	-	-
6	टीकमगढ़	75/2020-21	5	19,12,100.00	-	-
	कुल		**25**	**1,05,63,386.00**	**3**	**6,53,060.00**

कार्यपालन यंत्रियों ने (अगस्त से अक्टूबर 2024) उत्तर में बताया कि अंतिम भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कार्य का क्रियान्वयन एवं भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाना चाहिए था।

3.7.4 ठेकेदारों को अधिक भुगतान

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली की खंड 4.017 के अनुसार, माप पुस्तिका किए गए कार्य की मात्राओं से संबंधित समस्त लेखों का आधार होती है। इसमें तथ्यों का ऐसा पूर्ण एवं स्पष्ट अभिलेख होना चाहिए, जो न्यायालय में निर्णायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो। कार्य/सामग्री का विवरण स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उसकी सरल पहचान एवं जाँच की जा सके। यह भुगतान किए जाने का मूल आधार भी होती है।

लेखापरीक्षा ने आठ जिलों[30] के 38 अनुबंध में से 22 अनुबंध में पाया (अगस्त 2024 और अक्टूबर 2024 के बीच) कि विभिन्न अनियमितताओं के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया था जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 14** में बताया गया है:

तालिका 14: ठेकेदारों को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

अनियमितताओं का विवरण	अनुबंध की संख्या	जिलों की संख्या	राशि
खुदाई की गई उपलब्ध मिट्टी की पुनः भराई हेतु गलत दर का भुगतान (छतरपुर, डिंडौरी, ग्वालियर, झाबुआ, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ एवं विदिशा)	11	7	10.86
फ्लैट केबल की दर की वसूली न किया जाना (छतरपुर, डिंडौरी, ग्वालियर, नरसिंहपुर एवं टीकमगढ़)	9	5	27.35
एचडीपीई पाइप की आपूर्ति एवं बिछाने में अतिरिक्त मात्रा (ग्वालियर एवं टीकमगढ़)	3	2	33.63
गलत मापन (ग्वालियर एवं टीकमगढ़)	5	2	8.62
मापन के बिना भुगतान (टीकमगढ़)	2	1	16.37
सड़क पुनर्स्थापन की अतिरिक्त मात्रा (छतरपुर, ग्वालियर एवं विदिशा)	3	3	12.12
एफएचटीसी स्टैंडपोस्ट एवं प्लेटफॉर्म का निर्माण न किया जाना (ग्वालियर)	3	1	14.96
एचडीडी विधि से एचडीपीई पाइप बिछाने के कारण एचडीपीई आपूर्ति का दोहरा भुगतान (नरसिंहपुर)	1	1	6.05
कार्य क्रियान्वयन के बिना अग्रिम भुगतान (टीकमगढ़)	1	1	2.7
आगामी आरए बिल से पूर्व भुगतान की गलत कटौती (नर्मदापुरम)	1	1	1.72
एमडीपीई पाइप का पृथक भुगतान (ग्वालियर)	1	1	0.37
कुल			**134.75**

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभिलेख)

30 छतरपुर, डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।

ये प्रकरण माप अभिलेखन एवं भुगतान हेतु बिलों की प्रक्रिया में अपर्याप्त नियंत्रण तथा समुचित सावधानी के अभाव को दर्शाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 1.35 करोड़ (परिशिष्ट 14) का अधिक भुगतान किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रमुख अभियंता ने तथ्यों के सत्यापन का आश्वासन दिया तथा तदनुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही।

इस संबंध में आगे की प्रगति की जानकारी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

3.7.5 पाइपलाइन के सहायक कार्यों में परिवर्तन के कारण ठेकेदार को अस्वीकार्य भुगतान

विदिशा जिले में सागड़–हिनोतिया एमवीएस के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) कार्य को जल निगम द्वारा "टर्न-की आधार" पर एकल पैकेज में मैसर्स ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को अनुबंध संख्या 01/2017-18 के माध्यम से आबंटित (अप्रैल 2017) किया गया , कार्य को स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि (अप्रैल 2017) से 24 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना था। योजना की संविदा राशि ₹ 126.79 करोड़ थी। योजना का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका था तथा ठेकेदार को ₹ 136.24 करोड़ का भुगतान किया गया।

अनुबंध के खंड-11 के अनुसार, "परिवर्तन केवल पाइपलाइन एवं विद्युत लाइन की लंबाई तथा आकार में ही अनुमत होगा तथा सहायक कार्यों (जैसे खुदाई, भराई, सड़क पुनर्स्थापन आदि) में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं है"। यह अनुबंध की भुगतान के ब्रेकअप शेड्यूल में भी दोहराया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चार चयनित एमवीएस में से सागड़ हिनोतिया, एमवीएस, विभिन्न घटकों जैसे रॉ/क्लियर वाटर पम्पिंग मेन (आरडब्ल्यूपीएम / सीडब्ल्यूपीएम), क्लियर वाटर ग्रेविटी मेन (सीडब्ल्यूजीएम), क्लियर वाटर फीडर मेन (सीडब्ल्यूएफएम), वितरण नेटवर्क (डीएन) की पाइपलाइन की लंबाई में क्रियान्वयन के दौरान वृद्धि हुई। जल निगम द्वारा विभिन्न घटकों के लिए कुल 15 परिवर्तनों को स्वीकृति प्रदान की गई। यह देखा गया कि परिवर्तन संख्या 8, 10, 11 और 15 में पाइपलाइन की लागत के अंतर के साथ-साथ निगम ने सहायक कार्यों की लागत को भी स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि खंड-11 के प्रावधानों में सहायक कार्यों में बदलाव के लिए भुगतान शामिल नहीं था, सहायक कार्यों के लिए ₹ 12.86 करोड़ का भुगतान अनियमित था और ठेकेदार को अनुचित लाभ था जैसा कि नीचे **तालिका 15** में विस्तृत है:

तालिका 15: सागड़–हिनोतिया एमवीएस में सहायक कार्यों सहित स्वीकृत परिवर्तनों का विवरण

(राशि ₹ में)

परिवर्तन संख्या	योजना का घटक	भुगतान हेतु स्वीकृत परिवर्तन		
		पाइपलाइन	सहायक कार्य	कुल
08	सीडब्ल्यूजीएम (पाइपलाइन एवं सहायक कार्य)	60,74,200	32,79,467	93,53,667
10	सीडब्ल्यूपीएम (केवल सहायक कार्य)[31]	00	3,24,021	3,24,021
11	वितरण नेटवर्क (केवल सहायक कार्य)[32]	00	4,19,31,390	4,19,31,390
15	वितरण नेटवर्क (पाइपलाइन एवं सहायक कार्य)	8,58,18,525	8,30,50,948	16,88,69,473
	कुल	**9,18,92,725**	**12,85,85,826**	**22,04,78,551**

(स्रोत: जल निगम द्वारा स्वीकृत परिवर्तन आदेश)

अन्य एमवीएस की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित तथ्य भी संज्ञान में आए:

- चार अन्य एमवीएस (दमोह–पटेरा, जबेरा–तेन्दूखेड़ा, इंदवार-1 तथा पायली) के अनुबंध में भी परिवर्तन से संबंधित समान प्रावधान थे, तथापि इन कार्यों में जब पाइपलाइन की लंबाई में वृद्धि हुई, तब केवल पाइपलाइन की लागत के अंतर का ही भुगतान किया गया।
- मोहनपुरा एमवीएस में जल निगम द्वारा स्वीकृत छह परिवर्तनों में से चार पॉजिटिव (₹ 9.13 करोड़) तथा दो नेगेटिव (₹ 17.27 करोड़ सहायक कार्यों को छोड़कर) थे। वितरण नेटवर्क एवं सीडब्ल्यूजीएम में नेगेटिव परिवर्तन के निर्धारण में

31 सीडब्ल्यूपीएम की पाइपलाइन में परिवर्तन को परिवर्तन संख्या 02 में पहले ही स्वीकृत किया जा चुका था।
32 वितरण नेटवर्क (डीएन) की पाइपलाइन में परिवर्तन को परिवर्तन संख्या 06 में पहले ही स्वीकृत किया जा चुका था।

₹ 11.73[33] करोड़ के सहायक कार्यों की लागत को शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

- इसी प्रकार, पायली एमवीएस[34] के मामले में जल निगम द्वारा सितंबर 2020 से मार्च 2022 के मध्य सीडब्ल्यूपीएम में ₹ 28.71 करोड़ का एक निगेटिव परिवर्तन तथा सीडब्ल्यूजीएम, आरडब्ल्यूपीएम एवं वितरण नेटवर्क में कुल ₹ 71.33 करोड़ के तीन नेगेटिव परिवर्तन स्वीकृत किए गए। यद्यपि सीडब्ल्यूपीएम, सीडब्ल्यूजीएम एवं आरडब्ल्यूपीएम में परिवर्तनों को विचार में लेकर भुगतान किया गया, परंतु वितरण नेटवर्क में ₹ 15.93 करोड़ के नेगेटिव परिवर्तन को ठेकेदार के बिलों में समायोजित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ठेकेदार को ₹ 15.93 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया।

उत्तर में, जल निगम ने (अक्टूबर 2024) बताया कि अनुबंध के परिशिष्ट 'एच' में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि पृथक खुदाई एवं अन्य सहायक कार्यों का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। अतः परिवर्तन की स्वीकृति अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार की गई। पायली बहु-ग्राम योजना के संबंध में यह भी बताया गया कि भुगतान किस्तों में किया गया है तथा ₹ 15.67 करोड़ की अंतिम किस्त का भुगतान अभी ठेकेदार को किया जाना शेष है, जो कि निगेटिव परिवर्तन की राशि के लगभग बराबर है।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण और अस्वीकार्य है क्योंकि अनुबंध का खंड 11 स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि परिवर्तन केवल पाइपलाइन की लंबाई और आकार के लिए ही अनुमत है, जिससे यह संकेत मिलता है कि किसी भी सहायक मद के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर में निगेटिव परिवर्तन को सहायक कार्यों के लिए शामिल न किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि इसी तरह के सभी पॉजिटिव परिवर्तनों में इसे शामिल किया गया था (मोहनपुरा बहु-ग्राम योजना)। पायली बहु-ग्राम योजना के मामले में उत्तर भ्रामक है क्योंकि कार्य के भुगतान घटक कुल एकमुश्त संविदा की विशिष्ट प्रतिशतताओं के आधार पर आवंटित किए जाते हैं और इसी कारण भुगतान किस्तों में किया गया है। किसी घटक की कुल राशि में कमी करने वाले नेगेटिव परिवर्तनों को प्रत्येक चरण के लिए तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए था। हालांकि, निगम द्वारा वितरण नेटवर्क के सभी चरणों के लिए भुगतान किया गया, जबकि निगेटिव परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाली कटौती को समायोजित नहीं किया गया।

3.7.6 सिपेट द्वारा परीक्षण किए बिना एचडीपीई पाइपों के निष्पादन के लिए अनियमित भुगतान

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 3.5 (xxxvi) के अनुसार, निर्माण कार्य में उपयोग हेतु ठेकेदार एजेंसी द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की विशेष शर्तों (एससीसी) की खंड 40, 41 एवं 42 के अनुसार, निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री (एचडीपीई पाइप) की गुणवत्ता की जाँच सामग्री की आपूर्ति से पूर्व कारखाने में सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही, ऐसी सामग्री के लिए भुगतान केवल तृतीय-पक्ष निरीक्षण (इस मामले में सिपेट) की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने (अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान) दो जिलों[35] में किए गए तीन अनुबंधों में यह पाया कि ₹ 86.07 लाख मूल्य के एचडीपीई पाइपों से संबंधित कार्य (परिशिष्ट–15) अनिवार्य गुणवत्ता जाँच सिपेट द्वारा सुनिश्चित किए बिना ही निष्पादित कर लिया गया, जो प्रावधानों का उल्लंघन है। फलस्वरूप, साइट पर लायी गई तथा उपयोग में ली गई सामग्री की गुणवत्ता को विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

कार्यपालन यंत्री, ग्वालियर ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि जांच के बाद अंतिम बिल से पहले कार्रवाई की जाएगी जबकि कार्यपालन यंत्री, टीकमगढ़ ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि सिपेट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ग्वालियर के मामले में पाइपों की साइट पर आपूर्ति से पूर्व सिपेट द्वारा अनिवार्य परीक्षण कराए बिना ही अपरिक्षित एचडीपीई पाइपों के लिए भुगतान किया गया। वहीं टीकमगढ़ के मामले में सिपेट रिपोर्ट साक्ष्य के अभाव में प्रस्तुत की गई, जो अप्रमाणित है।

33 निगेटिव परिवर्तन से संबंधित सहायक कार्यों की लागत, डीपीआर से सहायक कार्यों की औसत लागत को समानुपात (प्रो-राटा) आधार पर गणना करते हुए ₹ 11.73 करोड़ निर्धारित की गई, जिसमें से ₹ 3.92 करोड़ सीडब्ल्यूजीएम में तथा ₹ 7.81 करोड़ वितरण नेटवर्क में संबंधित है।

34 दिसंबर 2018 में निष्पादित अनुबंध में कहा गया कि केवल पाइपलाइन और विद्युत लाइन की लंबाई और आकार में भिन्नता की अनुमति होगी।

35 ग्वालियर और टीकमगढ़

3.7.7 रॉयल्टी की कटौती कम/न करना

एसवीएस में अनुबंध की विशेष शर्तों की खंड 7 को एमवीएस के लिए जारी विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना की खंड 1.4 के साथ पठित में यह प्रावधान है कि उपयोग की गई सामग्री के लिए रॉयल्टी भुगतान की रसीदें अथवा 'संबंधित जिला कलेक्टर से कोई रॉयल्टी देय नहीं' का प्रमाण-पत्र भुगतान हेतु बिल के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा, बिल से रॉयल्टी की कटौती की जाएगी तथा उसकी वापसी करना विभाग पर बाध्यकारी नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने (अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान) आठ जिलों[36] में संचालित एसवीएस में यह पाया कि योजनाओं के निर्माण में उपभोग किए गए खनिजों का उपभोग विवरण तैयार नहीं किया जा रहा था। विस्तृत मापन कार्य बीओक्यू/एसओआर में जॉब-वर्क के रूप में होने के कारण, ओएचटी, सम्प वेल तथा पम्प हाउस में उपभोग किए गए खनिजों की मात्रा का निर्धारण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका। तथापि, केवल 'सीसी रोड रेस्टोरेशन' मद में आठ जिलों के 23 अनुबंधों में ₹ 14.14 लाख की वसूली योग्य रॉयल्टी के विरुद्ध मात्र ₹ 1.24 लाख की वसूली की गई। रॉयल्टी की कम कटौती के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, **परिशिष्ट-16** में दर्शाए अनुसार ₹ 12.90 लाख की रॉयल्टी की कम कटौती हुई।

लेखापरीक्षा ने सगड़ हिनोतिया, बंसुजारा (बड़ामलहरा), बंसुजारा (टीकमगढ़) एवं पायली की एमवीएस में यह पाया कि इन योजनाओं के विभिन्न प्रमुख घटकों (जैसे इंटेक वेल, जल शोधन संयंत्र, ओएचटी आदि) में लघु खनिजों (रेत एवं गिट्टी) का उपयोग किया गया था। तथापि, सामग्री के उपभोग विवरण का संधारण माप पुस्तकों में नहीं किया गया था। साथ ही, उपर्युक्तानुसार अपेक्षित 'कोई रॉयल्टी देय नहीं' प्रमाण-पत्र भी ठेकेदार के बिलों के साथ संलग्न नहीं पाया गया। इस प्रमाणपत्र के अभाव में, रेत एवं गिट्टी पर देय रॉयल्टी की राशि ठेकेदार के बिलों से वसूल की जानी चाहिए थी, परंतु इसके बावजूद संपूर्ण भुगतान जारी कर दिया गया। परिणामस्वरूप, **परिशिष्ट-17** में दर्शाए अनुसार ठेकेदारों को ₹ 3.00 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ।

निर्गम सम्मेलन में प्रबंध निदेशक, जल निगम ने बताया कि रॉयल्टी की राशि पहले ही रोकी जा चुकी है। तथापि, पीएचईडी द्वारा रॉयल्टी की कटौती कम / न किए जाने के संबंध में विभाग की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। हालाँकि, पीएचईडी के कार्यपालन अभियंताओं ने उत्तर दिया कि रॉयल्टी की राशि अंतिम बिल से काट ली जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी के मद में रोकी गई राशि को खनन विभाग में जमा किया जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, अन्य कार्यपालन अभियंताओं के मामलों में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

3.7.8 हार्ड रॉक के कारण शासन को राजस्व हानि

एसओआर की सामान्य टिप्पणी 7 के अनुसार, खुदाई से प्राप्त हार्ड रॉक का उपयोग मोटे मिश्रण अथवा अन्य निर्माण सामग्री में रूपांतरण हेतु किया जाना चाहिए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर ठेकेदार को निर्गत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के पैरा 4.6 के अनुसार, हार्ड रॉक की खुदाई से प्राप्त रब्बल (मलबा) ठेकेदार की संपत्ति होगी, जिसके एवज में खुदाई की गई हार्ड रॉक की मात्रा पर ₹ 65 प्रति घन मीटर की दर से वसूली रनिंग अकाउंट बिलों से की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने सगड़–हिनोतिया, बंसुजारा (बड़ामलहरा), बंसुजारा (टीकमगढ़) एवं पायली की एमवीएस के अनुमानों में यह पाया कि योजना के विभिन्न घटकों के निष्पादन हेतु 5,05,287 घन मीटर हार्ड रॉक की खुदाई प्रस्तावित थी। तथापि, अभिलेखों में न तो खुदाई से प्राप्त हार्ड रॉक का लेखांकन किया गया और न ही उसे ठेकेदार को निर्गत किया गया, तथा न ही ठेकेदार के आरए बिलों से कोई राशि वसूल की गई। इस प्रकार, ठेकेदार से वसूल की जाने योग्य अनुमानित हार्ड रॉक की लागत ₹ 3.28 करोड़ रही, जैसा कि **परिशिष्ट–18** में विवरणित है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रबंध निदेशक, जल निगम ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

36 छतरपुर, डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।

3.8 निधि प्रबंधन में कमियाँ

3.8.1 एसडब्ल्यूएसएम द्वारा एकल नोडल खाते का संचालन

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 7.9 के अंतर्गत सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) के माध्यम से निधियों के प्रवाह की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था निर्धारित की गई है। जेजेएम के अंतर्गत निधि अंतरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- भारत सरकार द्वारा केंद्रीय योगदान राज्य कोषागार में जारी किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा 15 दिनों के भीतर समान राज्य योगदान के साथ निधि को एसडब्ल्यूएसएम के सिंगल नोडल अकाउंट (पीएफएमएस से लिंक्ड बैंक खाता) में स्थानांतरित किया जाता है।
- तत्पश्चात, एसडब्ल्यूएसएम द्वारा स्वीकृत जिला कार्य योजनाओं (डीएपी) के आधार पर दो सप्ताह के भीतर जिलों को निधि आवंटित की जाती है।
- डीडब्ल्यूएसएम जिला स्तर पर उपलब्ध डीएपी और उपलब्ध निधि के अनुसार ग्राम पंचायत और/या उसकी उप-समिति, यानी वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह या पीएचईडी, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से नामित एजेंसियों के द्वारा कार्य कार्यान्वित करता है। किए गए कार्य की गुणवत्ता और मात्रा से संतुष्ट होने पर, डीडब्ल्यूएसएम/एसडब्ल्यूएसएम संबंधित एजेंसी को भुगतान करने की व्यवस्था करेगा।

सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) के संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:

- उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत, एसडब्ल्यूएसएम द्वारा डीडबल्यूएसएम को दरकिनार करते हुए संबंधित संभाग के कार्यपालन यंत्री को सीधे वित्तीय सीमाएँ जारी की गईं। परिणामस्वरूप, डीडब्ल्यूएसएम द्वारा की जाने वाली वित्तीय योजना एवं निगरानी की भूमिका निष्प्रभावी हो गई तथा योजनाओं का समस्त वित्तीय प्रबंधन संभाग के हाथों में चला गया। इसने डीडब्ल्यूएसएम द्वारा वित्तीय योजना और निगरानी के दायरे को रद्द कर दिया और पूरे वित्तीय प्रबंधन को संभाग पर छोड़ दिया।
- प्रत्येक शीर्ष के लिए व्यय, अर्थात कवरेज[37], समर्थन और डब्ल्यूक्यूएमएंडएस को अंततः संभाग द्वारा बुक किया गया था और कुल व्यय को केंद्रीय, राज्य और सामुदायिक योगदान के लागू हिस्से के बजाय केंद्र और राज्य के हिस्से के अनुपात में 50:50 के अनुपात में बुक किया गया था।
- प्रमुख अभियंता द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर एसएनए से जेजेएम निधियों की निकासी की सीमा तय की गई थी। इसके विपरीत, जल निगम ने प्रमुख अभियंता के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एसएनए से आवंटित संपूर्ण राशि (₹ 2410.37 करोड़) एकमुश्त निकालकर एक पृथक बचत खाते में जमा कर दी तथा वहीं से सीधे विक्रेताओं को भुगतान किया, जिससे योजना के कार्यान्वयन में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता कमजोर हुई। जून 2022 तक जेजेएम से संबंधित ₹ 2394.72 करोड़ के समस्त भुगतान पीएफएमएस का उपयोग किए बिना इसी खाते से किए गए। यह दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत था तथा भुगतान में पारदर्शिता एवं पर्यवेक्षण को बाधित करता है।
- जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के एसएनए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जारी की गई धनराशि से अर्जित ब्याज अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाए। यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ब्याज बाद के वित्तीय वर्षों में जमा किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 में ₹ 10.47 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज राशि जमा की गई (₹ 12.84 करोड़ के बजाय ₹ 23.31 करोड़), जो यह दर्शाता है कि एसएनए में जमा धन को लेखा पुस्तकों में सही ढंग से नहीं दर्शाया गया था। हालाँकि, बैंक मिलान की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा द्वारा अतिरिक्त भुगतान के कारणों या गणना की सटीकता का पता नहीं लगाया जा सका।

---

37 किसी राजस्व गांव में किसी भी समय एफएचटीसी प्रदान किए गए परिवारों का प्रतिशत।

- पीएफएमएस के कार्यान्वयन (जुलाई 2022 के बाद) के उपरांत भी, जल निगम द्वारा (अनुबंध के खंड के अनुसार चालित देयकों से काटी जाने वाली 5 प्रतिशत) सुरक्षा जमा राशि को पीएफएमएस ढांचे से बाहर एक पृथक एमओडी[38] सुविधा युक्त बचत खाते में स्थानांतरित किया जाता रहा, जो जेजेएम दिशा-निर्देशों के विपरीत है। पीएफएमएस के बाहर निधियों को रखना, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए पीएफएमएस अनिवार्यता के उद्देश्य को ही विफल करता है।
- निगम द्वारा 2020-21 से 2023-24 तक निधि उपयोग की समीक्षा से संकेत मिलता है कि निगम ने योजना निधि का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के अंत में क्रमशः ₹ 413.53 करोड़, ₹ 103.95 करोड़, ₹ 47.01 करोड़ और ₹ 142.67 करोड़ की अप्रयुक्त धनराशि थी। इस प्रकार, निधि आवश्यकताओं के अनुचित मूल्यांकन और प्राप्त निधियों के अपर्याप्त उपयोग के कारण भारत सरकार / राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों का निष्क्रियता में परिणाम हुआ, जिसका राज्य में जेजेएम कार्यान्वयन में देरी पर भी असर पड़ा।

जहाँ पीएचईडी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई, वहीं प्रबंध निदेशक, जल निगम ने बताया कि भुगतान प्रणाली को बाद में सुधार लिया गया है तथा अब समस्त भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जा रहे हैं। विभाग ने यह भी कहा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएफएमएस के बाहर निधियों को रखने की अनुमति थी, विशेषकर ठेकेदारों से सुरक्षा जमा की कटौती के लिए।

खातों में विसंगतियों, यदि कोई हो, को ठीक करने के लिए खातों की पुस्तकों का मिलान न होने पर उत्तर मौन था। इसके अलावा, अनुरोध के बावजूद, पीएफएमएस के बाहर निधियाँ रखने की अनुमति देने वाले एमओएफ आदेश की प्रति लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी।

3.8.2 समुदायों द्वारा अनुपातिक पूंजी लागत का वहन न करना

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 6.1.2 के अनुसार, ग्राम पंचायत एवं/अथवा उसकी उप-समिति द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले ग्राम-स्तरीय पाइप जलापूर्ति अवसंरचना तथा संबंधित स्रोत विकास कार्यों के लिए पर्वतीय एवं वन क्षेत्रों, उत्तर-पूर्व एवं हिमालयी राज्यों तथा 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति एवं/अथवा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों में समुदाय द्वारा पूंजीगत लागत का पाँच प्रतिशत नकद एवं/अथवा वस्तु एवं/अथवा श्रम के रूप में योगदान किया जाना है; जबकि अन्य गांवों में पूंजीगत लागत का दस प्रतिशत सामुदायिक अंशदान के रूप में देय है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि दिशा-निर्देशों में सामुदायिक अंशदान के प्रावधान में कमी विद्यमान थी। यद्यपि सामुदायिक अंशदान श्रम के रूप में भी दिए जाने का प्रावधान है, परंतु समस्त कार्य ठेका आधार पर कराए जा रहे थे, जहाँ श्रमिकों की नियुक्ति एवं भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाता है। अतः, यदि कोई लाभार्थी सामुदायिक अंशदान श्रम के रूप में देना चाहे, तो दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह अंशदान किस प्रकार प्रदान करेगा। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थियों से सामुदायिक अंशदान की वसूली का विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

- लेखापरीक्षा ने पीएचईडी में यह पाया कि चयनित आठ जिलों में आच्छादित 4,570 गांवों में सामुदायिक अंशदान के मद में संग्रहीत की जाने योग्य ₹ 241.74 करोड़ के विरुद्ध ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी/पीएचईडी द्वारा मात्र ₹ 27 लाख का ही संग्रहण किया गया,जैसा कि परिशिष्ट 19 में बताया गया है। अतः, समुदाय अंशदान की योजना एवं कार्यान्वयन में अक्षमता के कारण राज्य सरकार को ₹ 241.47 करोड़ की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ेगी।
- लेखापरीक्षा ने चयनित आठ जिलों में यह पाया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान कवरेज, सपोर्ट तथा डब्ल्यूक्यूएम मदों पर कुल ₹ 1,767 करोड़ का व्यय किया गया (50 प्रतिशत केंद्रीय योगदान एवं 50 प्रतिशत राज्य योगदान)। उक्त व्यय में, निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत राशि समुदाय अंशदान से प्राप्त की जानी थी तथा शेष 90 प्रतिशत राशि केंद्रीय एवं राज्य योगदान के बीच विभाजित की जानी थी। इसके विपरीत, संपूर्ण व्यय को केंद्रीय एवं राज्य योगदान के बीच ही विभाजित कर दिया गया, यह निर्धारित मानदंडों[39] के उल्लंघन में था और इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर क्रमशः ₹ 89.52 करोड़ और ₹ 87.18 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा, जैसा कि परिशिष्ट 20 में विस्तृत है।

---

38 एमओडी (मल्टी-ऑप्शन डिपॉजिट) सुविधा एक ऑटो-स्वीप सुविधा है जो आपके बचत या चालू खाते को सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट) से जोड़ती है, जिससे आप अपनी अधिशेष निधि पर उच्च ब्याज अर्जित कर सकते हैं, जबकि तत्काल जरूरतों के लिए उन तक आसान पहुंच बनाए रख सकते हैं।

39 प्रमुख अभियंता के पत्र (मई 2023) के अनुसार, जेजेएम योजनाओं के व्यय को 45:45:10 (केंद्रीय हिस्सा: राज्य हिस्सा: सामुदायिक योगदान) के रूप में निर्धारित अनुपात से अधिक नहीं बुक किया जाना चाहिए।

- जल निगम में सगड़ हिनोतिया, बंसुजारा (बड़ामलहरा), बंसुजारा (टीकमगढ़) तथा पायली बहु-ग्राम योजनाओं की ग्राम-स्तरीय पाइप जलापूर्ति अवसंरचना की लागत ₹ 459.54 करोड़ थी। अतः दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभान्वित ग्रामों से ₹ 45.95 करोड़ (ग्राम- स्तरीय अवसंरचना लागत का 10 प्रतिशत) की सामुदायिक अंशदान राशि, जैसा कि **परिशिष्ट-21** में विवरणित है, संग्रहीत की जानी थी। इसके विपरीत, जल निगम द्वारा कोई भी सामुदायिक अंशदान संग्रहित नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि इस विषय पर पहले ही विचार किया जा चुका है तथा सामुदायिक अंशदान की प्राप्ति न होने एवं इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर पड़े अतिरिक्त वित्तीय भार के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार से संपर्क किया गया है।

इस संबंध में आगे की प्रगति लेखापरीक्षा (जुलाई 2025) में लंबित है।

3.8.3 अस्वीकार्य व्यय

अनुलग्नक-IV के साथ पठित जेजेएम परिचालन दिशा-निर्देशों पैरा 7.10 के अनुसार, भारत सरकार ने कुछ मदों को अमान्य व्यय के रूप में वर्गीकृत किया है, जैसे कि प्रतिशत शुल्क, लागत में वृद्धि, भूमि और वाहनों की खरीद और आवासीय भवनों का निर्माण, स्थायी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, योजनाओं की अनुमानित/अनुमोदित लागत से अधिक व्यय आदि।

लेखापरीक्षा ने जेजेएम दिशा-निर्देशों से विचलन देखा, जिसके परिणामस्वरूप कई अमान्य व्यय के मामले सामने आए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

'विकास यात्रा' पर व्यय जेजेएम निधि को आठ संभागों[40] द्वारा (फरवरी 2022) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी वार्डों में 'विकास यात्रा' आयोजित करने के उद्देश्य से सहायक गतिविधियों के अंतर्गत जिला प्रशासन को हस्तांतरित किया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रमुख अभियंता द्वारा इस उद्देश्य हेतु कुल ₹ 22.00 करोड़ की राशि 52 जिलों को हस्तांतरित करने के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए थे।	₹ 3.50 करोड़
वेतन पर व्यय आठ संभागों द्वारा मार्च 2022 से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान जिला समन्वयक/ब्लॉक समन्वयक/ रसायनज्ञ/ प्रयोगशाला सहायक के वेतन भुगतान हेतु जेजेएम निधि का उपयोग किया गया। ये कर्मचारी योजना के प्रारंभ से पूर्व ही विभाग द्वारा नियोजित थे।	₹ 1.07 करोड़
टेंट एवं धार्मिक गतिविधियों पर व्यय पीएचईडी, ग्वालियर ने भूमि पूजन, जेजेएम कार्यों की प्रदर्शनी के लिए जिला पंचायत, ग्वालियर को जेजेएम निधि हस्तांतरित की (अक्टूबर 2022), और होटल में ठहरने, सम्मेलन, टेंट व्यवस्था आदि पर भी व्यय किया, जो सभी अमान्य था।	₹ 0.48 करोड़
एसडब्ल्यूएसएम की स्वीकृति के बिना व्यय दो पीडब्ल्यूएसएस[41] के कार्य निष्पादन हेतु भुगतान टीकमगढ़ पीएचईडी संभाग द्वारा एसडब्ल्यूएसएम की स्वीकृति प्राप्त किए बिना जेजेएम निधि से किया गया।	₹ 2.53 करोड़
कर्मचारी आवासों का निर्माण जल निगम द्वारा बंसुजारा (टीकमगढ़), मड़ीया तथा राजघाट एमवीएस के अनुबंधों में कर्मचारी आवास एवं कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य सम्मिलित किया गया, जो कि जेजेएम दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।	₹ 4.53 करोड़[42]
कुल	**₹ 12.11 करोड़**

40 छतरपुर, डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।

41 देवराहा पीडब्ल्यूएसएस हेतु ₹127.28 लाख तथा हीरा नगर पीडब्ल्यूएसएस हेतु ₹ 126.03 लाख।

42 बानसुजारा टीकमगढ़, मडिया, राजघाट (स्टाफ क्वार्टर की लागत ₹ 1.66 करोड़ + ₹ 0.72 करोड़ + ₹ 2.15 करोड़ = ₹ 4.53 करोड़) और (भुगतान ₹ 0.06 + करोड़ 0.12 करोड़ + ₹ 0.00 करोड़ = ₹ 0.18 करोड़)

निर्गम सम्मेलन के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रधान सचिव ने प्रमुख अभियंता को लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (जुलाई 2025)।

अपने उत्तर में जल निगम ने (अक्टूबर 2024) बताया कि कार्यालय भवन एवं कर्मचारी आवासों पर किया गया व्यय जलापूर्ति अवसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण घटकों—जैसे इनटेक, जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) आदि—के सफल संचालन हेतु आवश्यक था, क्योंकि ये संरचनाएँ दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय भवन एवं कर्मचारी आवासों का निर्माण जेजेएम के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं था तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए थी।

3.8.4 घटक-वार व्यय में भिन्नता

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 7.3 में यह प्रावधान है कि राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित निधि का पांच प्रतिशत और दो प्रतिशत क्रमशः सहायक गतिविधियों[43] और जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष (93 प्रतिशत) का उपयोग ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करने के लिए 'कवरेज' में किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग (पीएचईडी एवं जल निगम) द्वारा कवरेज, सहायक गतिविधियों तथा जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों पर व्यय का नियोजन निर्धारित सीमाओं के अनुरूप नहीं किया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है :

पीएचईडी:	छह जिलों[44] में सहायक गतिविधियों पर किया गया व्यय ₹ 14.12 करोड़ (0.98 प्रतिशत) था, जबकि अनिवार्य राशि ₹ 71.78 करोड़ निर्धारित थी, जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों पर व्यय ₹ 12.15 करोड़ (0.85 प्रतिशत) रहा, जबकि इसके लिए अनिवार्य राशि ₹ 28.71 करोड़ थी। शेष सहायक गतिविधि एवं डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधियों का उपयोग 'कवरेज'[45] पर कर लिया गया (परिशिष्ट-22)।
	छतरपुर में पीएचईडी द्वारा 'कवरेज' निधि के विचलन के माध्यम से निर्धारित मानकों के विरुद्ध सहायक गतिविधियों एवं जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों पर ₹ 2.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया (परिशिष्ट-22)। डिंडौरी में विभाग द्वारा सहायक गतिविधियों की निधि के विचलन से निर्धारित मानकों के विरुद्ध 'कवरेज' पर ₹ 9.15 करोड़ तथा डब्ल्यूक्यूएम एंड एस गतिविधियों पर ₹ 2.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया (परिशिष्ट-22)।
जल निगम:	2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान जेजेएम के कार्यान्वयन में भारी अंतराल के बावजूद, सहायक गतिविधियों पर किया गया व्यय ₹ 61.54 करोड़ (0.46 प्रतिशत) तथा डब्ल्यूक्यूएम एंड एस गतिविधियों पर 'शून्य' रहा, जबकि इनके लिए क्रमशः ₹ 675.40 करोड़ (5 प्रतिशत) एवं ₹ 270.16 करोड़ (2 प्रतिशत) व्यय किया जाना था। निगम द्वारा इन गतिविधियों के अंतर्गत आवंटित निधि का विचलन कर 'कवरेज' पर 99.97 प्रतिशत व्यय किया गया, जो कि निर्धारित 93 प्रतिशत के विपरीत था (परिशिष्ट-22)।

सहायक गतिविधियों एवं जल गुणवत्ता निगरानी पर सीमित व्यय से आईएसए तथा टीपीआई की सहभागिता में प्रणालीगत कमियाँ उजागर होती हैं। इनकी अपर्याप्त संख्या के कारण आवश्यक कार्य प्रभावित हुए, जिससे योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई (*आईएसए से संबंधित मुद्दों की पृथक चर्चा कंडिका 3.11 में की गई है*)।

इसके अतिरिक्त, समुचित रूप से सुसज्जित जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना न किया जाना, प्रशिक्षित प्रयोगशाला कर्मियों की कमी तथा जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानकों हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से

43 सहायक गतिविधियों में सूचना, शिक्षा एवं संचार , मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण, लोक उपयोगिता सेवाएँ, नेतृत्व विकास एवं परिवर्तन प्रबंधन, कौशल विकास आदि सम्मिलित हैं।

44 ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।

45 कवरेज : एफएचटीसी के अंतर्गत अवसंरचना घटक हेतु प्रदत्त निधि।

प्रत्यायन का अभाव—इन सभी कारणों से आवश्यक जल गुणवत्ता परीक्षणों के संचालन एवं निगरानी की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। परिणामस्वरूप, जलापूर्ति प्रणालियों की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता से समझौता हुआ है, जिससे समुदायों के स्वास्थ्य पर संभावित जोखिम उत्पन्न होते हैं तथा जल प्रबंधन पहलों में विश्वास भी कमजोर पड़ता है। इसके साथ ही, जल गुणवत्ता एवं अवसंरचना के नियमित रख-रखाव के संबंध में जन-जागरूकता अभियानों में निवेश के अभाव ने इन समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है, जिससे जल गुणवत्ता आश्वासन तथा परिसंपत्तियों के सतत प्रबंधन की प्रभावशीलता और सीमित हो गई है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए, जल निगम के प्रबंध निदेशक ने स्वीकार किया कि घटक-वार व्यय का समुचित एवं सूक्ष्म संधारण नहीं किया जा सका।

उत्तर इस तथ्य पर मौन है कि आईएसए एवं टीपीआई की नियुक्ति में देरी अथवा उनकी अपर्याप्त संख्या के कारण न केवल योजना में ग्रामवासियों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो सकी, बल्कि कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा की भी पुष्टि नहीं की जा सकती।

3.9 निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर अनावश्यक व्यय

परामर्शदाता की तैनाती का उद्देश्य योग्य एवं अनुभवी पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्युसी) कार्मिकों को तैनात करना है, ताकि बहु-ग्राम जल प्रदाय योजना के कार्यान्वयन की दैनिक निगरानी सुनिश्चित की जा सके तथा उच्च गुणवत्ता का निर्माण कार्य प्राप्त हो, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य निर्धारित अवधि के भीतर इंजीनियरिंग डिजाइन, तकनीकी विनिर्देशों तथा अन्य संविदा दस्तावेजों के पूर्ण अनुपालन में निष्पादित किए जाएँ।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने पाया कि योजनाओं का निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण न होने के कारण निगम द्वारा तीन योजनाओं की निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद विस्तारित अवधि के लिए एसक्यूसी को ₹ 9.38 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया, जिसे टाला जा सकता था। सगड़ हिनोतिया तथा बंसुजारा (बड़ामलहरा) एमवीएस क्रमशः 1,971 दिन एवं 1,901 दिन की देरी से पूर्ण हुईं, जबकि पायली एमवीएस निर्धारित पूर्णता तिथि से 1,155 दिन विलंबित रही।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि उच्च गुणवत्ता का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु योजना के निष्पादन के दौरान एसक्यूसी के अनुबंध को भी योजना की पूर्णता तक समानांतर रूप से बढ़ाया गया , इस विषय में अनुबंध की शर्तें मौन होने के कारण ₹ 9.38 करोड़ की राशि ठेकेदार से वसूल नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले अनेक लाभार्थियों को जलापूर्ति प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित ग्रामों के प्रत्येक परिवार को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

जल निगम के प्रबंध निदेशक ने (अक्टूबर 2024) उत्तर में बताया कि कार्य क्रियान्वयन भाग के अंतिम बिल की प्रक्रिया से पूर्व विलंब विश्लेषण के अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत एलडी आरोपित की जाएगी। संविदा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के कारण हुए विलंब पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, परंतु विलंब विश्लेषण नहीं किया गया। इसके बावजूद, विलंब ठेकेदारों के कारण होने के उपरांत भी निगम द्वारा ₹ 95.92 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 8.46 करोड़ की एलडी ही रोकी गई।

3.10 100 दिवसीय अभियान के माध्यम से सार्वजनिक संस्थाओं को जल आपूर्ति

भारत सरकार द्वारा (2 अक्टूबर 2020) एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत अगले 100 दिनों के भीतर प्रत्येक ग्राम के सभी सार्वजनिक संस्थानों को पाइप जलापूर्ति से आच्छादित किया जाना था। बाद में इस अभियान की समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई। भारत सरकार के निर्देशानुसार, राज्य शासन को अभियान मोड में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करनी थी, साथ ही विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा जल गुणवत्ता परीक्षण कराए जाने थे।

आठ चयनित जिलों में ग्राम के सार्वजनिक संस्थानों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की उपलब्धि की स्थिति नीचे **चार्ट-9** में दर्शाई गई है:

चार्ट-9: सार्वजनिक संस्थानों में नल कनेक्शन की उपलब्धता की स्थिति

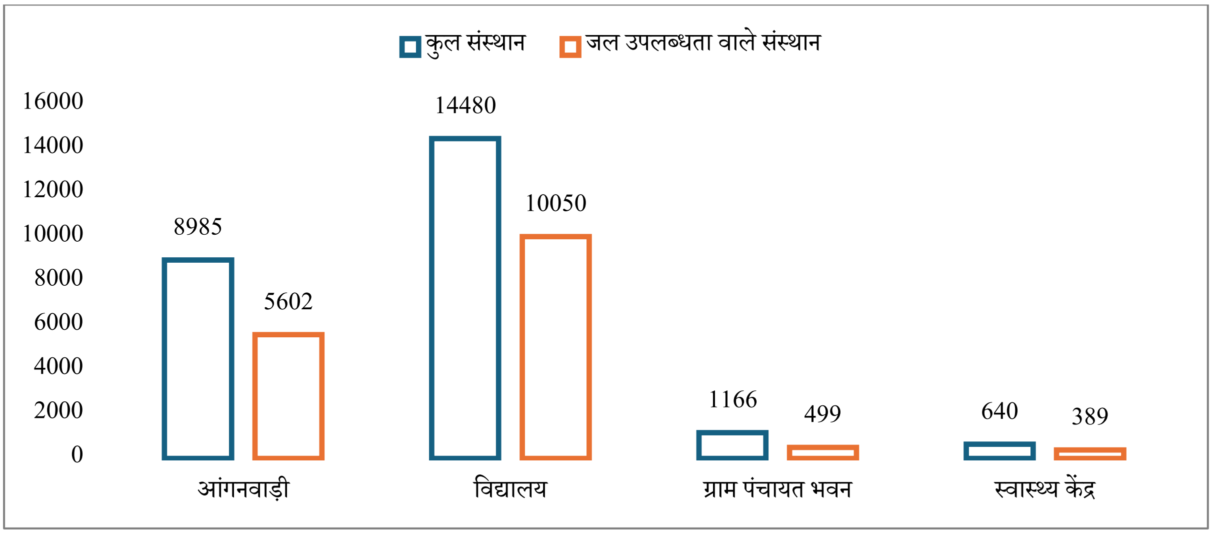

(स्रोत: ई-जल शक्ति पोर्टल)

लेखापरीक्षा में चयनित आठ जिलों में यह पाया गया कि विभाग द्वारा प्राथमिकता न दिए जाने के कारण समय-सीमा में आठ माह का विस्तार किए जाने के बावजूद (दिसंबर 2024 तक) 4,430 विद्यालयों, 3,383 आंगनवाड़ी केंद्रों, 667 ग्राम पंचायत भवनों तथा 251 स्वास्थ्य केंद्रों को नल जलापूर्ति उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। जिलेवार उपलब्धियों का विवरण **परिशिष्ट-23** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चूँकि यह अभियान पृथक रूप से संचालित किया जाना था, इसलिए विभाग द्वारा विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को मौजूदा पाइपलाइनों, एक-फेज मोटर पंप सहित मौजूदा नलकूपों अथवा एक-फेज मोटर पंप सहित नए खोदे गए नलकूपों के माध्यम से नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। हालाँकि, कमजोर योजना के कारण चयनित ब्लॉकों के आठ जिलों में 4,173 जलापूर्ति योजनाओं के प्रारंभ में 103 से 402 दिनों तक की उल्लेखनीय देरी हुई (**परिशिष्ट-24**), जिससे मिशन को लक्षित 100 दिनों की अवधि में पूरा किया जाना संभव नहीं हो सका। विभागीय कर्मियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान चार जिलों[46] के चयनित चार-चार ग्रामों में स्थित 16 आंगनवाड़ी केंद्रों तथा 15 विद्यालयों (टीकमगढ़ जिले के कुनेटा ग्राम में विद्यालय का अभाव) में संभावित कमियाँ पाई गईं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

100-दिवसीय अभियान की आवश्यकताएँ	क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना	आठ विद्यालयों एवं छह आंगनवाड़ी केंद्रों में नल जल कनेक्शन की अनुपस्थिति अथवा उनके गैर-कार्यशील होने से पेयजल एवं अन्य आवश्यक उपयोगों हेतु जल की उपलब्धता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं।
विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में सुरक्षित जल सुनिश्चित करने हेतु जल परीक्षण एवं निगरानी गतिविधियाँ	14 विद्यालयों एवं 15 आंगनवाड़ी केंद्रों में न तो एफटीके विधि से जल गुणवत्ता परीक्षण किया गया और न ही पीएचईडी को नमूने भेजे गए, जिससे जलापूर्ति की सुरक्षा एवं पेयता सुनिश्चित करने हेतु निगरानी के अभाव की स्थिति परिलक्षित होती है।
विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में निर्मित शौचालयों को जलापूर्ति सुनिश्चित करना	दो विद्यालयों में पृथक शौचालय सुविधाओं का अभाव तथा आठ आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय सुविधाओं की अनुपलब्धता एक गंभीर चिंता का विषय है, जिससे स्वच्छता, गोपनीयता/एकांतता तथा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के समग्र कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 11 विद्यालयों एवं 13 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों के भीतर नल कनेक्शन की अनुपलब्धता अथवा उनके गैर-कार्यशील होने से स्वच्छता संबंधी समस्याएँ और अधिक बढ़ गई हैं तथा उचित स्वच्छता व्यवहार में बाधा उत्पन्न हुई है।

46 ग्वालियर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और टीकमगढ़

100-दिवसीय अभियान की आवश्यकताएँ	क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में हाथ धोने हेतु पृथक नल कनेक्शन सुनिश्चित करना	दस विद्यालयों एवं 13 आंगनवाड़ी केंद्रों में हाथ धोने हेतु पृथक नल कनेक्शन की अनुपस्थिति अथवा उनके गैर-कार्यशील होने से मूलभूत हाथ स्वच्छता के अभ्यास की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिससे संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ गया है।
निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्यशील ओवरहेड टैंकों की उपलब्धता	सात विद्यालयों एवं 11 आंगनवाड़ी केंद्रों में ओवरहेड टैंक की अनुपस्थिति अथवा उनके गैर-कार्यशील होने से परिसरों में जलापूर्ति की निरंतरता एवं विश्वसनीयता प्रभावित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में उपलब्ध आठ कार्यशील ओवरहेड टैंकों (ओएचटी) में से दो की नियमित सफाई नहीं की गई थी।

ये मुद्दे इंगित करते हैं कि विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में पीने योग्य पाइपयुक्त पानी प्रदान करने के अभियान के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जो उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण और मिशन के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, पीएचईडी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रमुख अभियंता को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2025)।

3.11 कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) की सहायक गतिविधियों में कमियाँ

जल जीवन मिशन के उचित कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) की आवश्यकता है। आईएसए के कार्यों को जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 5.5 में गिना गया है। जेजेएम में सहायक गतिविधि के तहत, आईएसए गतिविधियों का संपादित करेंगे।

अनुबंध में उल्लिखित भुगतान अनुसूची के अनुसार योजना के आईएसए को भुगतान जारी किया जाना था। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 16: गतिविधि से जुड़े चरणों के लिए भुगतान अनुसूची

क्रम संख्या	चरण	गतिविधियाँ	भुगतान संरचना
1	पूर्व-योजना (2 माह)	कार्यालय की स्थापना, एफएचटीसी के लिए आधारभूत डेटा को मजबूत करना, जन सभा का आयोजन, वीडब्ल्यूएससी/पेयजल उपयोगकर्ता समूह के गठन की सुविधा, सामुदायिक मोबिलाइजेशन आदि।	कुल अनुबंध लागत का 20 प्रतिशत
2	योजना (3 माह)	ग्राम सभा बैठकों का आयोजन, बचत खाता खोलना, वीएपी का निर्माण, निर्णय-निर्माण में सहभागिता हेतु सामुदायिक मोबिलाइजेशन गतिविधियाँ, एफएचटीसी के लिए सहमति, सामुदायिक अंशदान आदि।	कुल अनुबंध लागत का 20 प्रतिशत
3	कार्यान्वयन (7 माह)	वर्षा जल संचयन, स्रोत सुदृढ़ीकरण एवं ग्रे-वॉटर प्रबंधन आदि पर ग्राम पंचायत एवं वीडब्ल्यूएससी पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, मौजूदा एवं नवीन परिसंपत्तियों का जियो-टैगिंग, जल गुणवत्ता, वर्षा जल संचयन आदि हेतु सामुदायिक मोबिलाइजेशन गतिविधियाँ।	कुल अनुबंध लागत का 30 प्रतिशत
4	संचालन एवं अनुरक्षण	संचालन एवं अनुरक्षण पर ग्राम पंचायत एवं वीडब्ल्यूएससी पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, लेखा रजिस्टरों के अद्यतन में सहायता आदि।	कुल अनुबंध लागत का 30 प्रतिशत

विभाग द्वारा आठ जिलों में (एसवीएस) जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण एवं सामुदायिक मोबिलाइजेशन से संबंधित कार्य 26 आईएसए को आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त, जल निगम द्वारा पायली, बांसुजारा (बड़ामलहरा), बांसुजारा (टीकमगढ़) तथा सागड़ हिनोतिया एमवीएस के लिए आठ आईएसए को कार्य में नियुक्त किया गया। आईएसए से संबंधित मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.11.1 सभी योजनाओं के लिए आईएसए की नियुक्ति में विलंब / नियुक्ति न किया जाना

जेजेएम दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक गांव के लिए योजना की शुरुआत से ही, आधारभूत सर्वेक्षण, वीएपी, वीडब्ल्यूएससी, आईईसी और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियों आदि के लिए आईएसए को नियोजित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आठ जिलों में एसडब्ल्यूएसएम द्वारा एसवीएस की कुल 4,570 योजनाएँ स्वीकृत की गई थीं, जिनमें से 1,993 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं तथा शेष 2,577 योजनाएँ प्रगति पर थीं। तथापि, केवल 3,910 ग्रामों के लिए ही आईएसए को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, 660 ग्रामों में सहायता गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गईं।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा पायली एमवीएस के अंतर्गत ग्राम अवसंरचनाओं को नवंबर 2020 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। तथापि, ग्रामों में जागरूकता गतिविधियों के लिए निगम द्वारा इस एमवीएस के 662 ग्रामों हेतु पाँच आईएसए को सितंबर एवं अक्टूबर 2022 में कार्यादेश प्रदान किए गए, जो कि स्वीकृति की तिथि से 22-23 माह की देरी से था। अतः, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण एवं सामुदायिक मोबिलाइजेशन हेतु आईएसए की नियुक्ति का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

यह स्पष्ट है कि जेजेएम दिशा-निर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व-योजना, योजना तथा कार्यान्वयन चरणों के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया गया। यह चूक आईएसए की नियुक्ति के मूल उद्देश्य जो कि, कार्यान्वयन एजेंसी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है, को कमजोर करती है।

3.11.2 ऐसी गतिविधियों के लिए आईएसए को भुगतान जो निष्पादित नहीं की गईं

अनुबंध में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार, कार्य के लिए भुगतान चरणबद्ध रूप से, कार्य लागत के निर्धारित प्रतिशत पर, निर्दिष्ट गतिविधियों की पूर्णता के पश्चात ही किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने आठ जिलों[47] में पाया कि एसवीएस (पीएचईडी) के 26 आईएसए ने कंडिका 3.11 में वर्णित गतिविधियों को संपादित नहीं किया। हालाँकि, पीएचईडी ने आईएसए को नियमित भुगतान किया (अक्टूबर 2024 तक कुल राशि ₹ 7.42 करोड़)।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्धारित चरणों के अनुसार आवंटित गतिविधियों के निष्पादन के अभाव के बावजूद, आठ जिलों के 13 आईएसए को अनुबंधों के अनुसार गतिविधियों की पूर्णता के बिना 50 प्रतिशत से 107 प्रतिशत तक भुगतान जारी कर दिया गया। आईएसए द्वारा भुगतान अनुसूची से संबद्ध कई गतिविधियाँ पूर्ण नहीं की गईं, जिनमें सामुदायिक अंशदान का संग्रह, स्रोत स्थिरता के संबंध में जागरूकता, ग्रे-वॉटर प्रबंधन, जल गुणवत्ता, जलजनित रोगों आदि से संबंधित गतिविधियाँ शामिल थीं। अतः, अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्यों के निष्पादन के बिना भुगतान जारी किए जाने के परिणामस्वरूप आईएसए को ₹ 3.76 करोड़ का अनियमित अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट–25 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि चार एमवीएस (जल निगम) के लिए नियुक्त आईएसए द्वारा कार्य क्षेत्र में उल्लिखित गतिविधियों का निष्पादन नहीं किया गया। इनमें वीएपी का संकलन कर उन्हें अनुमोदन हेतु डीडब्ल्यूएसएम को प्रस्तुत न करना, मौजूदा एवं सृजित परिसंपत्तियों का जियो-टैगिंग न करना, समस्त एफएचटीसी का आधार लिंकिंग न करना, वीडब्ल्यूएससी की मासिक बैठकों का आयोजन न कर ग्राम स्तर पर सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ न करना, विशेषकर ग्राम अवसंरचना निर्माण जैसे कि ग्रे-वॉटर पुनः उपयोग, जल संरक्षण उपाय (जल गुणवत्ता/मात्रा) आदि के संबंध में, तथा डीडब्ल्यूएसएम और वीडब्ल्यूएससी/ ग्राम पंचायत/ पानी समिति के मध्य समन्वय मंच के रूप में कार्य न करना शामिल है।

47 छतरपुर, डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।

जेपीआई के दौरान, यह देखा गया कि आईएसए ने सर्वेक्षण किए गए 32 गांवों में से 15 का दौरा नहीं किया। लाभार्थी सर्वेक्षण से इसकी पुष्टि भी हुई।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आईएसए ने जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों में निर्धारित अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। परिणामस्वरूप, कार्यान्वयन एजेंसियों को सहयोग प्रदान करने हेतु आईएसए की नियुक्ति का इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि बंसुजारा (टीकमगढ़) एमवीएस की भौतिक प्रगति लगभग 50 प्रतिशत थी, किंतु आईएसए द्वारा ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण (जिसे तीन माह में पूर्ण किया जाना था), 100 प्रतिशत वीडब्ल्यूएससी बैंक खाता खोलना (नौ महीने में पूरा किया जाना था), योजना के निष्पादन के दौरान 100 प्रतिशत विवाद निवारण (जिसे छह माह में पूर्ण किया जाना था) आदि कार्य पूर्ण नहीं किए गए। इसके बावजूद, निगम द्वारा आईएसए के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई जैसे अनुबंध की समाप्ति अथवा किसी अन्य एजेंसी की नियुक्ति नहीं की गई। परिणामस्वरूप, कार्यान्वयन एजेंसी को सहयोग प्रदान करने हेतु आईएसए की नियुक्ति का उद्देश्य विफल हो गया।

3.11.3 आईएसए द्वारा वीएपी तैयार करने पर व्यर्थ व्यय

जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत डीपीआर की सामान्य संरचना के अनुसार, कार्य का क्रियान्वयन आधारभूत सर्वेक्षण, सामुदायिक अंशदान, लाभार्थियों की सहमति, ग्राम सभा के प्रस्ताव तथा वीएपी एवं डीएपी की स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के उपरांत तैयार डीपीआर के अनुसार किया जाना था। उपर्युक्त गतिविधियों के निष्पादन का प्रबंधन आईएसए के माध्यम से किया जाना था।

लेखापरीक्षा में चयनित सभी जिलों में यह पाया गया कि आठ जिलों की 144 एसवीएस में से परीक्षण हेतु जाँची गई 47 योजनाओं के कार्य, वीएपी तैयार करने की इस मूलभूत आवश्यकता के बिना ही आवंटित एवं कार्यान्वयित किए गए, कार्यों का आवंटन विभागीय आँकड़ों के आधार पर किया गया तथा वीएपी की तैयारी से संबंधित सभी औपचारिकताएँ अनुबंध प्रदान किए जाने के पश्चात पूर्ण की गईं, जिससे वीएपी की प्रक्रिया मात्र औपचारिकता बनकर रह गई। इस कमी का प्रभाव लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान भी देखा गया, जिसमें सर्वेक्षण किए गए 32 ग्रामों में से सात ग्रामों में भूजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं पाई गई। इसके परिणामस्वरूप, इन सर्वेक्षित ग्रामों में आईएसए को ₹ 18.46 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट-4** में दिया गया है।

जमीनी स्तर के प्राथमिक स्रोतों के अभिलेखीकरण के माध्यम से योजना निर्माण को सुदृढ़ करने के बजाय, वीएपी को मात्र कागजी औपचारिकता के रूप में तैयार किए जाने से वे न केवल अप्रभावी सिद्ध हुए, बल्कि इसके परिणामस्वरूप माध्य प्रदेश शासन द्वारा वीएपी की तैयारी पर व्यर्थ व्यय भी हुआ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख अभियंता, पीएचईडी ने यह स्वीकार किया कि विभाग का मुख्य ध्यान मिशन मोड में जलापूर्ति कार्यों के कार्यान्वयन पर केंद्रित होने के कारण कुछ चूक हुईं। तथापि, उन्होंने यह भी कहा कि इन मुद्दों को अब सुधारा लिया जाएगा।

इस संबंध में आगे की प्रगति लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।

3.12 तृतीय पक्ष निरीक्षण

जेजेएम दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसडब्ल्यूएसएम को एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य की गुणवत्ता, निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता और प्रत्येक योजना में स्थापित मशीनरी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई) के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करना है। इस प्रयोजन के लिए, भुगतान जारी करने से पहले कार्यान्वयन के दौरान ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और पीएचईडी अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण अनिवार्य है। ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वयित कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत टीपीआई एजेंसी नियुक्त की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- एसवीएस में, माप दर्ज करने से पूर्व ग्राम पंचायतों के साथ टीपीआई एजेंसियों द्वारा कोई संयुक्त स्थल निरीक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ग्राम पंचायत की स्वीकृति के बिना ठेकेदारों को भुगतान किया गया, जिससे संभवतः निष्पादित कार्य की गुणवत्ता और मात्रा के आश्वासन से समझौता हुआ। इसी तरह, जल निगम में, ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी

को पर्यवेक्षण, तीसरे पक्ष के निरीक्षण, सुधारात्मक उपायों तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट से बाहर रखा गया, जिससे सत्यापन की प्रामाणिकता और गुणवत्ता कम हो गई।

- पीएचईडी टीकमगढ़ में, टीपीआई एजेंसी को ₹ 30.45 लाख का भुगतान किया गया, जबकि टीपीआई एजेंसी की नियुक्ति से पूर्व ही कार्य क्रियान्वयित हो चुका था तथा ठेकेदारों को भुगतान भी किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, एजेंसी को एनआईटी की शर्तों के अंतर्गत अनुमन्य न होने के बावजूद जीएसटी मद में ₹ 14.15 लाख का अपात्र भुगतान भी किया गया। सात जिलों[48] में, विस्तृत निरीक्षण किए बिना ही टीपीआई एजेंसियों को ₹ 15.94 लाख का भुगतान स्वीकृत किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 38.58 करोड़ का भुगतान ठेकेदारों को ऐसे कार्यों के लिए किया गया, जिनका सत्यापन नहीं हुआ था (परिशिष्ट–26)। इसी प्रकार, जल निगम में तीन एमवीएस[49] के मामलों में टीपीआई एजेंसियों की नियुक्ति में (22 से 26 माह की) देरी हुई। फलस्वरूप, टीपीआई एजेंसियों की नियुक्ति से पूर्व निष्पादित एवं असत्यापित कार्यों के लिए ठेकेदारों को ₹ 169.13 करोड़ का भुगतान किया गया।
- जल निगम में, टीपीआई एजेंसियों द्वारा विसंगतियों/ कमियों से संबंधित पुनर्स्थापन कार्यों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- बंसुजारा एमवीएस में, टीपीआई एजेंसी के पाँच फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरों की नियुक्ति में 259 से 701 दिनों तक की देरी हुई। प्रमुख कार्मिकों की नियुक्ति में हुई इस देरी के कारण, लेखापरीक्षा टीपीआई एजेंसी द्वारा अपेक्षित दक्षता के साथ निरीक्षण किए जाने का आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान मुख्य अभियंता ने स्वीकार किया कि विभाग का ध्यान योजना को मिशन मोड में कार्यान्वयित करने पर केंद्रित होने के कारण कुछ कमियाँ उत्पन्न हुईं। तथापि, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इन कमियों को दूर किया जाएगा।

इस संबंध में आगे की प्रगति लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

3.13 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में अवसंरचना निर्माण, अनुबंध प्रबंधन तथा निधियों के उपयोग में प्रणालीगत कमियाँ पाई गईं। निष्पादन की गति धीमी रही तथा सितंबर 2024 तक केवल 27 प्रतिशत बहु-ग्राम योजनाएँ एवं 58 प्रतिशत एकल-ग्राम योजनाएँ ही पूर्ण हो सकीं। कार्यों के आवंटन में देरी, अवास्तविक आकलन तथा वार्षिक रूप से निधियों का अनुपयोग, केंद्रीय अनुदान की गैर-रिहाई और राज्य हिस्से के आवंटन में कमी का कारण बना।

अनुमान निर्धारण में त्रुटियाँ पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप एकल-ग्राम योजनाओं में लागत में वृद्धि, परिहार्य व्यय, बढ़े हुए निविदा मूल्य, अनुचित क्रियान्वयन/ अनुमान तथा अपेक्षाकृत उच्च विनिर्देशों का प्रावधान किया गया। एकल-ग्राम योजनाओं में भौतिक/ अंतिम पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी न किए जाने से समयपूर्व हस्तांतरण की स्थिति परिलक्षित होती है, जिसकी पुष्टि जेपीआई से भी हुई, जिनमें निरीक्षित 28 स्थलों में से सात स्थल गैर-कार्यशील पाए गए। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों से एलडी की वसूली नहीं की गई।

जल जीवन मिशन की निधियाँ पीएफएमएस के बाहर रखी गईं तथा खातों में निष्क्रिय शेषराशि बनाए रखी गई। सामुदायिक अंशदान नगण्य रहा, जिसके कारण केंद्र एवं राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। जल जीवन मिशन की निधियों का अस्वीकार्य गतिविधियों पर व्यय किया गया, जो प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है। दोनों आईएसए एवं टीपीआई एजेंसियों की नियुक्ति विलंब से की गई तथा उन्होंने अपने अपेक्षित दायित्वों के अनुरूप कार्य नहीं किया, जिससे उन पर किया गया व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। साथ ही, जल गुणवत्ता निगरानी, सामुदायिक सहभागिता, अनावश्यक वीएपी तथा असत्यापित कार्य निष्पादन जैसे मिशन के प्रमुख उद्देश्यों से भी समझौता हुआ।

सार्वजनिक संस्थानों हेतु 100-दिवसीय अभियान आंशिक कवरेज एवं विलंब से प्रभावित रहा, जिसके कारण विद्यालयों/आंगनवाड़ी केंद्रों को पर्याप्त सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो सकीं।

48 छतरपुर, डिंडोरी, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा।
49 पायली, सगड़ हिनोतिया और बानसुजारा (बादामल्हेरा)

3.14 अध्याय संबंधी अनुशंसाएँ:

यह अनुशंसा की जाती है कि मध्य प्रदेश शासन:

1. चरणबद्ध निधि निर्गम हेतु समयबद्ध आईएसए तैनाती तथा पीएफएमएस अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, साथ ही लागत वृद्धि एवं अस्वीकार्य व्यय पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

2. परियोजनाओं में हुई देरी की बारीकी से निगरानी की जाए तथा अस्वीकार्य भुगतानों की वसूली की जाए।

3. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों में परिलक्षित लापरवाही एवं कदाचार के लिए पीएचईडी एवं जल निगम के संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय किया जाए।

उपरोक्त अनुशंसाओं को अंतिम अध्याय में उपयुक्त रूप से संक्षिप्त किया गया है।

अध्याय-IV
निगरानी और परिणाम

ओवरहेड टंकी

स्टैंडपोस्ट

अध्याय IV: निगरानी और परिणाम

जल जीवन मिशन का उद्देश्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सतत जल आपूर्ति पर विशेष ध्यान देते हुए समर्पित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थायित्व एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन आधार पर सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा योजना की सफलता को सुनिश्चित करना है।

इस अध्याय में, जहां तक निगरानी का सवाल है, लेखापरीक्षा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) (और जल निगम) के प्रदर्शन का आकलन किया। हमने योजना की स्थिरता और इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए जमीनी स्थिति के साथ-साथ जेजेएम के इच्छित परिणाम का भी मूल्यांकन किया। निष्कर्षों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.1 निगरानी

4.1.1 डैशबोर्ड में गलत रिपोर्टिंग

4.1.1.1 जल आपूर्ति के बिना एफएचटीसी की गलत रिपोर्टिंग

जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के पैरा 11.1.2 में यह प्रावधान किया गया है कि एक रीयल-टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से सभी आवश्यक निगरानी मापदंडों को अभिलिखित किया जाएगा, जैसे कि अब तक प्रदान किए गए एफएचटीसी की संख्या, प्रदान किए जाने शेष एफएचटीसी की संख्या, कार्यशील नल कनेक्शनों की संख्या तथा अकार्यशील नल कनेक्शनों की संख्या। यह समस्त जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाएगी।

सात जिलों[50] में नमूना-जांच की गई 187 योजनाओं में, जहाँ जल आपूर्ति प्रारंभ नहीं हुई थी अथवा योजनाएँ पूर्ण नहीं हुई थीं, *ई-जल शक्ति* पोर्टल पर संबंधित ग्रामों के परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किए जाने का विवरण प्रदर्शित हो रहा था। पोर्टल से यह भी पाया गया कि 75,31,890 जल जीवन मिशन एफएचटीसी (जेजेएम पोर्टल के J-6)[51] की प्रगति में 11,94,063 निजी/स्वयं के स्रोत के नल कनेक्शनों को भी सम्मिलित कर लिया गया था, जबकि ये जल जीवन मिशन के नल कनेक्शनों के वास्तविक लाभार्थी नहीं थे।

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा एफएचटीसी से संबंधित त्रुटिपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराए गए, जिससे पोर्टल पर उपलब्ध संपूर्ण आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं अखंडता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होता है। विवरण परिशिष्ट–27 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी।

इस संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

4.1.1.2 एफएचटीसी के नियोजित और वास्तविक निष्पादन के बीच व्यापक भिन्नता

आठ चयनित जिलों (परिशिष्ट 28) की नमूना-जांच की गई, 28 एसवीएस योजनाओं में एफएचटीसी के नियोजित और वास्तविक निष्पादन में महत्वपूर्ण भिन्नताएं देखी गईं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वीएपी में एफएचटीसी का प्रावधान किया गया है	**: 7,379**
डीपीआर में एफएचटीसी	**: 6,512**
एफएचटीसी निष्पादित	**: 5,778**
डैशबोर्ड के अनुसार एफएचटीसी	**: 7,142**

असटीक आंकड़े प्रगति की प्रभावी निगरानी, अवरोधको की पहचान तथा उत्तरदायी पक्षों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे जल आपूर्ति प्रणालियों की त्रुटिपूर्ण योजना बन सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अवसंरचना का आकार आवश्यकता

50 छतरपुर में 62 योजना, डिंडोरी में 06 योजना, ग्वालियर में 23 योजना, झाबुआ में 02 योजना, नरसिंहपुर में 03 योजना, टीकमगढ़ में 81 योजना और विदिशा में 10 योजना है।

51 J6 फॉर्म- यह जेजेएम के तहत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्राप्त करने वाले परिवारों के लिए लाभार्थी टैगिंग और सत्यापन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

से कम या अधिक निर्धारित हो सकता है जो दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित करते हुए परिचालन संबंधी समस्याओं तथा सेवा बाधित होने की स्थिति उत्पन्न कर सकती है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी।

4.1.2 तकनीकी हस्तक्षेपों और नवाचारों को अपनाना

भारत सरकार ने यह सुझाव दिया कि जल जीवन मिशन की योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के दौरान तकनीकी हस्तक्षेपों (टेक्नोलॉजिकल इन्टर्वेन्श) का उपयोग किया जाए, क्योंकि ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों, पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता तथा अन्य विविध कारणों से अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा सुझाए गए उक्त हस्तक्षेपों (इन्टर्वेन्श) को चयनित आठों जिलों में से किसी भी जिले में अपनाया नहीं गया, जैसा कि नीचे विस्तार से दर्शाया गया है:

तालिका–17 : तकनीकी हस्तक्षेप की स्थिति एवं उनका उपयोग

क्र.सं.	तकनीकी हस्तक्षेपों	हस्तक्षेप का उपयोग	अपनाने की स्थिति	
			पीएचईडी (एसवीएस)	जल निगम (एमवीएस)
1	इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी)	जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की कार्यशीलता की निगरानी	अपनाया नहीं गया	अपनाया नहीं गया
2	डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया (डीएमए) के साथ सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्सेस (एससीएडीए) प्रणाली	जल उपचार संयंत्रों की निगरानी	लागू नहीं	एससीएडीए स्थापित, किंतु केवल जल उपचार संयंत्र पर कार्यरत; ओएचटी से जुड़ा नहीं है।

(स्रोत: पीएचईडी एवं जल निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपनाए जाने से ओवरहेड टैंकों में जल भंडारण स्तर सहित अवसंरचना की कार्यशीलता की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकती थी। आईओटी को न अपनाए जाने के कारण सात ग्रामों में अकार्यशील एसवीएस (संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान देखा गया) की विभाग द्वारा प्रभावी निगरानी नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि एससीएडीए प्रणाली बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) में पहले से ही संचालित है। एकल ग्राम योजनाओं के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर लेखापरीक्षा दल द्वारा यह प्रतिवाद किया गया कि यद्यपि एससीएडीए प्रणाली स्थापित तो की गई थी, तथापि यह केवल जल उपचार संयंत्र में ही कार्यरत थी तथा इसे ओवरहेड टैंक से जोड़ा नहीं गया था। इस पर प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.2 जल गुणवत्ता निगरानी

जेजेएम प्रत्येक परिवार एवं ग्राम संस्थानों को सुरक्षित नल जल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस (डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस) ढांचा प्रदान करता है। यह ढांचा सभी हितधारकों के लिए एक ऐसी रणनीति उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच, प्रदूषण की पहचान के लिए निगरानी तथा जलजनित रोगों की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर समय सुरक्षित पेयजल उपलब्ध रहे, इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके परीक्षण करने में सक्षम बनाना है।

डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क के पैरा 5.1.2.2 में जल आपूर्ति सेवा वितरण तथा जल गुणवत्ता परीक्षण सेवाओं के बीच पृथक्करण की अनुशंसा की गई है, जिसके लिए ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी कमिश्नरेट (डीडब्ल्यूक्यूसी) का गठन किया जाना था। जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस से संबंधित गतिविधियों के लिए कुल निधि के अधिकतम दो प्रतिशत तक का व्यय किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य देखे गए:

- विभाग द्वारा डीडब्ल्यूक्यूसी की स्थापना नहीं की गई।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस पर मात्र 0.38 प्रतिशत व्यय किया गया, जबकि शेष 1.62 प्रतिशत राशि को जेजेएम के अंतर्गत निर्माण गतिविधियों हेतु डायवर्ट कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त संख्या में मापदंडों का मूल्यांकन हुआ तथा आवश्यक मापदण्डों के लिए एनएबीएल से मान्यता का अभाव रहा, जिससे सुरक्षित पेयजल की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ।

जल गुणवत्ता निगरानी में पाई गई कमियों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई हैं।

4.2.1 अपर्याप्त जल गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना

डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क के पैरा 5.1.4 के अनुसार, उप-संभाग/ ब्लॉक स्तर की प्रयोगशालाओं को मुख्य एजेंसी के रूप में नामित किया, जिन्हें स्थानीय जल स्रोतों के 100 प्रतिशत का परीक्षण करना है, रासायनिक[52] मापदण्डों के लिए वर्ष में एक बार तथा जीवाणु संबंधी[53] मापदण्डों के लिए वर्ष में दो बार (मानसून पूर्व एवं पश्चात)। मध्यप्रदेश में 155 जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं (भोपाल में एक राज्य स्तरीय, 51 जिला स्तरीय तथा 103 उप-संभाग स्तरीय प्रयोगशालाएँ)।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए आठ जिलों में प्रयोगशालाओं के संचालन की स्थिति निम्नानुसार पाई गई:

तालिका 18: प्रयोगशालाओं के संचालन की स्थिति

क्र.सं.	जिला	जिला प्रयोगशालाओं की संख्या	उप-संभागों की संख्या	उप-संभाग प्रयोगशालाओं की संख्या	डब्ल्यूटीपी में प्रयोगशालाओं की संख्या*
1	छतरपुर	1	4	3	1
2	डिंडोरी	1	3	2	-
3	ग्वालियर	1	2	1	-
4	झाबुआ	1	3	1	-
5	नर्मदापुरम	1	4	3	-
6	नरसिंहपुर	1	3	2	-
7	टीकमगढ़	1	2	1	-
8	विदिशा	1	4	2	1
	कुल	**8**	**25**	**15**	**2**

* सगद हिनोतिया (विदिशा) और बासुजारा बादमलहेरा (छतरपुर) एमवीएस के डब्ल्यूटीपी में प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि चयनित आठ जिलों में 25 प्रयोगशालाएँ (23 विभागीय तथा दो प्रयोगशालाएँ[54] एमवीएस हेतु स्थापित की गई) 25 उप-संभागों की निगरानी के लिए उत्तरदायी थीं, जहाँ प्रत्येक प्रयोगशाला को दो से तीन ब्लॉक को कवर करती है। विदिशा एवं झाबुआ प्रत्येक जिलों में दो उप-संभाग स्तरीय प्रयोगशालाएँ स्थापित नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त, जिला प्रयोगशालाएँ भी उप-संभागीय प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रही थीं, जिसके कारण वे उप-संभागीय प्रयोगशालाओं पर अपने पर्यवेक्षण संबंधी दायित्वों का समुचित निर्वहन में असमर्थ थीं।

यह इंगित करता है कि पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस की आवश्यकताओं को पूरा करने में जल परीक्षण अवसंरचना विफल रही। प्रयोगशालाओं की भूमिकाओं में परस्पर भिन्नता तथा सीमित क्षमता के कारण पर्यवेक्षण व्यवस्था कमजोर होती है, जिससे असुरक्षित जल आपूर्ति का जोखिम बढ़ता है तथा जनविश्वास मे कमी होती है।

52 यह उन रासायनिक पदार्थों की सांद्रता का निर्धारण करता है, जो जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।
53 यह परीक्षण प्रदूषण सूचक जीवाणुओं की उपस्थिति का संकेत देता है तथा जल के उपभोग हेतु सुरक्षित होने का निर्धारण किया जाता है।
54 विदिशा जिले में सगद-हिनोतिया माली एमवीएस और छतरपुर जिले में बानसुजारा (बड़ामलहेरा) एमवीएस के लिए।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने बताया कि जिला एवं उप-संभागीय प्रयोगशालाएँ पहले से ही अलग-अलग हैं। तथापि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जिला मुख्यालय पर स्थित उप-संभागीय प्रयोगशालाएँ दोनों रूपों में कार्य कर रही हैं, अर्थात् वे उप-संभागीय प्रयोगशाला तथा जिला प्रयोगशाला दोनों का कार्य कर रही हैं।

यह उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पर्याप्त प्रयोगशालाओं की कमी है, जिन्हें जल नमूनों के वास्तविक समय परीक्षण के लिए स्थापित किया जाना चाहिए।

4.2.2 सभी आवश्यक मापदण्डों का मान्यता प्राप्त न होना

डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क के अनुसार सभी प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से प्रत्यायित/ मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय प्रयोगशाला को डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपेक्षित 17 मापदण्डों में से केवल 11 मापदण्डों के लिए ही मान्यता प्राप्त थी, जबकि जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में 8 से 14 जल परीक्षण मापदण्डों के लिए मान्यता का अभाव पाया गया (विवरण परिशिष्ट–29 में)। जल शोधन संयंत्र प्रयोगशालाओं को किसी भी मापदण्ड के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी तथा किसी भी प्रयोगशाला को कुल कोलीफॉर्म एवं ई. कोलाई जैसे जैविक प्रदूषकों की जांच के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी, जो कि जलजनित रोगों के प्रमुख संकेतक है। इसके अतिरिक्त, चार जिलों[55] की प्रयोगशालाओं में एनएबीएल मान्यता समाप्त हुए 13 से 18 माह हो चुके थे, पर इसके नवीनीकरण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जल गुणवत्ता परीक्षण के मापदण्डों के लिए एनएबीएल मान्यता के अभाव मे परीक्षण परिणाम अविश्वासनीय हो सकते है। इससे जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय निगरानी प्रभावित हो सकती है, इससे प्रदूषण की सही पहचान न हो पाने का जोखिम बढ़ जाता है तथा अप्रभावी समाधानों का कार्यान्वयन हो सकता है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि सभी मापदण्डों के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क में निर्दिष्ट सभी मापदण्डों के लिए पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थी तथा कुछ जिलों में मान्यता की वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

4.2.3 अपर्याप्त संख्या में मापदण्डों का परीक्षण

डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क के पैरा 5.1.2.1, 5.1.3.1 तथा 5.1.2.2 (iv) के अनुसार एसडबल्यूएसएम तथा डीडबल्यूएसएम जल गुणवत्ता की निगरानी तथा प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमुख मापदण्डों के परीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि, जांच से यह पाया गया कि राज्य/जिला प्रयोगशालाओं तथा एमवीएस के जल शोधन संयंत्र (डबल्यूटीपी) द्वारा सभी आवश्यक मापदण्डों का परीक्षण नहीं किया जा रहा था, जैसा कि **चार्ट-10** में दर्शाया गया है:

55 झाबुआ (24.03.2023), नर्मदापुरम (25.03.2023), नरसिंहपुर (02.05.2023) और टीकमगढ़ (10.08.2023)।

चार्ट–10 : आवश्यक मापदंड का परीक्षण

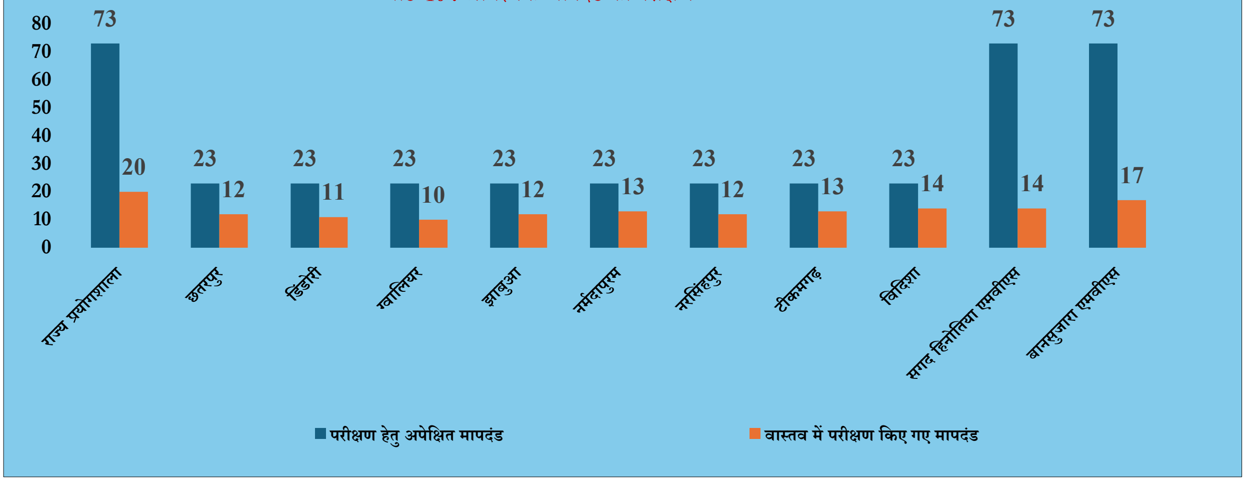

डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क तथा आईएस 10500:2012 के अनुसार जल गुणवत्ता के 73 मापदण्डों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। तथापि, राज्य प्रयोगशाला द्वारा केवल 20 मापदण्डों का परीक्षण किया, तथा जल शोधन संयंत्र में स्थित दो[56] प्रयोगशालाएँ आवश्यक 73 मापदण्डों के स्थान पर मात्र 14 से 17 मापदण्डों का ही परीक्षण कर रही थीं।

एमवीएस के मामले में डबल्यूटीपी प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण रासायनिक मापदण्डों[57], भारी धातुओं[58] के साथ-साथ प्रत्येक कीटनाशकों[59] का परीक्षण नहीं किया जा रहा था।

इसी प्रकार, जिला प्रयोगशालाओं द्वारा आवश्यक 23 जल गुणवत्ता मापदण्डों में से 9 से 13 मापदण्डों[60] का परीक्षण नहीं किया जा रहा था, तथा उप-संभागीय प्रयोगशालाओं में आवश्यक 16 मापदण्डों में से 5 से 9 मापदण्डों का परीक्षण नहीं किया जा रहा था (**परिशिष्ट-29**)। संभागीय तथा उप-संभागीय दोनों प्रयोगशालाओं में ऑयल एवं ग्रीस, डिज़ाल्व ऑक्सीजन (डीओ), बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) तथा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) के परीक्षण भी नहीं किए जा रहे थे। ग्वालियर, नरसिंहपुर, डिंडोरी एवं झाबुआ की प्रयोगशालाओं में आर्सेनिक का परीक्षण नहीं किया जा रहा था, नाइट्रेट का परीक्षण जिला तथा उप-संभागीय दोनों प्रयोगशालाओं में नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार, कीटनाशक संदूषण की जांच सुनिश्चित किए बिना ही ग्रामीण समुदाय को 'पेयजल' के रूप में जल की आपूर्ति की जा रही थी।

कुछ प्रमुख मापदण्डों के परीक्षण की स्थिति तथा उसके प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 19: परीक्षण न किए जाने का प्रभाव

मापदण्ड	परीक्षण न किए जाने का प्रभाव तथा चयनित आठ जिलों में स्थिति
अमोनिया	विषाक्त, दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम; सभी आठ जिलों तथा जल निगम प्रयोगशालाओं में परीक्षण नहीं किया गया।
आर्सेनिक	कैंसर एवं त्वचा रोग का कारण बनता है; चार जिला तथा जल निगम प्रयोगशालाओं में इसका पता नहीं चल पाया है।
नाइट्रेट	ब्लू-बेबी सिंड्रोम के कारण; डिंडोरी तथा तीन जिलों[61] के चार उप-संभाग प्रयोगशालाओं में परीक्षण नहीं किया गया।
सल्फेट	मैग्नीशियम के साथ मिलकर डायरिया का कारण बन सकता है; चार उप-संभाग प्रयोगशालाओं में अनुपलब्ध।

56 विदिशा जिले की सगद हिनोतिया माली एमवीएस तथा छतरपुर जिले की बानसुजारा बड़ामलहरा एमवीएस।
57 अमोनिया, सिलिका, पोटैशियम, सल्फाइड आदि।
58 तांबा, कैडमियम, सीसा, निकल, जस्ता, चांदी आदि।
59 अलाक्लोर, एट्राजीन, अल्फा-एचसीएच, बीटा-एचसीएच तथा यूरेनियम आदि।
60 तापमान, रंग, गंध, अमोनिया, स्वाद, मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन, तेल एवं ग्रीस, डिज़ाल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ई. कोलाई/थर्मोटोलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, नाइट्रेट तथा कुल आर्सेनिक आदि।
61 टीकमगढ़, नर्मदापुरम और झाबुआ

ई. कोलाई / टीटीसी	जठरांत्र (गैस्ट्रो इंटेस्टीनल) रोगों का कारण; चार जिलों[62] के चार उप-संभाग प्रयोगशालाओं में परीक्षण नहीं किया गया।
ऑयल एवं ग्रीस	हाइड्रोकार्बन/ तेल संकेतकों का; जिला एवं जल निगम प्रयोगशालाओं में परीक्षण नहीं किया गया।
बीओडी,सीओडी, डीओ	प्रदूषण एवं संदूषण संकेतकों का; परीक्षण नहीं किया गया।

जल गुणवत्ता के मापदण्डों का सीमित परीक्षण तथा प्रयोगशालाओं की अपर्याप्त क्षमता जन स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर गंभीर रूप से समझौता करती है। *ऐसी स्थिति में जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता स्वीकृत मानकों के अनुरूप है या नहीं, इस संबंध में लेखापरीक्षा पर्याप्त आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकती।*

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि एमवीएस में डबल्यूटीपी में उपचार के पश्चात ही जल की आपूर्ति किया जाता है। प्रबंध निदेशक, जल निगम ने सहमति व्यक्त की कि भविष्य में कीटनाशकों के परीक्षण हेतु नमूनों को राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं को भी भेजा जाएगा।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जल शोधन संयंत्र में उपचार के पश्चात जल को सुरक्षित होने का दावा सत्यापित नहीं किया जा सकता, चूँकि जल शोधन संयंत्र प्रयोगशालाओं द्वारा सभी आवश्यक मापदण्डों का परीक्षण नहीं किया जा रहा था।

4.2.4 प्रयोगशाला का गैप असेसमेंट और सुधार योजना

डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क के अध्याय 7 के अनुसार प्रयोगशाला का गैप असेसमेंट एवं सुधार योजना के माध्यम से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन मानव संसाधन, भौतिक अवसंरचना, प्रक्रियात्मक अवसंरचना तथा अभिलेखीकरण के आधार पर किया जाता है। फ्रेमवर्क के पैरा 5.1.2.1 में यह भी प्रावधान है कि राज्य स्तरीय प्रयोगशाला निचले-स्तर की प्रयोगशालाओं की निगरानी करने तथा उनके सुधार हेतु योजनाएँ सुझाने के लिए उत्तरदायी होगी।

लेखापरीक्षा में चयनित आठ जिलों की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रयोगशालाओं तथा जल निगम के जल शोधन संयंत्र स्थित प्रयोगशालाओं की समीक्षा करने पर निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

(i) राज्य, जिला, उप- संभागीय प्रयोगशालाओं तथा जल शोधन संयंत्र स्थित प्रयोगशालाओं का गैप असेसमेंट नहीं किया गया तथा उनके सुधार हेतु कोई सुधार योजना तैयार नहीं की गई।

(ii) छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिलों की जिला तथा उप- संभागीय प्रयोगशालाओं में आइस बॉक्स/कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आइस बॉक्स/कोल्ड स्टोरेज के अभाव में इन जिलों में जीवाणु संबंधी परीक्षण के परिणाम विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं।

(iii) राज्य प्रयोगशाला में डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आवश्यक 43 उपकरणों में से केवल 23 उपकरण ही उपलब्ध थे।

(iv) किसी भी प्रयोगशाला (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल निगम) में जल गुणवत्ता के सूक्ष्मजीव एवं रासायनिक परीक्षणों के लिए आवश्यक उन्नत स्पेक्ट्रोफोटोमीटर[63], आर्सेनिक परीक्षण उपकरण[64] तथा सेंट्रीफ्यूज[65] उपलब्ध नहीं थे।

(v) प्रयोगशालाओं में तकनीकी अमले[66] की गंभीर कमी पाई गई। राज्य, जिला, उप- संभागीय प्रयोगशालाओं तथा जल शोधन संयंत्र स्थित प्रयोगशालाओं में माइक्रोबायोलॉजिस्ट/जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं थे (**परिशिष्ट-30**)।

जेजेएम के तहत जल प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त योजना, उपकरण और कर्मचारियों की कमी के कारण परीक्षण के अविश्वसनीय होने, पहचान में देरी होने और जल आपूर्ति के असुरक्षित होने का जोखिम बना रहता है।

---

62 छतरपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और झाबुआ

63 यह उपकरण जल में उपस्थित किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित अथवा पारित प्रकाश की तीव्रता को मापता है। इसका उपयोग सामान्यतः पोषक तत्वों, धातुओं तथा कार्बनिक यौगिकों जैसे विभिन्न रसायनों की सांद्रता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

64 यह उपकरण पूर्व-उपचारित फिल्टर पेपर में पदार्थ को फँसाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप फिल्टर पेपर पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है।

65 सेंट्रीफ्यूज जल से ठोस कणों, तेल तथा अन्य अवांछित पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है।

66 जूनियर केमिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट और प्रयोगशाला सहायक।

निर्गम बैठक के दौरान प्रमुख सचिव, पीएचईडी ने बताया कि जिला एवं उप- संभागीय प्रयोगशालाएँ पहले से ही अलग-अलग हैं, किन्तु उन्होंने प्रयोगशालाओं में आवश्यक मानव संसाधन तथा उपकरणों की कमी के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सभी प्रयोगशालाएँ कर्मचारियों एवं उपकरणों की कमी से जूझ रही हैं। राज्य, जिला तथा उप- संभागीय किसी भी प्रयोगशाला में माइक्रोबायोलॉजिस्ट या जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं थे, जबकि ये जीवाणु संबंधी परीक्षण करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।

4.2.5 जल गुणवत्ता परीक्षण की आवृत्ति में कमियाँ

जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के पैरा 10.1 के अनुसार सभी पेयजल स्रोतों के लिए समग्र जल गुणवत्ता परीक्षण के अंतर्गत रासायनिक मापदण्डों का परीक्षण वर्ष में एक बार तथा जीवाणु संबंधी मापदण्डों का परीक्षण वर्ष में दो बार (मानसून पूर्व एवं पश्चात) किया जाना आवश्यक है, ताकि सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा भारतीय मानकों का अनुपालन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रमुख अभियंता, पीएचईडी द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि जिला एवं उप- संभागीय प्रयोगशालाएँ प्रति माह 300 नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य प्राप्त करेंगी तथा जिला प्रयोगशालाएँ कुल नमूनों में से 5 प्रतिशत नमूने क्रॉस-वेरिफिकेशन के लिए राज्य प्रयोगशाला को भेजेंगी। जल निगम के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, डब्ल्यूपीटी स्थित प्रयोगशालाएँ प्रत्येक ग्राम से प्रति माह एक नमूने का परीक्षण करेंगी तथा सत्यापन के लिए नमूनों को जिला एवं राज्य प्रयोगशालाओं को भेजा जाएगा। इसके साथ ही मासिक रोस्टर तैयार कर सभी मापदण्डों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा आयरन, आर्सेनिक, पीएच इम्बैलन्स, क्लोरीन, टर्बिडिटी तथा जीवाणुओं जैसे प्रदूषकों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को रोका जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पीएचईडी, राज्य प्रयोगशाला तथा जल निगम में व्यापक स्तर पर अनुपालन का अभाव रहा। प्रयोगशालाएँ निर्धारित परीक्षण आवृत्तियों एवं लक्ष्यों को लगातार प्राप्त करने में विफल रहीं, जिसके परिणामस्वरूप जल गुणवत्ता का समुचित आकलन नहीं हो सका तथा परीक्षण से संबंधित कमियाँ अनदेखी की गईं।

पीएचईडी में, आठ चयनित जिलों में से, छह जिला प्रयोगशालाओं ने 300-नमूना मासिक लक्ष्य के विरुद्ध रासायनिक परीक्षणों के लिए 73-99 प्रतिशत और जीवाणु संबंधी परीक्षणों के लिए 58-99 प्रतिशत हासिल किया। हालांकि परीक्षणों में पर्याप्त संख्या में विफलताएँ दर्ज की गई- ग्वालियर, झाबुआ और विदिशा जिलों में क्रमशः रासायनिक-103, 53, और 247; और जीवाणु संबंधी-23, 78, और 221; 2023-24 में ग्वालियर में आयरन के लिए 128 में से 26 नमूने, 2024-25 में विदिशा में 75 में से 10, टीकमगढ़ में 33 में से 12, और छतरपुर में 233 में से 49, कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, छतरपुर में, छह आर्सेनिक, एक ई. कोलाई और कुल कोलीफॉर्म मामलों के बावजूद, जिनके लिए तत्काल जांच और उपचारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता थी, कोई कार्यवाही नहीं की गई। उप-संभाग प्रयोगशालाओं ने जिला प्रयोगशालाओं को केवल 2.3 प्रतिशत (3.77 लाख में से 8,677) रासायनिक और 1.9 प्रतिशत (3.19 लाख में से 5,952) जीवाणु संबंधी नमूने भेजे, जबकि जिलों ने राज्य प्रयोगशाला को आवश्यक 7,200 के विरुद्ध 4,536 रासायनिक (36-91 प्रतिशत) और 1,874 जीवाणु संबंधी (0-87 प्रतिशत) नमूने भेजे। इसके अलावा, 108 रासायनिक और 28 जीवाणु संबंधी परीक्षणों की राज्य-स्तरीय विफलताओं को अनदेखा करके कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य प्रयोगशाला ने 2019-20 में पानी की गुणवत्ता के केवल 27 प्रतिशत (8,400 में से 2,299), 2020-21 में 22 प्रतिशत (1,851) और 2021-22 में 48 प्रतिशत (4,033) क्रॉस-चेक्ड के लिए परीक्षण किए गए।

जल निगम के मामले में, वर्ष 2023-24 के दौरान संचालित दो एमवीएस (सगद हिनोतिया तथा बानसुजारा-बड़ामलहरा) में डबल्यूटीपी प्रयोगशालाएँ निर्धारित प्रति गाँव प्रति माह एक नमूना परीक्षण लक्ष्य के विरुद्ध केवल 19 प्रतिशत रासायनिक परीक्षण (2,736 के विरुद्ध 510) तथा 11 प्रतिशत जीवाणु संबंधी परीक्षण (2,736 के विरुद्ध 296) ही कर सकीं, परीक्षण किए गए 32 प्रतिशत (510 रासायनिक नमूनों में से केवल 163 नमूने) ही जिला प्रयोगशालाओं को भेजे गए तथा राज्य स्तरीय प्रयोगशाला को कोई भी नमूना नहीं भेजा गया, नमूनों के प्रेषण हेतु कोई प्रस्तुति रोस्टर भी निर्धारित नहीं किया गया था; इसके अलावा, विदिशा जिले के अंतर्गत छह ग्रामों को

दिसम्बर 2022 से सभी आवश्यक मापदण्डों के परीक्षण के बिना (पीएच[67], क्लोरीन[68] तथा टर्बिडिटी[69] से संबंधित समस्याओं) प्रदूषित जल प्राप्त हो रहा है।

इन कमियों ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित एवं प्रदूषण-मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों के जलजनित रोगों तथा रासायनिक प्रदूषकों से विषाक्तता के जोखिम में आने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे दीर्घकालिक जन-स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है। अपूर्ण परीक्षण तथा सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव से समुदाय का विश्वास, स्वामित्व तथा जल अवसंरचना के रख-रखाव में सहभागिता भी कमजोर होती है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया कि परीक्षणों की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी।

इस संबंध में आगे की प्रगति अपेक्षित है (जुलाई 2025)।

4.2.6 सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति का कोई आश्वासन नहीं

4.2.6.1 केंद्रीय भूजल बोर्ड की जून 2020 की रिपोर्ट में छतरपुर के गुलगंज और कुर्री, ग्वालियर के घाटीगांव और टेकानपुर तथा झाबुआ के थांदला सहित 10 जिलों[70] में पेयजल में यूरेनियम का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 30 पीपीबी सीमा से ऊपर पाया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य प्रयोगशाला द्वारा यूरेनियम अथवा वायरोलॉजिकल मापदण्डों का परीक्षण नहीं किया जा रहा था। डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे परीक्षण बीएआरसी या एनएबीएल जैसी -मान्यता प्राप्त संस्थानों से अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाने चाहिए, किन्तु राज्य प्रयोगशाला द्वारा इन परीक्षणों के लिए नमूने अग्रेषित नहीं किए गए।

4.2.6.2 ग्राउंड वाटर ईयरबुक 2021-22 मध्य प्रदेश के अनुसार लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए जिलों के 55 गाँव नाइट्रेट, फ्लोराइड तथा हार्डनेस कान्सन्ट्रेशन से प्रभावित थे। इन 55 गाँवों में से 13 गाँवों[71] में एकल ग्राम योजनाएँ लागू की गईं, किन्तु जल में नाइट्रेट एवं टोटल हार्डनेस कान्सन्ट्रेशन को दूर करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए।

इस संबंध में शासन का उत्तर अपेक्षित है (जुलाई 2025)।

4.2.7 स्थानीय समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी

डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क के पैरा 4.3 (v) के अनुसार जल गुणवत्ता की निगरानी स्थानीय समुदाय द्वारा की जानी अनिवार्य है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों /व्हीडब्ल्यूएससी को प्रत्येक आवासीय बस्ती में फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से दो परीक्षण करने होते हैं- (एक जल स्रोत पर तथा दो टेल-एंड वितरण बिंदुओं पर) साथ ही स्वच्छता निरीक्षण भी किया जाना आवश्यक था। इसके लिए प्रत्येक ग्राम में पाँच महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट के उपयोग तथा परीक्षण से संबंधित आँकड़ों को जेजेएम पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा में चयनित आठ जिलों में समुदाय आधारित जल गुणवत्ता निगरानी की गुणवत्ता एवं पर्याप्तता की समीक्षा की गई, जिसमें निम्नलिखित तथ्य पाए गए:

- पीएचईडी द्वारा एफ़टीके के उपयोग हेतु 36,775 महिलाओं के लक्ष्य के विरुद्ध 26,533 महिलाओं को ही प्रशिक्षण दिया गया (28 प्रतिशत कमी)। जल निगम के मामले में प्रति गाँव पाँच प्रशिक्षुओं के दावे पोर्टल के आँकड़ों से मेल नहीं खाते, (1,140 के लक्ष्य के विरुद्ध 555 महिलाओं को ही प्रशिक्षित किया गया)। इसके अतिरिक्त, जेजेएम पोर्टल पर पंजीकृत 10,827[72]

---

67 निपनिया

68 निपनिया, बीलखेड़ी, जीरापु, जोहड़, साधेर एवं वर्धा ग्राम

69 निपनिया

70 बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, झाबुआ, पन्ना, रायसेन, सिवनी और श्योपुर।

71 छतरपुर जिले के गौरीहार गांव, विदिशा जिले के बरेठ, देहरी जागीर, घटेरा, ग्यारसपुर और पथरिया गांव, ग्वालियर जिले के आरोन, चरई श्यामपुर, डोंगरपुर और मोहना गांव और टीकमगढ़ जिले के डिगोड़ा गांव नाइट्रेट सांद्रण में और ग्वालियर जिले के डोंगरपुर गांव और विदिशा जिले के ग्यासपुर गांव टोटल हार्डनेस।

72 (36,775-26,533 = 10,242), (1140 – 555 = 585), 10242 + 585 = 10827

एफटीके उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण की जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण विभाग द्वारा किए गए प्रशिक्षण की पर्याप्तता की पुष्टि नहीं हो सकी।

- वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान क्रमशः चार[73] तथा तीन[74] जिलों में फील्ड टेस्ट किट का वितरण नहीं किया गया तथा पाँच जिलों[75] में फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से कोई परीक्षण नहीं किया गया, जो समुदाय की सीमित भागीदारी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, तीन गाँवों (ग्वालियर - भोरी, बेनीपुरा गांव और विदिशा-बरखेड़ा ताल गांव) में फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध नहीं कराई गईं, फिर भी जेजेएम पोर्टल के अनुसार इन गाँवों में क्रमशः 75, 13 एवं 6 परीक्षण किए जाने का दावा किया गया। एक गाँव (टीकमगढ़) में छह माह तक जल आपूर्ति बंद रहने के बावजूद जेजेएम पोर्टल पर 33 परीक्षण किए जाने की सूचना दर्ज की गई।
- नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ तथा विदिशा जिलों में एसवीएस के अंतर्गत आने वाले गाँवों में स्वच्छता निरीक्षण[76] की योजना नहीं बनाई गई/न ही उनका संचालन किया गया। अन्य चार जिलों में स्वच्छता निरीक्षण किए जाने का दावा किया गया, किन्तु निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।

उपरोक्त कमियाँ जल गुणवत्ता निगरानी में सामुदायिक सहभागिता की गुणवत्ता एवं पर्याप्तता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

इस संबंध में शासन का उत्तर अपेक्षित है (जुलाई 2025)।

जेपीआई: टीकमगढ़ जिले के धरमपुरा गांव (एसवीएस)

टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लॉक के धरमपुरा गांव को एकल-ग्राम जल आपूर्ति योजना द्वारा आच्छादित किया गया था जो *हर घर जल प्रमाणित* था लेकिन संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जेपीआई) के दौरान पिछले छह महीनों से गैर-संचालित पाया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के अंतर्गत जल स्रोत के रूप में उपयोग किए जा रहे खोदे गए कुएँ (ड़ग वेल) तथा नलकूप के आसपास कचरा एवं गोबर का जमाव था। इस प्रकार, जल स्रोत के प्रदूषित होने तथा अनुपयोगी अवसंरचना दर्शाता है कि योजना की उपयोगिता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में उपेक्षा की गई|

फोटो 4.1: गोबर के ढेर से जल स्रोत के प्रदूषित होने की स्थिति

फोटो 4.2: झाड़ियों एवं कचरे से घिरा हुआ खुला कुआँ

73 डिंडोरी, ग्वालियर, टीकमगढ़ और विदिशा
74 डिंडोरी, ग्वालियर और विदिशा
75 डिंडोरी, ग्वालियर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और विदिशा
76 जैविक संदूषण के वास्तविक और संभावित स्रोतों की पहचान करने के लिए एक जल आपूर्ति सुविधा का ऑन-साइट निरीक्षण। सिस्टम की भौतिक संरचना और संचालन और बाहरी पर्यावरणीय कारकों (जैसे शौचालय का स्थान) का मूल्यांकन किया जाता है। इस जानकारी का उपयोग पेयजल के स्रोत और आपूर्ति प्रणाली को बेहतर बनाने / संरक्षित करने के लिए उचित उपचारात्मक कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए किया जाता है। पेयजल / घरेलू जल आपूर्ति के सभी नए और मौजूदा स्रोतों के लिए स्वच्छता निरीक्षण किए जाने हैं।

निर्गम बैठक के दौरान प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया तथा प्रमुख अभियंता को मामले की जांच करने के निर्देश दिए।

इस संबंध में उत्तर अपेक्षित है (जुलाई 2025)।

4.3 स्रोत और योजना स्थिरता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता

भाग-I: योजना की स्थिरता

4.3.1 लाभार्थियों से संचालन एवं रख-रखाव (ओ एंड एम) लागत की वसूली नहीं की गई

राष्ट्रीय जल नीति, 2012 तथा जल जीवन मिशन दोनों के दिशा-निर्देशों में ओ एंड एम व्यय[77] (जलापूर्ति प्रणालियों) की पूर्ण वसूली लाभार्थियों से किए जाने का प्रावधान है। अतः यह अनिवार्य था कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा योजना प्रस्तावित करते समय अनुमानित ओ एंड एम व्यय को ध्यान में रखा जाए तथा ग्रामीण लाभार्थियों से उपयोगकर्ता शुल्क की अनिवार्य वसूली सुनिश्चित की जाए।

जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के पैरा 7.13 के अनुसार वे ग्राम पंचायतें/ व्हीडब्ल्यूएससी जो जलापूर्ति व्यवस्था का एक वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन करती हैं तथा ओ एंड एम शुल्क की वसूली करती हैं, उन्हें ग्राम के भीतर की अवसंरचना लागत के 10 प्रतिशत के बराबर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। किन्तु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा इस प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु मानदण्ड विकसित नहीं किए जाने के कारण पात्र ग्राम पंचायतें/व्हीडब्ल्यूएससी इस लाभ से वंचित रह गईं। इससे उन गाँवों को जेजेएम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिल सकता था।

योजनाओं का स्वामित्व हस्तांतरण होने के पश्चात उनके ओ एंड एम की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होती है। सर्वेक्षण किए गए 32 गाँवों में से 24 गाँवों[78] में लेखापरीक्षा ने पाया कि ओ एंड एम लागत व्यय की वसूली या तो नहीं की जा रही थी अथवा आंशिक रूप से की जा रही थी। इससे यह संकेत मिलता है कि पीएचईडी ने डीपीआर तैयार करते समय समुदाय से ओ एंड एम व्यय की संभावित वसूली के आधार पर योजना की व्यवहार्यता का समुचित आकलन नहीं किया। साथ ही, डीपीआर में योजनाओं की व्यवहार्यता का भी पर्याप्त उल्लेख नहीं किया गया था। ओ एंड एम निधि की आंशिक अथवा शून्य वसूली के कारण योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन एवं स्थिरता पर संदेह उत्पन्न होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 गाँवों में से सात एकल ग्राम योजनाएँ पूर्ण होने के कुछ ही वर्षों के भीतर मोटर पम्प की खराबी, पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने, जल स्रोत के सूख जाने आदि कारणों से गैर-संचालित हो गईं। झाबुआ जिले के कुंडला गाँव में ग्राम पंचायत ने योजना का स्वामित्व ग्रहण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि रेलवे लाइन के पार स्थित कुछ बस्तियों को योजना में शामिल नहीं किया गया था और वे जल जीवन मिशन के अंतर्गत आच्छादित नहीं थीं। योजना पूर्ण होने के बाद भी ग्रामीण हैंडपम्प, खुले कुएँ आदि पुराने जल स्रोतों का ही उपयोग कर रहे थे। ऐसी स्थिति में निर्मित अवसंरचना के क्षरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

योजनाओं की स्थिरता के मुद्दे पर निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ओ एंड एम नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

---

77 ओ एंड एम में आवर्ती व्यय जैसे विद्युत शुल्क, रसायन लागत, निवारक एवं खराबी (ब्रेकडाउन) रख-रखाव पर व्यय, पम्प ऑपरेटर का पारिश्रमिक आदि शामिल होते हैं।

78 कोई ओ एंड एम योगदान नहीं- छतरपुर (दमखेड़ा, कानभाई, बंधा चनौली) डिंडोरी (मोहाती, कठोतिया), ग्वालियर (बेनीपुर), झाबुआ (कुंडला, मंडली बड़ी), नर्मदापुरम (काकाड़ी, बगलखेड़ी, ग्वाड़ीखुर्द), नरसिंहपुर (खड़ाई, सुआतला), टीकमगढ़ (धरमपुरा, मरगुवां, कुनैता, तमोरा) और विदिशा (बरखेड़ा ताल, सागर, नेवली और भौरिया).
आंशिक योगदान- ग्वालियर (भौरी, डांग गुठीना, पुरा बनवार)।

4.3.2 घरेलू कनेक्शनों में मीटर न लगाना

चौदहवें वित्त आयोग (2015–2020) ने मार्च 2017 तक ग्रामीण एवं शहरी घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों में सभी व्यक्तिगत जल कनेक्शन का 100 प्रतिशत मीटरिंग करने की अनुशंसा की थी। साथ ही यह भी बल दिया गया था कि नए व्यक्तिगत जल कनेक्शन तभी प्रदान किए जाएँ जब कार्यशील जल मीटर स्थापित हों। जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को अनमीटर्ड कनेक्शन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, ताकि राजस्व की निरंतर हानि को रोका जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यक्तिगत जल कनेक्शन के मीटरिंग का प्रावधान न तो डीपीआर में किया गया था न ही व्यक्तिगत कनेक्शन प्रदान करते समय जल मीटर स्थापित किए गए। आठ जिलों के 32 चयनित एसवीएस / एमवीएस गांवों में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में भी इसकी पुष्टि की गई थी।

यह दर्शाता है कि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं में नल कनेक्शन की मीटरिंग के लिए कोई योजना नहीं बनाई, जिससे जलापूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

चार जिलों[79] के कार्यपालन यंत्रियों ने (अगस्त से अक्टूबर 2024) बताया कि अनुमानों में मीटरिंग का प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। वहीं प्रबंध निदेशक, जल निगम ने बताया कि व्यक्तिगत मीटरिंग नहीं की जाती क्योंकि यह अनुबंध के दायरे में शामिल नहीं है।

यह उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पीएचईडी तथा जल निगम ने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के साथ-साथ जेजेएम दिशा-निर्देशों की अनदेखी की।

4.3.3 बेयरफुट मैकेनिक्स का कौशल विकास

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक ग्राम/आवासीय बस्ती में दीर्घकालिक आधार पर कार्यात्मक पाइप जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेसनरी, प्लम्बिंग, फिटिंग, विद्युत कार्य आदि क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन (बेयरफुट मैकेनिक) की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य से जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक गाँव में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है, जिसके लिए प्रत्येक जिले में संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र (पीएमकेवीके) के साथ समन्वय स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि *कौशल विकास प्रशिक्षण योजना* (कुशल मानव संसाधन के विकास) के अंतर्गत मेसनरी, प्लम्बिंग, फिटिंग, विद्युत कार्य आदि में 50,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी 2021 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा ₹ 1,712.62 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। हालांकि, विभाग द्वारा ₹ 402.10 लाख के व्यय पर केवल 11,271 व्यक्तियों को ही इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री, फिटर आदि के रूप में प्रशिक्षण दिया जा सका। इस प्रकार, स्वीकृत लागत के 23 प्रतिशत व्यय के बावजूद केवल 22 प्रतिशत व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दिया जा सका। इससे पूर्ण हो चुकी योजनाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न हुई।

बेयरफुट मैकेनिकों के कौशल विकास के संबंध में प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में आश्वासन दिया कि इस विषय की विस्तृत जांच की जाएगी।

4.3.4 सामुदायिक विमुखता: योजना की स्थिरता को कमजोर करना

जल जीवन मिशन सतत जलापूर्ति प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सहभागिता को एक प्रमुख आधार के रूप में महत्व देता है। स्थानीय समुदायों को योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा रख-रखाव में शामिल करके उनमें जल जीवन मिशन स्वामित्व एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जाती है। इसके लिए व्हीडब्ल्यूएससी गठित की जाती हैं, जो ग्रामीणों को संगठित करने, जागरूकता बढ़ाने तथा जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह सहभागी दृष्टिकोण न केवल जलापूर्ति योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करता है, बल्कि दीर्घकालिक सामुदायिक विकास तथा आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करता है।

---

79 ग्वालियर, झाबुआ, नरसिंहपुर, टीकमगढ़

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय समुदायों में स्वामित्व एवं सहभागिता की भावना का अभाव रहा। यह भी पाया गया कि व्हीडब्ल्यूएससी/पानी समिति द्वारा ओ एंड एम शुल्क के संबंध में सामुदायिक अंशदान एकत्र नहीं किया गया। इस विफलता के कारण योजनाओं की स्थिरता एवं प्रभावशीलता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि 32 योजनाओं में से सात योजनाएँ मोटर पम्प, पाइपलाइन आदि घटकों के रख-रखाव के अभाव में पूर्णतः गैर-संचालित थीं, जो स्थानीय समुदाय की भागीदारी के अभाव तथा स्वामित्व की भावना विकसित न होने को दर्शाता है।

भाग-II: स्रोत की स्थिरता

4.3.5 जल स्रोतों की स्थिरता

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 3.6 के अनुसार ग्राम, जिला तथा राज्य कार्ययोजनाओं में जल स्रोत की स्थिरता तथा ग्रे-वॉटर प्रबंधन के लिए समन्वय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 5.3 में प्रावधान है कि डीडबल्यूएसएम इन घटकों के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, तथा केवल वही परियोजनाएँ स्वीकृत की जाएँगी जिनमें इन घटकों को डीपीआर में शामिल किया गया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ जिलों में से सात जिलों में जल निगम द्वारा 25 एमवीएस निष्पादित की गईं, जिनसे 5,431 ग्राम आच्छादित किए गए, इनमें 1,907 ग्राम ऐसे थे जो पहले से ही पूर्ण या प्रगतिरत एसवीएस के अंतर्गत आच्छादित थे (कुल एसवीएस: 4,602)। अपर्याप्त भूजल उपलब्धता के कारण इन 1,907 एसवीएस को अब एमवीएस में स्थानांतरित किया जा रहा है ***(परिशिष्ट-31)***। विदिशा जिले में सभी 522 एसवीएस को एमवीएस में स्थानांतरित कर दिया गया, तथा कि झाबुआ जिले में 716 में से 664 एसवीएस (93 प्रतिशत) को एमवीएस में स्थानांतरित किया गया, जो भूजल उपलब्धता के प्रारंभिक आकलन में कमी को दर्शाता है। इन ग्रामों में पीएचईडीद्वारा रिचार्ज संरचनाओं के बिना बोरवेल निर्माण पर ₹ 19.23 करोड़[80] व्यय किए जा चुके थे। चूँकि अब इन ग्रामों को एमवीएस के माध्यम से थोक मात्रा में जल आपूर्ति प्रदान की जा रही है, अतः बोरवेलों पर किया गया व्यय निष्फल हुआ।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

4.3.6 भूजल की उपलब्धता

भारत के गतिशील भूजल संसाधन आकलन (वर्ष 2022, 2023 एवं 2024) के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में पूर्व आकलन वर्ष की तुलना में भूजल संसाधनों की गतिशीलता में परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से, भूजल पुनर्भरण तथा भूजल दोहन दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, कुओं की जनगणना के आँकड़ों के पुन: संरेखण (केलिब्रेशन) तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती जल मांग के परिणामस्वरूप भूजल दोहन में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई है।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2022, 2023 तथा 2024 के वार्षिक निकासी योग्य भूजल संसाधनों की तुलना वार्षिक भूजल दोहन से की गई। इसमें पाया गया कि भूजल दोहन में क्रमिक वृद्धि हुई- वर्ष 2022 से 2023 के बीच यह 19.25 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) से बढ़कर 19.30 बीसीएम हो गया तथा वर्ष 2023 से 2024 के बीच यह 19.30 बीसीएम से बढ़कर 19.85 बीसीएम तक पहुँच गया। जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों में भूजल स्तर तथा जल स्रोतों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्रोत स्थिरता से संबंधित उपाय अपनाने पर विशेष बल दिया गया है।

पंचायत, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर जल स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित करने अथवा निकासी योग्य भूजल संसाधनों में वृद्धि के लिए कोई उपाय नहीं अपनाए गए। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि भूजल पर आधारित 1,907 एसवीएस को भूजल की अनुपलब्धता के कारण एमवीएस में स्थानांतरित करना पड़ा, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिका 4.3.5 में उल्लेखित है।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

80 एक बोरवेल की लागत = ₹ 1,00,828 * 1,907 = ₹ 19.22 करोड़

4.3.7 जल स्रोतों की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप

जेजेएम दिशा-निर्देशों के पैरा 8.4.1 के अनुसार, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा देश के लिए 1:50,000 स्केल पर हाइड्रो-जियो-मॉर्फोलॉजिकल (एचजीएम) मानचित्र (4,898 संख्या) तैयार किए गए हैं, जिनका उपयोग भूजल की संभावित उपलब्धता वाले स्थानों तथा एक्वीफरों के पुनर्भरण के उपयुक्त स्थलों की पहचान के लिए किया जा सकता है। ये एचजीएम मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया के टोपोशीट्स के आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा आवश्यकता अनुसार राज्य सरकारें भी ऐसे मानचित्र तैयार कर सकती हैं। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए आठ जिलों में विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुशंसित इन तकनीकी हस्तक्षेपों को अपनाया नहीं गया।

जिला डिंडोरी, ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर तथा टीकमगढ़ के कार्यपालन यांत्रियों ने उत्तर में बताया कि अनुमान में प्रावधान न होने, बजट आवंटन तथा प्रशिक्षित कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण तकनीकी हस्तक्षेपों एवं नवाचारों को अपनाया नहीं जा सका। छतरपुर एवं विदिशा जिलों के कार्यपालन यंत्रियों ने अवगत कराया कि इस संबंध में उत्तर यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जल जीवन मिशन दिशा-निर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार तकनीकी हस्तक्षेपों को अपनाया जाना चाहिए था।

4.3.8 स्थायी स्रोत सुनिश्चित किए बिना जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन करना तथा विनिर्देशों के विपरीत डेड स्टोरेज से जल की आपूर्ति करना

डीपीआर तैयार करने के मैनुअल के पैरा 3 के अनुसार, 30 वर्ष की डिजाइन अवधि के लिए 100 प्रतिशत विश्वसनीय जल स्रोत सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आईएस: 5477 (भाग-1, 1999) के दिशा-निर्देशों के अनुसार डेड स्टोरेज वह निष्क्रिय भंडारण है जिसे जलाशय के डिजाइन के समय इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि जलाशय के पूरे जीवनकाल में तलछट (सेडीमेंट) के संचय को समायोजित किया जा सके। यह जलाशय का वह न्यूनतम जल आयतन होता है जिसे सामान्य निकास साधनों (जैसे गुरुत्व आधारित नहरों) द्वारा पूरी तरह खाली नहीं किया जा सकता। डेड स्टोरेज का उद्देश्य बांध की डिजाइन अवधि के दौरान सेडीमेंट को उसी क्षेत्र में रोककर रखना है, जिससे लाइव स्टोरेज में सेडीमेंट का प्रवेश न हो और जलाशय की दीर्घकालिक कार्यक्षमता बनी रहे। डेड स्टोरेज पर्यावरणीय प्रवाह (इकोलॉजिकल फ्लो) तथा बांध की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है, जबकि लाइव स्टोरेज परिचालन हेतु जल उपलब्ध कराता है। सेडीमेंट की नियमित निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि डेड स्टोरेज अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य करता रहे और जलाशय अपनी डिजाइन अवधि तक विश्वसनीय जल स्रोत बना रहे।

पाँच एमवीएस की लेखापरीक्षा में जल आवंटन से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं, जो इन योजनाओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता (लॉंगटर्म वाइअबिलटी) के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है:

एमवीएस	स्थिति	प्रभाव
राजघाट एमवीएस	1,573 ग्रामों के लिए अनुमानित आवश्यकता 93 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) थी, जबकि मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने प्रारंभ में बांध के डेड स्टोरेज से 51.20 एमसीएम आवंटित किया। बाद में मुख्य अभियंता द्वारा इसे "लाइव स्टोरेज" से पुनः आवंटित किया गया, परंतु यह पुनः आवंटन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया।	बांध (वर्ष 2018 में) की कुल क्षमता 1,945 एमसीएम के विरुद्ध मांग 2,217.74 एमसीएम थी। इस प्रकार पहले से ही 272.74 एमसीएम की कमी थी। ऐसे में अतिरिक्त 93 एमसीएम का आवंटन दीर्घकालिक रूप से अव्यवहार्य था।
गांधी सागर-1 एमवीएस	जनसंख्या अनुमानों के आधार पर 820 ग्रामों के लिए जलापूर्ति योजना के अंतर्गत डीपीआर के अनुसार वर्ष 2023 में 95.50 एमएलडी, वर्ष 2038 में 116.70 एमएलडी तथा वर्ष 2053 में 143.05 एमएलडी जल की आवश्यकता आंकी गई थी। दिसंबर 2019 में डब्ल्यूआरडी ने गांधी सागर बांध के डेड स्टोरेज से 34.82 एमसीएम (95.38 एमएलडी) आवंटित किया, जो 2053 तक की अंतिम आवश्यकता 52.25 एमसीएम (143.05 एमएलडी) को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।	डेड स्टोरेज के जल का उपयोग आईएस कोड विनिर्देशों का उल्लंघन है, जिससे बांध की स्थिरता तथा सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को भी खतरे में डालता है। इसके परिणामस्वरूप योजना की डिजाइन अवधि के दौरान भविष्य में जल की कमी उत्पन्न होने की संभावना के कारण एमवीएस परियोजना पर किया गया व्यय निष्प्रभावी हो सकता है।

एमवीएस	स्थिति	प्रभाव
गांधी सागर-2 एमवीएस	डब्ल्यूआरडी ने बांध के डेड स्टोरेज से 33.69 एमसीएम जल आवंटित किया, जो वर्ष 2023 में 915 ग्रामों एवं 7 नगरों के लिए अनुमानित 35.80 एमसीएम जल मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप 2.11 एमसीएम की कमी उत्पन्न हुई।	उपलब्धता और मांग के बीच यह अंतर अपर्याप्त योजना एवं समन्वय को दर्शाता है, क्योंकि डीपीआर तैयार करते समय जल आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। साथ ही डेड स्टोरेज पर निर्भरता से दीर्घकालिक स्थिरता और बांध सुरक्षा मानकों पर प्रश्न उठते हैं।
आगर मालवा एमवीएस	480 ग्रामों के लिए अनुमानित जल मांग वर्ष 2021 में 42.52 एमएलडी (15.52 एमसीएम) आंकी गई थी, जो बढ़कर वर्ष 2031 में 49.12 एमएलडी तथा वर्ष 2047 तक 64.15 एमएलडी होने का अनुमान है। डीपीआर तैयार करने के समय जल संसाधन विभाग से अंतिम आवंटन की मंजूरी के बिना, कुंडालिया बांध से पानी प्राप्त करने की योजना बनाई गई थी।	यद्यपि बाद में मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा एमवीएस के लिए 17.33 एमसीएम (47.48 एमएलडी) जल आवंटित किया गया, किंतु यह वर्ष 2031 के बाद लक्षित ग्रामों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। अतः आगामी 30 वर्षों की अवधि के लिए जल आपूर्ति का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया।
कुंडालिया एमवीएस	डीपीआर के अनुसार वर्ष 2017 में 535 ग्रामों के लिए 51.33 एमएलडी जल की मांग का अनुमान लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 के एक प्रस्ताव में अन्य नगरों एवं ग्रामों के लिए 9.82 एमएलडी की अतिरिक्त मांग जोड़ी गई, जिससे कुल मांग 61.15 एमएलडी हो गई। कुंडालिया बांध में पर्याप्त भंडारण उपलब्ध नहीं होने के कारण डब्ल्यूआरडी द्वारा वर्ष 2016 में डेड स्टोरेज से केवल 51.34 एमएलडी जल आवंटित किया गया।	परिणामस्वरूप, योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों की संशोधित आवश्यकताओं की 100 प्रतिशत पूर्ति के लिए जल उपलब्धता अत्यंत अपर्याप्त रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बांधों के डेड स्टोरेज से एमवीएस के लिए जल आवंटन न केवल बांधों की संरचनात्मक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, बल्कि धारण क्षमता से अधिक जल आवंटन गंभीर जल संकट उत्पन्न कर सकता है, यह अत्यंत संदिग्ध है कि ये योजनाएँ अपनी निर्धारित डिजाइन अवधि के दौरान अनुमानित जल मांग को पूरा कर पाएंगी।

बांध के डेड स्टोरेज के जल का उपयोग पेयजल प्रयोजनों के लिए करने से जल गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि इस जल में सेडीमेंट, जैविक पदार्थ, डिज़ाल्व ऑक्सीजन के निम्न स्तर तथा अन्य प्रदूषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है।

4.4 योजना के परिणामों का निर्धारण करने के लिए लाभार्थी सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा के परिणामों का 32 ग्रामों के 629 परिवारों के लाभार्थी सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के साथ सहसंबंध स्थापित किया गया, ताकि जमीनी वास्तविकताओं के संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन एवं मानकीकरण (बेंच मार्किंग) किया जा सके।

समुदाय परामर्श	**इस प्रतिवेदन के अनुसार:** व्हीडब्ल्यूएससी का गठन या तो नहीं किया गया था अथवा जेजेएम योजना प्रारंभ करने से पूर्व उनसे परामर्श नहीं किया गया। आईएसए गतिविधियाँ निर्धारित लक्ष्यों से कम रहीं। **सर्वेक्षण परिणाम:** पांच व्हीडब्ल्यूएससी (32 में से) ने कहा कि योजना को ग्राम सभा की ओपन मीटिंग के आधार पर शुरू नहीं किया गया था।
योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति	**इस प्रतिवेदन के अनुसार:** एफएचटीसी के लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सके अथवा योजनाएँ स्रोत स्थिरता संबंधी समस्याओं से प्रभावित रहीं। जल गुणवत्ता परीक्षण की अपर्याप्तता तथा परीक्षण की कम आवृत्ति के कारण आपूर्ति किए जा रहे जल की सुरक्षा एवं पीने योग्य होने पर भी प्रश्नचिह्न बना हुआ है। समुदाय का 10 प्रतिशत अंशदान अभी संग्रहित किया जाना शेष है, जिससे ओ एंड एम कार्य प्रभावित हो सकते हैं, परिणामस्वरूप योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। **सर्वेक्षण परिणाम:** 141 लाभार्थियों (629 लाभार्थियों में से) ने बताया कि उन्हें जल आपूर्ति प्राप्त नहीं हो रही है। अन्य 183 लाभार्थियों ने बताया कि आपूर्ति किया गया जल पीने योग्य नहीं है, जबकि 252 लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें देय 10 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसका भुगतान उन्हें करना था।

वास्तविक स्थिति में प्राप्त निष्कर्ष लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि करते हैं तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं।

प्रमुख सचिव ने (जून 2025) प्रमुख अभियंता को इन मामलों की गहन जांच करने के निर्देश दिए।

इस संबंध में आगे की प्रगति अपेक्षित है (जून 2025)।

4.5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में निगरानी, जल गुणवत्ता आश्वासन तथा योजनाओं की स्थिरता से संबंधित प्रणालीगत कमियाँ पाई गईं, जो सामूहिक रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सतत एवं पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के जेजेएम के मूल उद्देश्य को प्रभावित करती हैं। प्रमुख निगरानी संबंधी कमियों में डैशबोर्ड पर एफएचटीसी की गलत रिपोर्टिंग, एसवीएस में नियोजित एवं कार्यान्वयित एफएचटीसी के बीच व्यापक अंतर तथा आईओटी और एचजीएम मानचित्र जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों को न अपनाना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप प्रगति की सटीक निगरानी नहीं हो सकी तथा अवसंरचना योजना प्रभावित हुई। इसके कारण गैर-कार्यात्मक एफएचटीसी की स्थिति चिन्हित नहीं हो सकी।

अपर्याप्त अवसंरचना के कारण जल गुणवत्ता की निगरानी गंभीर रूप से प्रभावित रही। पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक समग्र तंत्र प्रदान करने वाले डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एस फ्रेमवर्क का पालन नहीं किया गया। जिला एवं उप-संभाग प्रयोगशालाओं में ई. कोलाई तथा टोटल कोलीफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण मानकों के परीक्षण हेतु एनएबीएल मान्यता उपलब्ध नहीं थी तथा केवल आंशिक परीक्षण ही किए गए। परीक्षण की आवृत्ति में भी कमी पाई गई। परिणामस्वरूप विभाग लाभार्थियों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सका।

मध्य प्रदेश में जेजेएम के कार्यान्वयन में योजना तथा जल स्रोत दोनों के विफल होने का उच्च जोखिम पाया गया, जैसा कि लेखापरीक्षा में योजना एवं स्रोत दोनों स्तरों पर पाई गई महत्वपूर्ण स्थिरता संबंधी समस्याओं से स्पष्ट है। लाभार्थियों से ओ एंड एम व्यय की वसूली नहीं की गई, जल आपूर्ति मीटर के बिना रही तथा कौशल विकास और पर्याप्त एफटीके उपयोगकर्ताओं का समूह तैयार कर समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया गया। जल स्रोतों की संवेदनशीलता भी स्पष्ट रूप से सामने आई, जहाँ जल स्रोतों के क्षय के कारण एसवीएस को एमवीएस में स्थानांतरित करना पड़ा, जबकि रिचार्ज के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए गए। साथ ही, बांधों के डेड स्टोरेज से अत्यधिक जल आवंटन, जिससे भविष्य की स्थिरता पर जोखिम उत्पन्न हुआ, तथा जलाशयों की वहन क्षमता से अधिक जल आवंटन/दोहन भी देखा गया। 32 ग्रामों के 629 परिवारों के लाभार्थी सर्वेक्षण ने भी इन निष्कर्षों की पुष्टि की, जिसमें अकार्यशील योजनाएँ, पुराने जल स्रोतों पर निर्भरता तथा समुदाय के स्वामित्व भाव में कमी जैसी स्थितियाँ सामने आईं, जिससे योजनाओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता प्रभावित होने की आशंका व्यक्त होती है।

ये प्रणालीगत विफलताएँ न केवल ग्रामीण आबादी को जलजनित रोगों तथा रासायनिक विषाक्तता जैसे स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, बल्कि जल स्रोतों की विफलता तथा जनविश्वास में कमी का कारण भी बन सकती हैं, जिससे अंततः मध्य प्रदेश में जेजेएम के सफल कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है।

4.6 अध्याय संबंधी अनुशंसाएँ:

यह अनुशंसा की जाती है कि मध्य प्रदेश शासन:

1. ई-जल शक्ति पोर्टल के लिए कड़े डेटा सत्यापन प्रोटोकॉल विकसित एवं लागू किए जाएँ तथा सभी जिलों में रिपोर्ट किए गए एफएचटीसी का वास्तविक स्तर पर सत्यापन के आधार पर नियमित लेखापरीक्षण कराया जाए और गलत रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

2. अनिवार्य रूप से सभी चल रही / परिचालन योजनाओं में रिचार्ज संरचनाओं के प्रावधानों को शामिल किए जाएँ और ग्रेवाटर प्रबंधन और स्रोत संवर्धन के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाए।

3. राज्य एवं जिला प्रयोगशालाओं को सभी आवश्यक मानकों के परीक्षण हेतु पूर्ण एनएबीएल मान्यता से सुसज्जित किया जाए, पर्याप्त कार्मिकों की नियुक्ति की जाए तथा विफल नमूनों के लिए उपचारात्मक उपाय (जैसे डी-फ्लोरिडेशन संयंत्र) अनिवार्य किए जाएँ, साथ ही क्रॉस-वेरिफिकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त अनुशंसाओं को अंतिम अध्याय में उपयुक्त रूप से संक्षिप्त किया गया है।

अध्याय-V
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

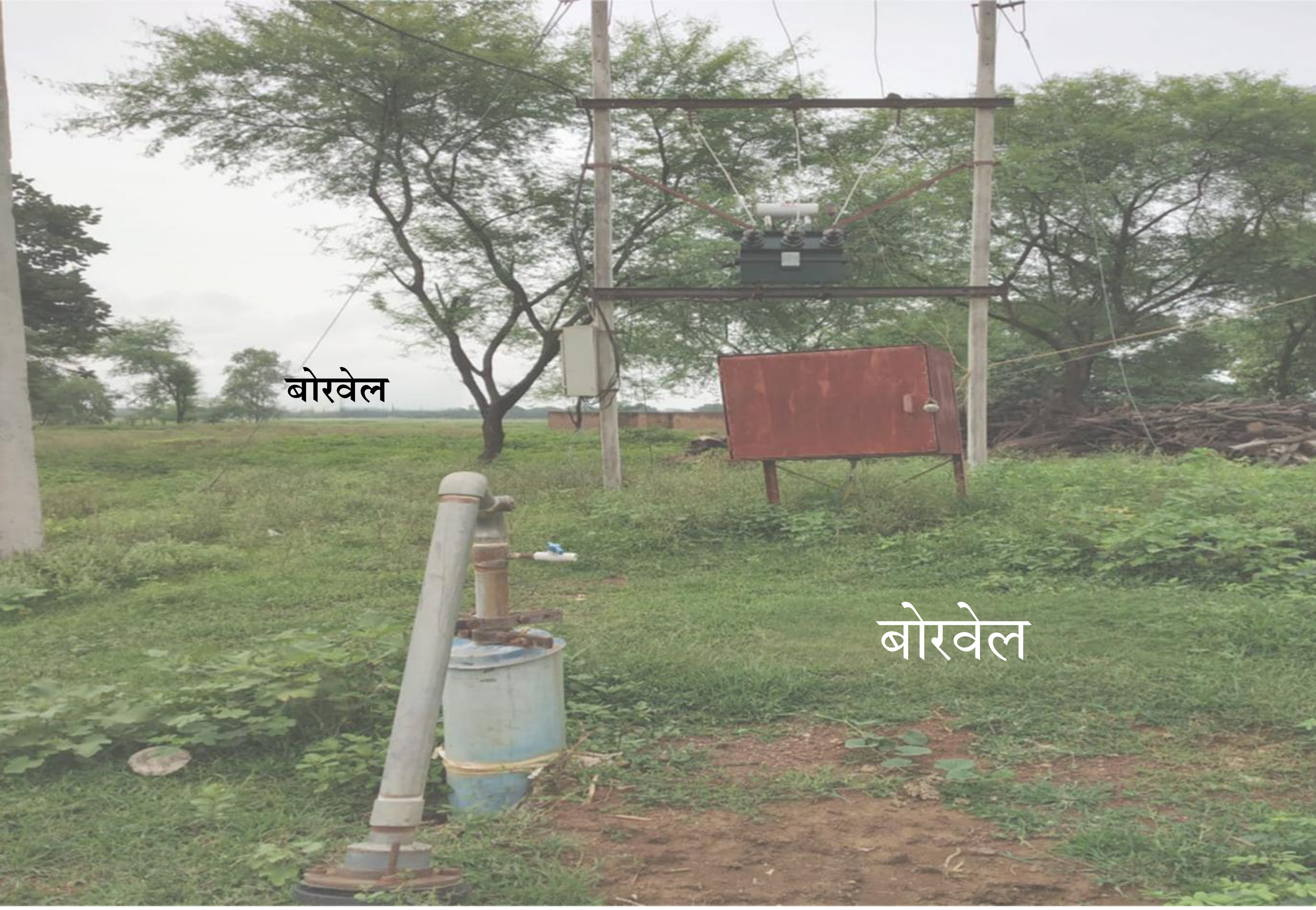
बोरवेल
बोरवेल

जल प्रशोधन संयंत्र
मादिया, एमवीएस, सागर,
मध्यप्रदेश

अध्याय V:
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

5.1 निष्कर्ष

जल जीवन मिशन, जो वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया, का उद्देश्य वर्ष 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था, ताकि सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल (प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर) की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस मिशन में स्थिरता, समानता तथा सामुदायिक स्वामित्व पर विशेष बल दिया गया है। लेखापरीक्षा में मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया, जिसमें अवधि 2019-20 से 2023-24 को आवृत किया गया।

मध्य प्रदेश में 98.28 लाख एफएचटीसी के लक्ष्य के विरुद्ध (दिसंबर 2024 तक) 60.90 लाख एफएचटीसी प्रदान किए गए, जो लगभग 62 प्रतिशत उपलब्धि को दर्शाता है। तथापि, योजना निर्माण, निष्पादन तथा स्थिरता से संबंधित महत्वपूर्ण कमियों के कारण मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावित हुई है।

मिशन के महत्वपूर्ण पहलू एवं उनका निष्पादन मूल्यांकन:

योजना निर्माण एवं सामुदायिक सहभागिता: ग्राम कार्ययोजना (वीएपी), जिला कार्ययोजना (डीएपी) तथा राज्य कार्ययोजना (एसएपी) के माध्यम से अपनाई जाने वाली जल जीवन मिशन की बॉटम-अप पद्धति का व्यापक रूप से पालन नहीं किया गया। अनेक ग्रामों में वीएपी उपलब्ध नहीं थीं अथवा बाद में तैयार की गईं, आधारभूत सर्वेक्षण अपूर्ण रहे तथा सामुदायिक सहभागिता न्यूनतम रही (जिलों में कई स्थानों पर व्हीडब्ल्यूएससी का गठन नहीं किया गया)। हितधारकों/ समुदाय का अंशदान नगण्य रहा, क्योंकि आईएसए ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया तथा योजना से संबंधित जागरूकता अंतिम स्तर तक नहीं पहुँचाई गई। यद्यपि समुदाय को मुख्य लाभार्थी के रूप में परिकल्पित किया गया था, समुदाय का स्वामित्व भाव और सहभागिता कमजोर हो गई। योजना निर्माण में पाई गई कमियों के कारण (सर्वेक्षित 32 योजनाओं में से 7 योजनाएँ) गैर-कार्यात्मक पाई गईं तथा एससी/एसटी/पीवीटीजी बस्तियों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की प्राथमिकताओं की उपेक्षा हुई। ग्रे-वॉटर प्रबंधन तथा जल स्रोत रिचार्ज के लिए समन्वय का अभाव पाया गया, जो दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है तथा जल सुरक्षा को भी प्रभावित करता है।

कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन: कार्यान्वयन में देरी के साथ-साथ लागत में वृद्धि और अस्वीकार्य भुगतान भी हुए। जल निगम ने ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि को बचत खाते में स्थानांतरित करके योजना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया और कई वर्षों तक योजना निधि का ठीक से उपयोग नहीं किया, जिससे संसाधन निष्क्रिय पड़े रहे और परियोजना परिणाम में देरी हुई।

स्थिरता एवं निगरानी: योजनाओं में हाइड्रोजियोलॉजिकल आकलन का अभाव पाया गया तथा पाँच एमवीएस में बांधों के डेड स्टोरेज से अत्यधिक जल आवंटन किए जाने से भविष्य में जल की कमी का जोखिम उत्पन्न हुआ। निगरानी के लिए आईओटी/ एससीएडीए जैसी तकनीकों को नहीं अपनाया गया तथा ओ एंड एम नीति का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने से पूर्णता के बाद परिसंपत्तियों का संचालन प्रभावित रहा। टेक्नोलॉजिकल इन्टर्वेन्शन की भी उपेक्षा की गई। लाभार्थी सर्वेक्षण से यह भी सामने आया कि घरों के बाहर सिंगल पॉइंट टैप्स स्थापित किए गए, जो मल्टी प्वाइंट आपूर्ति संबंधी दिशा-निर्देशों के विपरीत है। प्रयोगशालाएँ अपर्याप्त रूप से सुसज्जित थीं तथा सभी मापदंडों के परीक्षण हेतु एनएबीएल मान्यता भी उपलब्ध नहीं थी। अपर्याप्त परीक्षण और न्यूनतम क्रॉस-वेरिफिकेशन के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है।

निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा परिणामों में महत्वपूर्ण अंतराल विद्यमान हैं, जिन्होंने सामूहिक रूप से मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रभावित किया है तथा 'हर घर जल' अभियान की दीर्घकालिक स्थिरता और अंतिम सफलता के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न की हैं। प्रतिवेदन में उल्लिखित निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित अनुशंसाएँ, पहचानी गई कमजोरियों एवं कमियों को दूर करने के लिए संभावित समाधान प्रदान करती हैं।

5.2 अनुशंसाएँ

निम्नलिखित स्मार्ट (विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक एवं समयबद्ध) अनुशंसाएँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन को भूजल क्षय के जोखिमों का समाधान करने, योजनाओं की डिजाइन अवधि के दौरान उनकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध तरीके से 100 प्रतिशत कार्यात्मक एफएचटीसी प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकती हैं।

1. ओ एंड एम स्थिरता के लिए सामुदायिक स्वामित्व एवं सहभागिता को सुदृढ़ करते हुए बॉटम-अप योजना प्रक्रिया को सशक्त बनाना।

उपाय: आईएसए के माध्यम से शेष ग्रामों में यथाशीघ्र 100 प्रतिशत वीएपी का कवरेज सुनिश्चित किया जाए। सभी ग्रामों में वीडब्ल्यूएससी का गठन/ सक्रिय किया जाए तथा आईईसी अभियानों के माध्यम से पूंजीगत व्यय/ ओ एंड एम हेतु 5–10 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान अनिवार्य किया जाए तथा जेजेएम हैंडबुक के अनुरूप स्थानीय समुदाय को जल गुणवत्ता परीक्षण तथा जल स्रोत संरक्षण के संबंध में जागरूक किया जाए।

2. भूजल क्षरण से निपटने के लिए स्रोत स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए

उपाय: सभी नई / चल रही योजनाओं के लिए अनिवार्य हाइड्रोजियोलॉजिकल आकलन किया जाए, पारंपरिक जल स्रोतों (जैसे, झीलें, झरने) को पुनर्जीवित किया जाए तथा, वर्षा जल संचयन जैसे रिचार्ज उपायों को लागू किया जाए।

3. विलंब एवं लागत वृद्धि को न्यूनतम करने हेतु कार्यान्वयन और वित्तीय अनुशासन में सुधार किया जाए

उपाय: चरणबद्ध निधि निर्गम के लिए आईएसए की समयबद्ध तैनाती तथा पीएफएमएस अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, साथ ही लागत वृद्धि और अस्वीकार्य भुगतानों (जैसे बढ़ाए गए पीएसी) की कड़ी निगरानी की जाए। परियोजनाओं में होने वाले विलंब की बारीकी से निगरानी करते हुए अस्वीकार्य भुगतानों की वसूली सुनिश्चित की जाए।

4. जल गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना का उन्नयन एवं उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाएँ

उपाय: राज्य एवं जिला प्रयोगशालाओं को सभी आवश्यक मापदंडों के परीक्षण हेतु पूर्ण एनएबीएल मान्यता प्राप्त किया जाए, पर्याप्त कार्मिकों की नियुक्ति की जाए तथा विफल नमूनों के लिए उपचारात्मक उपाय (जैसे डी-फ्लोरिडेशन संयंत्र) अनिवार्य किए जाएँ, साथ ही टेस्ट रिपोर्ट के क्रॉस-वेरिफिकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

5. रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं कार्यात्मकता सुनिश्चित करने हेतु टेक्नोलॉजिकल इनोवैशन अपनाए जाएँ

उपाय: सभी योजनाओं में जल प्रवाह एवं जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए आईओटी आधारित प्रणालियों तथा एससीएडीए को लागू किया जाए तथा इन्हें ओवरहेड टैंकों एवं सार्वजनिक संस्थानों तक विस्तारित किया जाए।

(राम हित)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांक : 21 अप्रैल 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 30 अप्रैल 2026

परिशिष्ट

मास्टर बैलेंसिंग जलाशय

स्टैंडपोस्ट

परिशिष्ट 1

आधारभूत सर्वेक्षण के न किए जाने का विवरण

स.क्र.	जिला	कुल योजनाएँ	आईएसए को आवंटित कुल गाँव/योजनाएँ	अंतर
1	छतरपुर	204	171	33
2	डिंडोरी	454	478	-24
3	ग्वालियर	455	384	71
4	झाबुआ	716	500	216
5	नर्मदापुरम	858	650	208
6	नरसिंहपुर	894	700	194
7	टीकमगढ़	473	484	-11
8	विदिशा	522	543	-21
	कुल	**4,576**	**3,910**	**666**

परिशिष्ट 2

अप्रभावी ग्राम कार्ययोजना का विवरण

स.क्र.	जिला	गांवों की संख्या (J-10)	J-10 के अनुसार तैयार किया गया वीएपी	तैयार किए गए वीएपी का प्रतिशत
1	झाबुआ	778	734	94.34
2	नरसिंहपुर	1,007	685	68.02
3	डिंडोरी	892	520	58.30
4	विदिशा	1,518	632	41.63
5	छतरपुर	1,074	962	89.57
6	टीकमगढ़	625	255	40.80
	कुल	**5,894**	**3,788**	
		100% पूर्ण वीएपी का विवरण		
1	नर्मदापुरम	894	889	99.44
2	ग्वालियर	529	522	98.68
	कुल योग	**7,317**	**5,199**	

परिशिष्ट 3

अप्रभावी ग्रामकार्य योजना

स.क्र.	जिला	योजना का नाम	जी.पी. प्रस्ताव	क्या वीडब्ल्यूएससी की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जाती हैं ?	
1	विदिशा	बरखेड़ा ताल	नहीं	-	नहीं
2		भौरिया	नहीं	-	नहीं
3		सागर	तैयार नहीं किया गया	हाँ	-
4		न्यूली	तैयार नहीं किया गया	हाँ	-
5	छतरपुर	कनभई	नहीं	-	नहीं
6		डूमखेड़ा	हाँ	-	नहीं
7		बामनकोला	हाँ	हाँ	
8		बंधा चनौली	हाँ	-	नहीं
9	टीकमगढ़	तमोरा	हाँ	-	नहीं
10		मरगुवां	नहीं	-	नहीं
11		धरमपुरा	हाँ	-	नहीं
12		कुनैता	हाँ	-	नहीं
13	ग्वालियर	डांग गुथिना	हाँ	-	नहीं
14		पुरा बनावर	नहीं	-	नहीं
15		बेनीपुरा	नहीं	-	नहीं
16		भौरी	हाँ	-	नहीं

स.क्र.	जिला	योजना का नाम	जी.पी. प्रस्ताव	क्या वीडब्ल्यूएससी की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जाती हैं ?	
17	नर्मदापुरम	कांकडी	नहीं	-	नहीं
18		ग्वाड़ीखुर्द	हाँ	-	नहीं
19		बगल खेड़ी	हाँ	-	नहीं
20		खोकसर	हाँ	हाँ	-
21	झाबुआ	कुंडला	नहीं	-	नहीं
22		मंडली बड़ी	हाँ	हाँ	-
23		घुघरी	हाँ	हाँ	-
24		बारीगांव	हाँ	हाँ	-
25	नरसिंहपुर	मानेगांव	हाँ	हाँ	-
26		सुआतला	हाँ	हाँ	-
27		हिरदेपुर	हाँ	हाँ	-
28		खड़ई चिचली	हाँ	हाँ	-
29	डिंडोरी	मोहती	हाँ	-	नहीं
30		कठौतिया	हाँ	-	नहीं
31		सुखलौंदी	हाँ	-	नहीं
32		भालापुरी	हाँ	हाँ	-
		कुल	**नहीं -8 हाँ -22 तैयार नहीं किया गया -2**	**12 हाँ**	**20 नहीं**

परिशिष्ट 4

डीपीआर तैयार करने एवं एनआईटी जारी करने के पश्चात तैयार की गई वीएपी तथा आईएसए द्वारा वीएपी तैयार करने पर हुए निष्फल व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला	आईएसए का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध राशि	भुगतान की गई राशि	आवंटित एसवीएस की संख्या	निविदा स्वीकृति के पश्चात तैयार की गई वीएपी की संख्या	वीएपी तैयार करने हेतु किया गया भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*5
1	छतरपुर	मेसर्स एसआरएम शिक्षा और सामाजिक कल्याण सोसायटी, सागर	34/21-22	88.78	88.78	200	1	0.44
2	डिंडोरी	मेसर्स राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, जबलपुर	60/20-21	41.95	40.37	100	1	0.42
		मेसर्स अदिति स्वयं सेवी संस्थान समिति, जबलपुर	43/22-23	74.35	63.97	200	8	2.97
3	ग्वालियर	मेसर्स ग्रामीण विकास युवा संस्थान, राजस्थान	42/21-22	74.83	60.14	184	5	2.03
4	झाबुआ	मेसर्स मानव बस्ती और ग्रामीण विकास झाबुआ	102/22-23	56.04	10.85	150	4	1.49
5	नर्मदापुरम	मेसर्स नेटिव एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग सोसाइटी	85/21-22	106.90	90.34	250	3	1.28
		मेसर्स अधर फाउंडेशन	50/23-24	102.23	0	250	4	1.64
6	नरसिंहपुर	मेसर्स हमलोग शिष्याछा और समाज कल्याण समिति, भोपाल	53/20-21	62.85	55.44	150	7	2.93
		मेसर्स हेल्प राइस हैंड्स टू हेल्प, जबलपुर	72/22-23	111.59	72.53	300	5	1.86
7	टीकमगढ़	मेसर्स एलायंस अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, भोपाल	91/20-21	68.22	55.44	184	4	1.48
8	विदिशा	मेसर्स सार्थक सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, जयपुर	04/21-22	38.34	19.17	100	5	1.92
		कुल					**47**	**18.46**

परिशिष्ट 5

वीडब्ल्यूएससी के गठन का विवरण

स.क्र.	जिला	गांवों की संख्या (J-10)	गठित वीडब्ल्यूएससी (J-10)	कुल गाँव (विभागीय जानकारी के अनुसार)
1	नर्मदापुरम	894	889	908
2	झाबुआ	778	774	770
3	नरसिंहपुर	1007	689	949
4	डिंडोरी	892	384	904
5	विदिशा	1518	752	1528
6	छतरपुर	1074	1066	1074
7	टीकमगढ़	624	444	596
8	ग्वालियर	525	519	516
	कुल	**7,312**	**5,517**	**7,245**

परिशिष्ट 6

विभाग द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी न किए जाने को दर्शाने वाला विवरण

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि / अंतिम माप की तिथि	विचार की अवधि यानी ऑडिट से पहले की अंतिम अवधि	सीसी जारी करने में देरी	कार्य की स्थिति	भौतिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया या नहीं	टिप्पणी
1	झाबुआ	03/2021-22	07-10-2021	25-09-2022	31-08-2024	23	सभी योजनाएँ पूर्ण दर्शाई गईं	नहीं	-
2		77/2021-22	28-01-2022	30-06-2022	31-08-2024	26	सभी योजनाएँ पूर्ण दर्शाई गईं	नहीं	-
3		37/2022-23	16-02-2023	18-02-2023	31-08-2024	18	सभी योजनाएँ पूर्ण दर्शाई गईं	नहीं	-
4	नर्मदापुरम	52/2020-21	17-07-2021	29-03-2024	31-07-2024	4	14 ग्रामों में, 12 योजनाएँ पूर्ण दर्शाई गईं।	नहीं	02 ग्राम (मेली एवं आमखेड़ी) पुनः निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत हैं।
5	नरसिंहपुर	48/2020-21	12-07-2021	31-05-2024	31-08-2024	3	सभी योजनाएँ पूर्ण दर्शाई गईं	नहीं	-
6		74/2021-22	06-08-2022	25-05-2023	31-08-2024	15	सभी योजनाएँ पूर्ण दर्शाई गईं	नहीं	-
7	टीकमगढ़	24/2020-21	05-07-2021	15-04-2022	31-08-2024	28	सभी योजनाएँ पूर्ण दर्शाई गईं	नहीं	-

परिशिष्ट 7

एसवीएस में कार्यों की पूर्णता में विलंब तथा जुर्माना का न/अल्प आरोपण दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र..	जिला	अनुबंध संख्या	सीए	कार्य आदेश की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य की स्थिति	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि / अंतिम माप की तिथि	दिनों में देरी	समय विस्तार की मंजूरी	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दिनों के साथ देरी के कारण	देरी के कारण स्वीकार्य हैं	अनुमेय देरी	शुद्ध विलंब	विलंब लगाया गया	स्वीकृत समय विस्तार के बाद लगाया गया जुर्माना	जुर्माना देय	कमी
1	छतरपुर	55/2021-22	161.05	11-11-21	10-07-22	कार्य प्रगति पर	22-04-23	286	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	16.11	16.11
2		15/2021-22	159.06	03-07-21	02-01-22	कार्य प्रगति पर	31-08-24	972	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	15.91	15.91
3		31/2020-21	161.81	18-03-21	17-09-21	पूर्ण	17-10-22	395	हाँ	(i) स्थान/उपयुक्त जल स्रोत की अनुपलब्धता (52 दिन) (ii) सामग्री की अनुपलब्धता (53 दिन) (iii) अवकाश के कारण विद्यालय/आंगनवाड़ी का बंद रहना (139 दिन) (iv) कोविड-19 महामारी (90 दिन) **(कुल 334 दिन)**	मसौदे में दिया गया है	191	204	60	4.85	16.18	11.33
4		14/2020-21	103.74	24-03-21	23-08-21	पूर्ण	26-02-22	187	हाँ	(i) कोविड-19 महामारी (126 दिन) (ii) पंचायत चुनाव (24 दिन) (iii) विद्युत कनेक्शन में विलंब (34 दिन) **(कुल 184 दिन)**	मसौदे में दिया गया है	34	153	2	0.06	7.65	7.59
5	डिंडोरी	73/2020-21	148.17	19-03-21	18-05-21	कार्य प्रगति पर	31-10-24	1262	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	14.82	14.82
6		110/2021-22	233.06	03-12-21	22-02-22	कार्य प्रगति पर	30-09-24	951	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	23.31	23.31

स.क्र..	जिला	अनुबंध संख्या	सीए	कार्य आदेश की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य की स्थिति	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि / अंतिम माप की तिथि	दिनों में देरी	समय विस्तार की मंजूरी	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दिनों के साथ देरी के कारण	देरी के कारण स्वीकार्य हैं	अनुमेय देरी	शुद्ध विलंब	विलंब लगाया गया	स्वीकृत समय विस्तार के बाद लगाया गया जुर्माना	जुर्माना देय	कमी
7		115/2021-22	109.81	23-11-21	22-08-22	कार्य प्रगति पर	30-09-24	770	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	10.98	10.98
8		34/2018-19	152.57	06-10-18	05-04-19	पूर्ण	15-07-21	832	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	15.26	15.26
9	ग्वालियर	48/2020-21	317.98	30-01-21	29-10-21	कार्य प्रगति पर	30-09-24	1067	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	31.80	31.80
10		65/2021-22	216.94	19-07-21	18-04-22	पूर्ण	06-02-24	659	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	21.69	21.69
11		52/2020-21	294.41	30-01-21	31-10-21	पूर्ण	13-11-23	743	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	29.44	29.44
12	झाबुआ	03/2021-22	367.32	08-04-21	07-10-21	पूर्ण	25-09-22	353	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	36.73	36.73
13		77/2021-22	250.37	29-07-21	28-01-22	पूर्ण	30-06-22	153	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	25.04	25.04
14	नर्मदापुरम	47/2022-23	312.46	13-10-22	11-04-23	कार्य प्रगति पर	18-03-24	341	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	31.25	31.25
15		48/2021-22	119.4	19-10-21	17-04-22	पूर्ण	12-01-23	270	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	11.94	11.94
16		52/2020-21	149.88	01-02-21	17-07-21	पूर्ण	29-03-24	986	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	14.99	14.99
17		53/2020-21	259.84	08-11-21	07-01-22	कार्य प्रगति पर	30-08-24	966	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	25.98	25.98
18	नरसिंहपुर	40/2020-21	161.64	13-01-21	12-07-21	पूर्ण	31-05-24	1054	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	16.16	16.16
19		16/2021-22	52.77	20-10-20	19-02-21	पूर्ण	05-02-22	351	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	5.28	5.28
20		74/2021-22	100.5	07-02-22	06-08-22	पूर्ण	25-05-23	292	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	10.05	10.05
21		54/2020-21	190.6	06-03-21	05-07-21	पूर्ण	06-06-22	336	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	19.06	19.06

स.क्र..	जिला	अनुबंध संख्या	सीए	कार्य आदेश की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य की स्थिति	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि / अंतिम माप की तिथि	दिनों में देरी	समय विस्तार की मंजूरी	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दिनों के साथ देरी के कारण	देरी के कारण स्वीकार्य हैं	अनुमेय देरी	शुद्ध विलंब	विलंब लगाया गया	स्वीकृत समय विस्तार के बाद लगाया गया जुर्माना	जुर्माना देय	कमी
22	टीकमगढ़	75/2020-21	118.55	03-02-21	02-11-21	पूर्ण	18-03-22	136	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	8.06	8.06
23		41/2020-21	323.45	15-12-20	14-06-21	कार्य प्रगति पर	13-08-23	790	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	32.35	32.35
24		24/2020-21	101.57	06-10-20	05-04-21	पूर्ण	15-04-22	375	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	10.16	10.16
25		53/2020-21	87.70	13-01-21	12-02-21	कार्य प्रगति पर	15-02-23	733	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	8.77	8.77
26		77/2020-21	68.44	05-02-21	04-03-21	कार्य प्रगति पर	22-02-22	355	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	6.84	6.84
27		11/2020-21	149.24	24-03-21	23-08-21	पूर्ण	26-02-22	187	हाँ	(i) कोविड-19 महामारी (126 दिन) (ii) पंचायत चुनाव (24 दिन) (iii) विद्युत कनेक्शन में विलंब (34 दिन) **(कुल 184 दिन)**	मसौदे में दिया गया है	34	153	2	0.11	10.71	10.60
28	विदिशा	44/2020-21	75.72	28-01-21	27-05-21	कार्य प्रगति पर	17-02-22	266	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	7.57	7.57
29		58/2020-21	133.98	17-02-21	16-11-21	कार्य प्रगति पर	31-07-24	988	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	13.40	13.40
30		77/2020-21	163.65	19-03-21	18-05-21	कार्य प्रगति पर	31-07-24	1170	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	16.37	16.37
								कुल							**5.02**	**513.86**	**508.84**

परिशिष्ट 8

एमवीएस में ठेकेदारों से वसूल किए जाने योग्य लिक्विडेटेड डैमेज का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजना का नाम	किसे प्रदान किया गया	एलएओ जारी करने की तिथि	अनुबंध मूल्य	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्णता अवधि	वास्तविक पूर्णता तिथि	कुल विलंब (अगस्त 2024 तक दिनों में)	लिक्विडेटेड डैमेज की राशि	रोककर रखी गई राशि	विलंब के कारण	विस्तारित अवधि के लिए एस क्यु सी को अतिरिक्त भुगतान
1	पायली	मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, भोपाल	13.12.2018	645.46	03.07.21	30 महीने	कार्य प्रगति पर	1155 (अधिकतम)	64.54	8.46	जनशक्ति और मशीनरी की अपर्याप्त तैनाती	2.34
2	सगद हिनोतिया	मैसर्स ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड	10.04.2017	126.79	09.04.19	24 महीने	कार्य प्रगति पर	1971 (अधिकतम)	12.68	0.00	बहुत धीरे-धीरे कार्य करना	4.32
3	बानसुजारा (बड़ामलहेड़ा)	मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, भोपाल	18.04.2017	187.00	17.04.19	24 महीने	30.06.2024	1901 (अधिकतम)	18.70	0.00	जीएम ने ठेकेदार की ओर से 275 दिनों की देरी को जिम्मेदार ठहराया	2.72
	कुल (₹ 95.92 – ₹ 8.46 = ₹ 87.46)								**95.92**	**8.46**		**9.38**

परिशिष्ट 9

अवास्तविक लागत आकलन के कारण लागत वृद्धि से राज्य कोष पर पड़े अतिरिक्त भार का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	जिला	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	संशोधित लागत प्रस्तुत की गई	अतिरिक्त लागत
1	छतरपुर	54	38.42	68.71	30.29
2	ग्वालियर	25	26.89	41.30	14.41
3	टीकमगढ़	81	108.12	139.70	31.58
4	विदिशा	154	100.64	160.11	59.48
5	नर्मदापुरम	41	32.76	44.26	11.37
6	झाबुआ	124	170.79	225.93	55.14
7	नरसिंहपुर	233	70.96	151.78	80.82
8	डिंडोरी	141	120.09	165.33	45.24
	कुल	**853**	**668.67**	**997.12**	**328.33**

परिशिष्ट 10

क्रॉसिंग द्वारा एफएचटीसी प्रदान करने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	सड़क क्रॉसिंग सहित बीओक्यू में एफएचटीसी का प्रावधान	सड़क क्रॉसिंग के बिना बीओक्यू में एफएचटीसी का प्रावधान	कुल एफएचटीसी	वास्तव में क्रॉसिंग करके संभाग द्वारा निष्पादित किया गया	वास्तव में क्रॉसिंग किए बिना संभाग द्वारा निष्पादित किया गया	अतिरिक्त लागत
बीओक्यू / अनुमान में अतिरिक्त प्रावधान								
1	छतरपुर	55/2021-22	576	288	864	148	26	92,108
		14/2020-21	145	58	203	130	67	68,446
2	नर्मदापुरम	61/2020-21	261	68	329	191	96	66,734
3	नरसिंहपुर	16/2021-22	338	250	588	276	161	71,690
4	टीकमगढ़	75/2020-21	564	62	626	564	62	3,27,592
		41/2020-21	1,460	0	1,460	950	0	5,68,574
		11/2020-21	291	239	530	410	0	2,00,620
	अतिरिक्त प्रावधान का कुल योग		**3,635**	**965**	**4,600**	**2,669**	**412**	**13,95,764**
बीओक्यू / अनुमान में कम प्रावधान								
1	ग्वालियर	57/2022-23	295	329	624	829	90	5,89,948
		48/2020-21	691	846	1,537	960	48	7,89,862
		65/2021-22	491	599	1,090	463	74	3,66,825
		52/2020-21	689	842	1,531	1,381	45	8,49,868
2	नरसिंहपुर	60/2021-22	150	457	607	385	182	1,79,735
3	विदिशा	58/2020-21	195	417	612	347	123	58,936
		44/2020-21	159	232	391	308	96	1,27,107
	कम प्रावधान का कुल योग		**2,670**	**3,722**	**6,392**	**4,673**	**658**	**29,62,281**
महायोग								**43,58,045**

परिशिष्ट 11

जीएसटी सहित पीएसी पर निविदा आमंत्रित किए जाने का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	विवरण	गोपी कृष्णा, एमवीएस			राजघाट, एमवीएस		
		एसओआर के अनुसार लागत	जीएसटी की कटौती	डीपीआर के अनुसार लागत *	एसओआर के अनुसार लागत	जीएसटी की कटौती	डीपीआर के अनुसार लागत
1	इंटेक वेल	288.45	259.61	290.76	376.97	339.28	379.99
2	ट्रीटमेंट प्लांट आदि के निर्माण का प्रावधान	551.64	496.47	556.05	1,274.02	1,146.62	1,284.21
3	आईपीएस पर कच्चा जल जलाशय सह पम्पहाउस	0.00	0.00	0.00	430.69	387.63	434.14
4	एमबीआर सहित शुद्ध जल जलाशय	570.21	513.19	574.77	2,147.72	1,932.95	2,164.9
5	पम्पिंग सेट	675.00	607.50	680.4	5,165.63	4,649.06	5,206.95
6	पम्पिंग मेन	8,217.65	7,395.88	8,283.39	45,776.01	41,198.41	46,142.22
7	ग्रेविटी मेन	21,498.49	19,348.64	21,670.48	77,564.17	69,807.75	78,184.68
8	ओवरहेड टैंक	3,412.24	3,071.02	3,439.54	14,948.42	13,453.58	15,068.01
9	स्टाफ क्वार्टर	194.41	174.97	195.97	257.85	232.06	259.91
10	वितरण प्रणाली	7,214.16	6,492.74	7,271.87	32,446.87	29,202.18	32,706.44
11	उपकेंद्र सहित विद्युत कार्यों का प्रावधान	614.55	553.10	619.47	1,449.25	1,304.32	1,460.84
कुल		**₹43,236.81**	**₹38,913.13**	**₹43,582.70**	**₹181837.59**	**₹1,63,653.83**	**₹1,83,292.29**
पीएसी निर्धारित किया जाना		**₹43,236.13 - 10 % =**		**₹38,913.13**	**₹1,81,837.59 - 10 % =**		**₹1,63,653.83**
निर्धारित पीएसी		**₹43,582.70 - 10% =**		**₹39,224.43**	**₹1,83,292.29 - 10% =**		**₹1,64,963.06**
कुल अंतर		**₹39,224.43 -₹38,913.13**		**₹311.30**	**₹1,64,963.06 - ₹1,63,653.83**		**₹1,309.23**

***डीपीआर में लागत का निर्धारण एसओआर की लागत से 10 प्रतिशत की कटौती कर तथा उस पर 12 प्रतिशत जीएसटी जोड़कर किया गया था। इसके उपरांत पीएसी का निर्धारण डीपीआर दर से पुनः 10 प्रतिशत की कटौती करके किया गया।**

परिशिष्ट 12

एसवीएस में औसत एफएचटीसी लागत में एकरूपता के अभाव का कारण बनी प्रणालीगत कमियों का विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिला	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत (लाख में)	प्रस्तावित एफएचटीसी	प्रति एफएचटीसी औसत लागत	अतिरिक्त लागत	प्रतिशत विचलन हेतु माध्यिका
1	छतरपुर	100	7,267.67	17,733	40,984	20,86,133	62
2	डिंडोरी	363	26,110.36	70,198	37,195	57,53,617	52
3	ग्वालियर	387	28,496.78	66,209	43,041	1,15,69,346	85
4	झाबुआ	643	76,614.80	1,46,758	52,205	2,29,16,796	121
5	नर्मदापुरम	441	25,561.47	72,796	35,114	55,44,996	26
6	नरसिंहपुर	359	12,465.10	35,954	34,670	59,35,186	39
7	टीकमगढ़	386	38,317.07	1,11,877	34,249	51,15,967	37
8	विदिशा	381	16,848.78	48,682	34,610	57,58,835	39
	कुल	**3,060**	**2,31,682.03**	**5,70,207**	**40,631**	**6,46,80,876**	

एसवीएस में औसत एफएचटीसी लागत में एकरूपता के अभाव का कारण बनी प्रणालीगत कमियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजना का नाम	अनुमानित लागत	एफएचटीसी की संख्या	प्रति एफएचटीसी औसत लागत	योजना की अतिरिक्त लागत
1	सगद हिनोतिया	169.36	26,573	63,734	44.47
2	बानसुजारा (बड़ामलहेड़ा)	210.85	27,158	77,638	83.21
3	बानसुजारा (टीकमगढ़)	376.14	41,778	90,033	179.78
4	पायली	749.17	99,990	74,924	279.22
	कुल	**1,505.52**	**1,95,499**		**586.67**

परिशिष्ट 13

अतिरिक्त मदों एवं मात्राओं के अनधिकृत निष्पादन तथा भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	मद का नाम	इकाई	बीओक्यू के अनुसार मात्रा	निष्पादित मात्रा	अधिक मात्रा	दर	निविदा प्रतिशत	राशि
1	डिंडोरी	110/2021-22	मिट्टी में खुदाई कार्य	Cu M	2004	2384	380.000	140.00	-8.51	48,673
			एचडीपीई पाइप	M	1500	2100	600.000	388.00	-8.51	2,12,989
			ईंट चिनाई वाल्व चेंबर	Nos	48	67	19.000	6219.00	-8.51	1,08,105
2	ग्वालियर	52/2020-21	90 मिमी व्यास, 6 किग्रा/वर्ग सेमी एचडीपीई पाइप	M	9350.000	14400.000	5050.000	232.00	-10.99	10,42,841
			110 मिमी व्यास, 6 किग्रा/वर्ग सेमी एचडीपीई पाइप	M	1775.000	2275.000	500.000	388.00	-10.99	1,72,679
			140 मिमी व्यास, 6 किग्रा/वर्ग सेमी एचडीपीई पाइप	M	1035.000	2285.000	1250.000	563.00	-10.99	6,26,408
3		57/2022-23	डीप वेल सबमर्सिबल पंप सेट	Nos	0.000	7.000	7.000	41975.00	-3.77	2,82,748
			ओपन वेल सबमर्सिबल पंप सेट	Nos	2.000	4.000	2.000	23370.00	-3.77	44,978
			सॉफ्ट रॉक खुदाई	Cu M	1978.000	4347.470	2369.470	255.00	-3.77	5,81,436
			सीसी रोड को तोड़ना	Cu M	269.400	736.960	467.560	745.00	-3.77	3,35,200
			सीसी सड़क का पुनर्स्थापन (M-20)	Cu M	27.000	644.720	617.720	4645.00	-3.77	27,61,136
			110 मिमी व्यास, 10 किग्रा/वर्ग सेमी एचडीपीई पाइप	M	1400.000	2381.000	981.000	515.00	-3.77	4,86,168
			90 मिमी व्यास, 6 किग्रा/वर्ग सेमी एचडीपीई पाइप	M	2000.000	4559.300	2559.300	228.00	-3.77	5,61,522
			110 मिमी व्यास, 6 किग्रा/वर्ग सेमी एचडीपीई पाइप	M	600.000	794.000	194.000	366.00	-3.77	68,327
			उपलब्ध खुदाई की गई मिट्टी से भराई	Cu M	5122.390	6645.070	1522.680	24.00	-3.77	35,167
			एफएचटीसी	Nos	484.000	709.000	225.000	2830.00	-3.77	6,12,745
			इलेक्ट्रो फ्यूजन कपलर	Nos	0.000	122.000	122.000	476.00	-3.77	55,883
					0.000	92.000	92.000	678.00	-3.77	60,024
4		48/2020-21	मिट्टी में खुदाई	Cu M	3304.560	4699.310	1394.750	140.00	-3.70	1,88,040
			सीसी रोड को तोड़ना	Cu M	231.760	352.250	120.490	745.00	-3.70	86,444
			उपलब्ध मिट्टी से भराई	Cu M	1662.600	1902.020	239.420	37.00	-3.70	8,531
			90 मिमी व्यास, 6 किग्रा/वर्ग सेमी	M	1325.000	2295.000	970.000	232.00	-3.70	2,16,714
			110 मिमी व्यास, 10 किग्रा/वर्ग सेमी	M	0.000	510.000	510.000	518.00	-3.70	2,54,405
5	झाबुआ	77/2020-21	एफएचटीसी	Nos	500.000	726.000	226.000	2030.00	-1.22	4,53,183
6	टीकमगढ़	75/2020-21	सीसी रोड को तोड़ना	Cu M	187.500	492.500	305.000	968.00	-9.55	2,67,045
			सीसी सड़क का पुनर्स्थापन	Cu M	191.250	499.500	308.250	4661.00	-9.55	12,99,543
			90 मिमी व्यास, 6 किग्रा/वर्ग सेमी एचडीपीई पाइप	M	3592.000	4960.000	1368.000	232.00	-9.55	2,87,067
			ईंट चिनाई वाल्व चेंबर	Nos	8.000	15.000	7.000	6500.00	-9.55	41,155
			उपलब्ध खुदाई की गई मिट्टी से भराई	Cu M	3388.500	4185.000	796.500	24.00	-9.55	17,290
				कुल						**1,12,16,446**

परिशिष्ट 14

ठेकेदार को किए गए अतिरिक्त भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	मद क्रमांक	मद का नाम	मात्रा	इकाई	दर	निविदा प्रतिशत	राशि	टिप्पणी
उपलब्ध खुदाई की गई मिट्टी की भराई हेतु गलत दर का उपयोग										
1	छतरपुर	14/2020-21	16.10 (a)	खुदाई की गई मिट्टी की भराई	1481.350	Cu M	13.00	-8.86	17,551.00	खाइयों में खुदाई की गई मिट्टी की भराई रैमिंग, पानी डालने और 20 सेमी से अधिक न होने वाली परतों में नहीं की गई, फिर भी मद क्रमांक 16.10(a) के अनुसार ₹ 37 प्रति घन मीटर की उच्च दर पर भुगतान किया गया, जबकि सही दर मद क्रमांक 16.10(b) के अनुसार ₹ 24 प्रति घन मीटर होनी थी।
2	डिंडोरी	34/2018-19	16.10 (b)		5489.420	Cu M	13.00	13.97	81,332.00	
3	ग्वालियर	65/2021-22			6467.640	Cu M	13.00	-14.78	71,652.00	
4		52/2020-21			9033.400	Cu M	13.00	-10.99	1,04,528.00	
5		48/2020-21			7543.260	Cu M	13.00	-3.70	94,434.00	
6	झाबुआ	03/2021-22			21936.430	Cu M	13.00	-8.01	2,62,331.00	
7		46/2020-21			6616.000	Cu M	13.00	-3.15	83,299.00	
8	नरसिंहपुर	48/2020-21			21936.430	Cu M	13.00	-6.31	2,67,179.00	
9	टीकमगढ़	11/2020-21			3445.200	Cu M	13.00	-8.83	40,833.00	
10	विदिशा	58/2020-21			2989.700	Cu M	13.00	-2.60	37,856.00	
11		44/2020-21			2325.710	Cu M	13.00	-17.00	25,094.00	
	7	**11**			कुल				**10,86,089.00**	
फ्लैट केबल की दर की वसूली न होना										
1	छतरपुर	14/2020-21	24.20.107	फ्लैट केबल	1628.000	M	167.00	-8.86	2,47,788.00	सरकार ने (अप्रैल 2023) में फ्लैट केबल की मद के लिए किए गए भुगतान की वसूली का आदेश दिया था, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक वसूली नहीं की गई है।
2	डिंडोरी	73/2020-21			6500.000	M	71.40	-16.55	3,87,291.00	
					4637.000	M	47.60	-16.55	1,84,192.00	
3	ग्वालियर	52/2020-21			449.500	M	167.00	-10.99	66,817.00	
4		48/2020-21			-	-	-	-3.70	87,000.00	
5	नरसिंहपुर	48/2020-21			510.000	M	167.00	-6.31	79,796.00	
6		60/2021-22			240.000	M	167.00	-11.11	35,627.00	
7	टीकमगढ़	53/2020-21			7268.360	M	119.00	-0.39	8,61,562.00	
8		77/2020-21			4589.000	M	119.00	-15.60	4,60,901.00	
9		11/2020-21			2125.000	M	167.00	-8.83	3,23,540.00	
	5	9			**कुल**				**27,34,514.00**	
एचडीपीई पाइप की आपूर्ति एवं बिछाने में अतिरिक्त मात्रा										
1	ग्वालियर	57/2022-23	9.1	एचडीपीई पाइप	3468.200	M	-	-3.77	7,50,669.00	पाइप की आपूर्ति के लिए भुगतान, अर्थात् 60 प्रतिशत, वास्तव में बिछाई गई मात्रा से अधिक किया गया।
					2388.900	M	-	-3.77	3,28,332.00	एचडीपीई पाइप बिछाने के लिए भुगतान, अर्थात् 40 प्रतिशत, वास्तव में उपलब्ध कराई गई पाइप की मात्रा से अधिक किया गया।

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	मद क्रमांक	मद का नाम	मात्रा	इकाई	दर	निविदा प्रतिशत	राशि	टिप्पणी
2		48/2020-21			944.000	M	-	-3.70	3,89,184.00	इस अनुबंध की भोरी, रारुआ और सुरजपुर योजनाएँ संबंधित ग्राम पंचायत को सौंप दी गई थीं। फिर भी पाइप की आपूर्ति के लिए भुगतान, अर्थात् 60 प्रतिशत, वास्तव में बिछाई गई मात्रा से अधिक किया गया।
					3436.000	M	-	-3.70	14,79,658.00	एचडीपीई पाइप बिछाने के लिए भुगतान, अर्थात् 40 प्रतिशत, वास्तव में उपलब्ध कराई गई पाइप की मात्रा से अधिक किया गया, जबकि पाइपलाइन को उपलब्ध कराई गई मात्रा से अधिक बिछाना संभव ही नहीं था।
3	टीकमगढ़	75/2020-21			1639.000	M	-	-9.55	4,15,086.00	योजना पूर्ण कर संबंधित ग्राम पंचायत को सौंप दी गई थी, लेकिन पाइप की आपूर्ति के लिए भुगतान, अर्थात् 60 प्रतिशत, वास्तव में बिछाई गई मात्रा से अधिक किया गया।
	2	**3**			कुल				**33,62,929.00**	
						गलत माप				
1	ग्वालियर	57/2022-23	16.6 (a)	सॉफ्ट रॉक खुदाई	529.200	Cu M	255.00	-3.77	1,29,859.00	ओएचटी से देवेंद्र, देवेंद्र से मुख्य मार्ग (अभिषेक किराना) तथा अभिषेक किराना से पंचायत भवन तक खुदाई, पाइपलाइन बिछाने एवं पुनर्भरण का मापन दर्ज (पृष्ठ क्रमांक 12, 13 एवं 14) कर भुगतान किया गया। तथापि, उसी स्थान—देवेंद्र से मुख्य मार्ग तथा देवेंद्र से पंचायत भवन—का दोहरा मापन भी दर्ज (पृष्ठ क्रमांक 14, 15 एवं 16) कर ठेकेदार को भुगतान किया गया।
			9.1	90 मिमी व्यास का एचडीपीई पाइप	894.700	M	228.00	-3.77	1,96,301.00	
			16.10 (b)	खुदाई की गई मिट्टी की भराई	529.200	Cu M	24.00	-3.77	12,222.00	
			20.24.106	डीप वेल सबमर्सिबल पंप	3.000	Nos	41975.00	-3.77	1,21,178.00	पाँच सम्प वेल का निर्माण किया गया तथा कुल दस सफल बोरवेल ड्रिल किए गए, किन्तु ठेकेदार को 13 डीप वेल सबमर्सिबल पंप तथा 10 ओपन वेल सबमर्सिबल पंप का भुगतान किया गया।
			24.20.113	ओपन वेल सबमर्सिबल पंप	5.000	Nos	23370.00	-3.77	1,12,445.00	
2		52/2020-21	16.10 (a)	खुदाई की गई मिट्टी की भराई	1589.900	Cu M	37.00	-10.99	52,361.00	धिरोली (एमबी 20/21-22, पृ. 3-8 में 430.25 वर्गमीटर) एवं पुराबनबर (एमबी 24/20-21, पृ. 4-10 में 627.22 वर्गमीटर) में खरंजा तोड़ने की मात्रा तथा हिम्मतगढ़ (एमबी 50/21-22, पृ. 1-8, 21 में 98.50 घन मी + 55.90 घन मी + 89.14 घन मी) एवं बनावर (एमबी 23/20-21, पृ. 15-25 में 53.55 घन मी + 235.34 घन मी) में सीसी तोड़ने की मात्रा को गलत रूप से खुदाई की गई मिट्टी की भराई की मात्रा में जोड़ दिया गया।
3		48/2020-21	16.10 (b)	खुदाई की गई मिट्टी की भराई	595.990	Cu M	37.00	-3.70	21,236.00	अमरौल, भोरी एवं रारुआ योजनाओं में उपलब्ध खुदाई की गई मिट्टी की भराई की मात्रा का भुगतान, मिट्टी एवं सॉफ्ट रॉक की खुदाई की मात्रा से अधिक किया गया।
			20.24.106	डीप वेल सबमर्सिबल पंप	1.000	Nos	49845.00	-3.70	48,001.00	पाँच सम्प वेल का निर्माण किया गया तथा कुल दस सफल बोरवेल ड्रिल किए गए, किन्तु आवश्यक मात्रा के विरुद्ध भोरी पीडब्ल्यूएसएस में डीप वेल सबमर्सिबल पंप की अतिरिक्त मात्रा तथा अमरौल, भोरी एवं रारुआ पीडब्ल्यूएसएस में ओपन वेल सबमर्सिबल पंप की अतिरिक्त मात्रा का भुगतान ठेकेदार को किया गया।
			24.20.113	ओपन वेल सबमर्सिबल पंप	4.000	Nos	23917.00	-3.70	92,128.00	

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	मद क्रमांक	मद का नाम	मात्रा	इकाई	दर	निविदा प्रतिशत	राशि	टिप्पणी
4	टीकमगढ़	75/2020-21	16.10 (b)	खुदाई की गई मिट्टी की भराई	686.920	Cu M	24.00	-9.55	14,912.00	मद क्रमांक 16.4 'सभी प्रकार की मिट्टी में खुदाई' का कार्य 3156.38 घन मीटर तथा मद क्रमांक 16.6(क) 'सॉफ्ट रॉक खुदाई' का कार्य 1136.70 घन मीटर निष्पादित कर भुगतान किया गया। इसके विरुद्ध मद क्रमांक 16.10(ख) 'उपलब्ध खुदाई की गई मिट्टी की भराई' का कार्य 4980.00 घन मीटर निष्पादित कर भुगतान किया गया, जबकि देय कुल मात्रा 4293.08 घन मीटर (3156.38 + 1136.70 घन मीटर) थी।
5		24/2020-21	24.20.113	ओपन वेल सबमर्सिबल पंप	3.000	Nos	23917.00	-14.95	61,024.00	इस अनुबंध के अंतर्गत तीन सम्प वेल का निर्माण किया गया, अतः तीन ओपन वेल सबमर्सिबल पंप की आवश्यकता थी, किन्तु आवश्यकता के विरुद्ध ठेकेदार को 6 ओपन वेल सबमर्सिबल पंप का भुगतान किया गया।
	2	5			कुल				8,61,667.00	
					मापन के बिना भुगतान					
1	टीकमगढ़	75/2020-21	9.1	90 मिमी व्यास का एचडीपीई पाइप	1345.000	M	232.00	-9.55	2,82,240.00	90 मिमी व्यास के एचडीपीई पाइप बिछाने का मापन 3635 मीटर (एमबी पृष्ठ क्रमांक 23, 30-31, 39, 53) दर्ज किया गया, जबकि भुगतान 4980 मीटर के लिए किया गया। इसी प्रकार, 160 मिमी व्यास के एचडीपीई पाइप बिछाने का मापन मात्र 340 मीटर (एमबी पृष्ठ क्रमांक 23, 31) दर्ज किया गया, जबकि भुगतान 790 मीटर के लिए किया गया। आगे, सीसी सड़क पुनर्स्थापन का मापन 417.20 घन मीटर (एमबी पृष्ठ क्रमांक 32, 38, 53) दर्ज किया गया, जबकि भुगतान 499.50 घन मीटर के लिए किया गया। अतः 90 मिमी एवं 160 मिमी व्यास के एचडीपीई पाइप तथा सीसी सड़क पुनर्स्थापन के संबंध में बिना मापन के ठेकेदार को कपटपूर्ण भुगतान किया गया, जिसे तत्कालीन सहायक यंत्री द्वारा भी प्रमाणित किया गया।
			9.1	160 मिमी व्यास का एचडीपीई पाइप	450.000	M	753.00	-9.55	3,06,490.00	
			16.22	सीसी सड़क की मरम्मत	82.300	Cu M	4661.00	-9.55	3,46,966.00	
			17.41	एफएचटीसी	102.000	Nos	990.00	-9.55	91,336.00	उप-यंत्री द्वारा बिना सड़क क्रॉसिंग वाले 164 घरेलू कनेक्शन प्रदान करने और 10 मीटर तक सीसी रोड क्रॉसिंग वाले 118 घरेलू कनेक्शन प्रदान करने का माप दर्ज किया गया था (पृष्ठ संख्या 31,54), जिसकी जाँच तत्कालीन सहायक यंत्री द्वारा भी की गई थी, लेकिन बिना सड़क क्रॉसिंग वाले 62 घरेलू कनेक्शन और 10 मीटर तक सीसी रोड क्रॉसिंग वाले 220 घरेलू कनेक्शन के लिए ठेकेदार को भुगतान किया गया था। इससे पता चलता है कि बिल तैयार करते समय सीसी रोड क्रॉसिंग वाले घरेलू कनेक्शन की लागत वाली मद की मात्रा को धोखाधड़ी से बढ़ाया गया और ठेकेदार को भुगतान किया गया।
2		24/2020-21	9.1	90/6 मिमी व्यास एचडीपीई पाइप	325.000	M	232.00	-14.95	64,128.00	मापी गई मात्रा के एवज में 90 मिमी व्यास 6 किग्रा / वर्ग सेमी एचडीपीई पाइप, 90 मिमी व्यास 10 किग्रा / वर्ग सेमी एचडीपीई पाइप, 110 मिमी व्यास 6 किग्रा / वर्ग सेमी एचडीपीई पाइप बिछाने की अधिक मात्रा, मिट्टी की खुदाई और खोदी गई उपलब्ध मिट्टी को फिर से भरने का भुगतान किया गया था।
			9.1	90/10 मिमी व्यास एचडीपीई पाइप	1500.000	M	353.00	-14.95	4,50,340.00	
			9.1	110/6 मिमी व्यास एचडीपीई पाइप	41.000	M	388.00	-14.95	13,530.00	

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	मद क्रमांक	मद का नाम	मात्रा	इकाई	दर	निविदा प्रतिशत	राशि	टिप्पणी
			16.4	सभी प्रकार की मिट्टी में खुदाई	580.800	Cu M	140.00	-14.95	69,156.00	90 / 6 मिमी व्यास एचडीपीई पाइप (4-10, 10-15, 20-22, 29-30, 37-38)
			16.10 (b)	खुदाई की गई मिट्टी की भराई	649.920	Cu M	24.00	-14.95	13,266.00	90 / 10 मिमी व्यास एचडीपीई पाइप (20-22, 37-38, 55-56) 110 / 6 मिमी व्यास एचडीपीई पाइप (26-27, 28-29, 29-30, 40-41) सभी प्रकार की मिट्टी में खुदाई और खोदी गई मिट्टी को फिर से भरना (4-10, 10-15, 20-22, 26-27, 28-29, 29-30, 37-38, 40-41, 55-56)
	1	2			कुल				16,37,452.00	
					सड़क मरम्मत की अतिरिक्त मात्रा					
1	छतरपुर	55/2021-22	16.23	सड़क की मरम्मत	29.673	Cu M	4695.00	-17.51	1,14,921.00	सीसी सड़क के मरम्मत कार्य की मात्रा, उसे तोड़ने के कार्य की मात्रा से अधिक थी।
2	ग्वालियर	48/2020-21			233.550	Cu M	4695.00	-3.70	10,55,946.00	अमरौल योजनाओं में सीसी सड़क को तोड़ने की मात्रा की तुलना में, सड़क की मरम्मत की मात्रा के लिए अधिक भुगतान किया गया।
3	विदिशा	44/2020-21			9.599	Cu M	5161.00	-17.00	41,119.00	सीसी सड़क के मरम्मत कार्य की मात्रा, उसे तोड़ने के कार्य की मात्रा से अधिक थी।
	3	3			कुल				12,11,986.00	
					एफएचटीसी स्टैंडपोस्ट और प्लेटफॉर्म का निर्माण नहीं किया गया					
1	ग्वालियर	52/2020-21	17.41	एफएचटीसी	1426.000	Nos	500.00	-10.99	6,34,641.00	टीपीआई ने आरए बिल संख्या 5, 6 और 7 में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि एफएचटीसी कनेक्शनों में स्टैंडपोस्ट का निर्माण नहीं किया गया था; पुरा बनवार गाँव के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान भी यही बात सामने आई थी, लेकिन इस मद के लिए ₹500 प्रति घन मीटर की दर से वसूली नहीं की गई।
2		57/2022-23			829.000	Nos	500.00	-3.77	3,98,873.00	टीपीआई ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि एफएचटीसी कनेक्शन स्टैंडपोस्ट में प्लेटफॉर्म, पैरापेट और ग्राउटिंग के बिना बनाए गए थे, लेकिन इस मद के लिए प्रति कम ₹ 500 की दर से वसूली नहीं की गई थी।
3		48/2020-21			960.000	Nos	500.00	-3.70	4,62,240.00	टीपीआई ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि एफएचटीसी कनेक्शन स्टैंडपोस्ट में प्लेटफॉर्म, पैरापेट और ग्राउटिंग के बिना बनाए गए थे, लेकिन इस मद के लिए प्रति कम ₹ 500 की दर से वसूली नहीं की गई थी।
	1	3			कुल				14,95,754.00	
					एचडीडी विधि के माध्यम से एचडीपीई पाइप बिछाने के कारण एचडीपीई की आपूर्ति का दोहरा भुगतान					
1	नरसिंहपुर	74/2021-22	9.1 & 16.3	एचडीपीई पाइप	-	-	-	-	6,05,245.00	एचडीडीई पाइप को एचडीडीई मशीन द्वारा बिछाना। मद संख्या 16.3 के तहत एचडीडीई मशीन द्वारा बिछाए गए 90 मिमी और 110 मिमी पाइप। इस प्रकार, मद संख्या 9.1 के तहत पानी की आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने के लिए भुगतान की आवश्यकता नहीं थी ((6400 * 69.60) = 445440) (1950*116.40)= 226980, कुल = 672420 आईसी -9.99% टीपी = 605245

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	मद क्रमांक	मद का नाम	मात्रा	इकाई	दर	निविदा प्रतिशत	राशि	टिप्पणी
	1	1			कुल				**6,05,245.00**	
					कार्य निष्पादन के बिना अग्रिम भुगतान					
1	टीकमगढ़	75/2020-21	-	-	-	-	-	-9.55	2,70,000.00	7वें रनिंग अकाउंट बिल तक किए गए कार्य के मूल्य के एवज में ठेकेदार को ₹ 129.20 लाख (जीएसटी को छोड़कर) का भुगतान किया गया था। लेकिन योजना के पूरा होने के बाद विभाग द्वारा (-) ₹ 2.70 लाख का अंतिम बिल तैयार किया गया था, जो 15-02-2024 से लंबित था।
	1	1			कुल				**2,70,000.00**	
					आगामी आरए बिल से पिछले भुगतान की गलत कटौती					
1	नर्मदापुरम	47/2022-23	-	-	-	-	-	-	1,71,514.00	ठेकेदार को ₹ 171,514 का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। 6 वें आरए बिल में, अब तक किए गए कार्य की कुल राशि ₹ 18,225,066.71 के बजाय ₹ 18,074,861 की कटौती की गई है।
	1	1			कुल				1,71,514.00	
					एमडीपीई पाइप का अलग से भुगतान					
1	ग्वालियर	65/2021-22	9.9	एमडीपीई पाइप	1225.000	M	36.00	-14.78	37582	20 मिमी एमडीपीई पाइप का अलग से भुगतान किया गया था, जो पहले से ही एफएचटीसी मदों में शामिल था।
	1	**1**			कुल				**37,582.00**	
				कुल योग					**1,34,74,732.00**	

परिशिष्ट 15

सीआईपीईटी रिपोर्ट के बिना पाइपों के निष्पादन और भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	एचडीपीई पाइप	निष्पादित और भुगतान की गई मात्रा	सीआईपीईटी रिपोर्ट के अनुसार मात्रा का परीक्षण किया गया	अंतर	दर	निविदा प्रतिशत	राशि
1	ग्वालियर	57/2022-23	90 मिमी व्यास 6 किग्रा / वर्ग सेमी	11145.40	9300.00	1845.40	228	-3.77	4,04,889
2		48/2020-21	90 मिमी व्यास 6 किग्रा / वर्ग सेमी	11054.00	0.00	11054.00	232	-3.70	2,46,9640
			110 मिमी व्यास 6 किग्रा / वर्ग सेमी	1631.00	0.00	1631.00	388	-3.70	6,09,413
			110 मिमी व्यास 10 किग्रा / वर्ग सेमी	4605.00	0.00	4605.00	518	-3.70	22,97,131
			140 मिमी व्यास 6 किग्रा / वर्ग सेमी	848.00	0.00	848.00	563	-3.70	4,59,759
3	टीकमगढ़	24/2020-21	90 मिमी व्यास 10 किग्रा / वर्ग सेमी	4000.00	0.00	4000.00	353	-14.95	12,00,906
			90 मिमी व्यास 6 किग्रा / वर्ग सेमी	3900.00	0.00	3900.00	232	-14.95	7,69,532
			110 मिमी व्यास 6 किग्रा / वर्ग सेमी	1200.00	0.00	1200.00	388	-14.95	3,95,993
					योग				**86,07,263**

परिशिष्ट 16

रॉयल्टी की कम कटौती दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा घन मीटर में और राशि ₹ में)

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	मद	मात्रा	कारक	मद	मात्रा	दर	राशि	कुल रॉयल्टी	काटी गई रॉयल्टी	कम कटौती की गई	जॉब वर्क मद जिनके लिए रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी
1	छतरपुर	55/2021-22	M-15	222.482	0.88	धातु	195.784	120	23,494	36,009	0	36,009	-
					0.45	रेत	100.117	125	12,515				
2		14/2020-21	M-15	115.16	0.88	धातु	101.341	120	12,161	18,639	16,550	2,089	-
					0.45	रेत	51.822	125	6,478				
3	ग्वालियर	65/2021-22	M-15	300.55	0.88	धातु	264.484	120	31,738	48,644	10,000	38,644	2 ओएचटी और 5 संप वेल
					0.45	रेत	135.248	125	16,906				
4		52/2020-21	M-20	850.05	0.856	धातु	727.643	120	87,317	1,32,795	0	1,32,795	4 ओएचटी, 4 संपवेल और 4 पंप हाउस
					0.428	रेत	363.821	125	45,478				
5		57/2022-23	M-20	644.72	0.856	धातु	551.88	120	66,226	1,00719	0	1,00,719	3 ओएचटी, 5 सम्पवेल और 5 पंप हाउस
					0.428	रेत	275.94	125	34,493				
6		48/2020-21	M-10	8.59	0.906	धातु	7.783	120	934	1,13,320	0	1,13,320	4 ओएचटी, 5 संपवेल और 5 पंप हाउस
					0.453	रेत	3.891	125	486				
			M-20	640.343	0.856	धातु	548.133	120	65,776				
					0.428	रेत	274.067	125	34,258				
			M-15	73.31	0.88	धातु	64.513	120	7,742				
					0.45	रेत	32.99	125	4,124				
7	टीकमगढ़	75/2020-21	-	-	-	-	516.096	120	61,932	1,26,443	61,800	64,643	-
							258.045	250	64,511				
8		24/2020-21	M-20	253.58	0.856	धातु	217.064	120	26,048	53,181	28,400	24,781	3 संपवेल और 3 पंप हाउस
					0.428	रेत	108.532	250	27,133				
9	विदिशा	44/2020-21	M-20	488.788	0.856	धातु	418.403	120	50,208	76,358	7,000	69,358	4 संपवेल
					0.428	रेत	209.201	125	26,150				
10	नर्मदापुरम	52/2020-21	M-20	129.27	0.856	धातु	110.652	120	13,278	20,194	0	20,194	
					0.428	रेत	55.326	125	6,916				
11		53/2021-22	M-20	14.74	0.856	धातु	12.617	120	1,514	2,303	0	2,303	
					0.428	रेत	6.309	125	789				
12		47/2022-23	M-20	1632.92	0.856	धातु	1,397.78	120	1,67,734	2,55,095	0	2,55,095	
					0.428	रेत	698.89	125	87,361				
13	झाबुआ	37/2022-23	M-20	42.18	0.856	धातु	36.106	120	4,333	6,590	0	6,590	
			M-20		0.428	रेत	18.053	125	2,257				
14		77/2021-22	M-20	435.46	0.856	धातु	372.754	120	44,730	68,027	0	68,027	

स.क्र.	जिला	अनुबंध संख्या	मद	मात्रा	कारक	मद	मात्रा	दर	राशि	कुल रॉयल्टी	काटी गई रॉयल्टी	कम कटौती की गई	जॉब वर्क मद जिनके लिए रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी
			M-20		0.428	रेत	186.377	125	23,297				
15		03/2021-22	M-20	26.18	0.856	धातु	22.41	120	2,689	4,090	0	4,090	
			M-20		0.428	रेत	11.205	125	1,401				
16		46/2020-21	M-20	100.79	0.856	धातु	86.276	120	10,353	15,745	0	15,745	
			M-20		0.428	रेत	43.138	125	5,392				
17	नरसिंहपुर	74/2021-22	M-20	9.82	0.856	धातु	8.406	120	1,009	1,534	0	1,534	
					0.428	रेत	4.203	125	525				
			M-15	273.66	0.88	धातु	240.821	120	28,899	44,292	0	44,292	
					0.45	रेत	123.147	125	15,393				
18		60/2021-22	M-15	411.35	0.88	धातु	361.988	120	43,439	66,578	0	66,578	
					0.45	रेत	185.108	125	23,139				
19		48/2021-22	M-20	9.75	0.856	धातु	8.346	120	1,002	1,524	0	1,524	
					0.428	रेत	4.173	125	522				
			M-15	644.69	0.88	धातु	567.327	120	68,079	1,04,343	0	1,04,343	
					0.45	रेत	290.111	125	36,264				
20	डिंडोरी	120/2021-22	M-15	20.86	0.88	धातु	18.357	120	2,203	3,376	0	3,376	
					0.45	रेत	9.387	125	1,173				
21		73/2020-21	M-15	28.94	0.88	धातु	25.467	120	3,056	4,684	0	4,684	
					0.45	रेत	13.023	125	1,628				
22		110/2021-22	M-15	577.5	0.88	धातु	508.2	120	60,984	93,468	0	93,468	
					0.45	रेत	259.875	125	32,484				
23		115/2021-22	M-15	101.9	0.88	धातु	89.672	120	10,761	16,493	0	16,493	
					0.45	रेत	45.855	125	5,732				
				कुल						**14,14,444**	**1,23,750**	**12,90,694**	

परिशिष्ट 17

रॉयल्टी से संबंधित राशि की कटौती न किए जाने का विवरण

(राशि ₹ में एवं घन मीटर में मात्रा)

कंक्रीट का ग्रेड	कुल मात्रा	रेत की मात्रा	दर	राशि	धातु की मात्रा	दर	राशि	कुल
सगद हिनोतिया, विदिशा जिले में एमवीएस								
M30 in cum	3515.27	1898.24			2847.37			
M25-in cum	1593.75	860.63			1290.94			
M20-in cum	1597.85	683.88			1367.76			
M15-in cum	127.10	57.20			111.85			
M10-in cum	770.52	349.05			698.09			
उप योग		**3848.99**	**125.00**	**4,81,124**	**6316.01**	**120.00**	**7,57,921**	**12,39,045**
पायली, नरसिंहपुर जिले में एमवीएस								
M30 in cum	35050.156	29406.461			44109.691			
M25-in cum	9418.017	2377.034			3565.550			
M20-in cum	4943.419	685.940			1371.879			
M15-incum	5887.168	0			0.000			
M10-in cum	467.937	274.365			548.731			
उप योग		**32743.799**	**125.00**	**40,92,975**	**49595.851**	**120.00**	**59,51,502**	**1,00,44,477**
बानसुजारा (बड़ामलहेड़ा), छतरपुर जिले में एमवीएस								
M30 in cum	54456.41	29404.361			44106.541			
M25-in cum	4401.914	2317.034			3475.648			
M20-in cum	1602.663	691.223			1382.446			
M15-in cum	0	0			0.000			
M10-in cum	605.662	273.021			546.042			
उप योग		**32685.704**	**125.00**	**40,85,713**	**49510.677**	**120.00**	**59,41,281**	**1,00,26,994**
बानसुजारा (टीकमगढ़), टीकमगढ़ जिले में एमवीएस								
M30 in cum	49798.231	26891.045			40336.567			
M25-in cum	2484.587	1341.677			2012.516			
M20-in cum	826.200	353.613			707.227			
M15-in cum	5.902	2.656			5.194			
M10-in cum	126.398	57.258			114.516			
उप योग		**28646.249**	**125.00**	**35,80,781**	**43176.020**	**120.00**	**51,81,122**	**87,61,903**
कुल योग				**1,22,40,593**			**1,78,31,826**	**3,00,72,419**

(नोट: यह डेटा अनुमान (डीपीआर) से संकलित किया गया है, और आरसीसी मदों की सकारात्मक भिन्नता के कारण वसूली योग्य रॉयल्टी की राशि में वृद्धि हो सकती है)

परिशिष्ट 18

हार्ड रॉक से संबंधित राशि की कटौती न किए जाने का विवरण

(घन मीटर में मात्रा)

स.क्र.	घटक का नाम	हार्ड रॉक की मात्रा
(1) सगद हिनोतिया, विदिशा जिले में एमवीएस		
1	इंटेक वेल का निर्माण	31.995
2	70 मीटर लंबा फुट ब्रिज का निर्माण	13.500
3	रॉ वाटर पंपिंग मेन	300.000
4	28 एमएलडी ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	610.830
5	560 केएल क्लियर वाटर सम्पवेल का निर्माण	306.000
6	बैक वॉश रूम	24.042
7	स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	11.620
8	फिल्ट्रेशन प्लांट की परिधि दीवार का निर्माण	22.890
9	डब्ल्यूटीपी पर भवन का निर्माण	209.420
10	क्लियर वाटर पंपिंग मेन ज़ोन-1	1783.130
11	क्लियर वाटर पंपिंग मेन ज़ोन-2	884.030
12	वितरण नेटवर्क	47697.000
	कुल	**51894.457**
	51894.457 घन मीटर X ₹ 65 = ₹ 33,73,140	
(2) पायली, नरसिंहपुर जिले में एमवीएस		
1	इंटेक वेल	1476.54
2	आरडब्ल्यूपी	453.05
3	सीडब्ल्यूआर सह पंप हाउस	2156.12
4	सीडब्ल्यू पंपिंग मेन	8159.36
5	एमबीआर 05 संख्या	1018.42
6	सीडब्ल्यू फीडर ग्रेविटी मेन	38804.42
7	ओएचटी मानक 265 संख्या ओएचटी 43.74 घन मीटर X 265	11591.10
8	वितरण नेटवर्क	57338.92
	कुल	**120997.93**
	120997.93 घन मीटर X ₹ 65 = ₹ 78,64,865	
(3) बानसुजारा (बड़ामलहेड़ा), छतरपुर जिले में एमवीएस		
1	इंटेक वेल	913.151
2	एप्रोच चैनल	1014.300
3	एप्रोच ब्रिज	83.250
4	रॉ वाटर राइजिंग मेन	3618.000
5	सीडब्ल्यूआर सह पंप हाउस	170.150
6	एमबीआर	127.520
7	एमबीआर	17425.550
10	ओएचटी मानक 450 ओएचटी 24X 450 (ओएचटी की संख्या 24 तथा ओएचटी की क्षमता 100 केएल से 980 केएल)	3309.120
11	वितरण नेटवर्क	87343.800
	कुल	**114004.841**
	114004.841 घन मीटर X ₹ 65 = ₹ 74,10,315	
(4) बानसुजारा (टीकमगढ़), टीकमगढ़ जिले में एमवीएस		
1	इंटेक वेल सह पंप हाउस	575.82
2	150 मीटर लंबा एप्रोच ब्रिज का निर्माण	607.50

स.क्र.	घटक का नाम	हार्ड रॉक की मात्रा
3	रॉ वाटर पंपिंग मेन	438.78
4	क्लियर वाटर ग्रेविटी मेन	143843.00
5	क्लियर वाटर पंपिंग मेन	9696.00
6	बिटुमिनस लाइन में वितरण नेटवर्क	14653.00
7	सामान्य लाइन में वितरण नेटवर्क	48576.00
	कुल	**218390.10**
	218390.10 घन मीटर X ₹ 65 = ₹ 1,41,95,357	
	कुल योग **(1) +(2) +(3) +(4) = 5,05,287.328 घन मीटर X ₹ 65 = ₹ 3,28,43,676**	

(नोट: यह डेटा अनुमान (डीपीआर) से संकलित किए गए हैं तथा आरसीसी मदों में सकारात्मक विचलन के कारण वसूली योग्य हार्ड रॉक की मात्रा में वृद्धि हो सकती है)

परिशिष्ट 19

सामुदायिक अंशदान (पीएचईडी)

(₹ लाख में)

स.क्र.	संभाग का नाम	कुल योजनाएँ	स्वीकृत लागत	सामुदायिक अंशदान की राशि	संग्रहित सामुदायिक अंशदान	संग्रहित किया जाना शेष सामुदायिक अंशदान
1	छतरपुर	204	14,374.57	1,316.00	21.00	1,295.00
2	डिंडोरी	448	32,375.65	1,618.30	0	1,618.30
3	ग्वालियर	455	34,587.72	3,143.00	0	3,143.00
4	झाबुआ	716	87,068.02	4,353.40	0	4,353.40
5	नर्मदापुरम	858	39,258.16	3,925.81	0	3,925.81
6	नरसिंहपुर	894	29,176.20	2,917.62	0.66	2,916.96
7	टीकमगढ़	473	48,753.51	4,561.00	0	4,561.00
8	विदिशा	522	24,562.79	2,339.00	5.02	2,333.98
	कुल	**4,570**	**3,10,156.62**	**24,174.13**	**26.68**	**24,147.45**

परिशिष्ट 20

केंद्र एवं राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला	कुल व्यय	केंद्रीय अंश			राज्य अंश		
			बुक किया जाना है	बुक किया गया	अतिरिक्त भार	बुक किया जाना है	बुक किया गया	अतिरिक्त भार
1	छतरपुर	5,731.13	2,579.01	2,930.68	351.67	2,579.01	2,800.45	221.44
2	डिंडोरी	27,403.04	12,331.37	13,701.52	1,370.15	12,331.37	13,701.52	1,370.15
3	ग्वालियर	21,397.89	9,629.05	10,700.41	1,071.36	9,629.05	10,697.47	1,068.42
4	झाबुआ	45,759.22	20,591.65	22,879.59	2,287.94	20,591.65	22,879.59	2,287.94
5	नर्मदापुरम	19,103.68	8,596.66	9,551.83	955.17	8,596.66	9,551.83	955.17
6	नरसिंहपुर	19,105.07	8,597.28	9,602.85	1,005.57	8,597.28	9,502.22	904.94
7	टीकमगढ़	18,841.43	8,478.64	9,420.72	942.08	8,478.64	9,420.72	942.08
8	विदिशा	19,358.51	8,711.33	9,679.25	967.92	8,711.33	9,679.25	967.92
	कुल	**1,76,699.97**	**79,514.99**	**88,466.85**	**8,951.86**	**79,514.99**	**88,233.05**	**8,718.06**

परिशिष्ट 21

सामुदायिक अंशदान (जल निगम)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजनाएँ	कुल लागत	ग्राम-आधारित अवसंरचना की लागत		सामुदायिक अंशदान
			प्रतिशत में	राशि	
1	सगद हिनोतिया	126.79	50.87	64.50	6.45
2	बानसुजारा (बड़ामलहेड़ा)	187.00	58.84	110.03	11.00
3	बानसुजारा (टीकमगढ़)	255.55	33.18	84.79	8.48
4	पायली	645.46	31.02	200.22	20.02
	कुल	**1,214.80**		**459.54**	**45.95**

परिशिष्ट 22

ग्वालियर, झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ एवं विदिशा जिलों हेतु पीएचईडी द्वारा घटक-वार व्यय में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण

स.क्र.	वर्ष	कुल व्यय	कवरेज निधि		सहायक गतिविधियाँ		डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधि	
			₹ लाख में	प्रतिशत में	₹ लाख में	प्रतिशत में	₹ लाख में	प्रतिशत में
1	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2020-21	7,269.82	7,082.85	97.43	56.36	0.78	130.63	1.80
3	2021-22	34,474.79	34,326.86	99.57	100.90	0.29	47.03	0.14
4	2022-23	43,456.31	42,465.74	97.72	557.18	1.28	433.38	1.00
5	2023-24	58,364.85	57,062.74	97.77	697.69	1.20	604.40	1.04
	कुल	**1,43,565.77**	**1,40,938.2**	**98.17**	**1,412.13**	**0.98**	**1,215.44**	**0.85**
			जेजेएम मानकों के अनुसार		**7,178.29**	**5%**	**2,871.32**	**2%**
			छतरपुर जिले हेतु पीएचईडी द्वारा घटक-वार व्यय में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण					
1	2019-20	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2020-21	784.82	738.9	94.15	0.12	0.02	45.80	5.84
3	2021-22	1,340.65	1,279.2	95.42	37.31	2.78	24.14	1.80
4	2022-23	1,624.5	1,341.34	82.57	148.11	9.12	135.05	8.31
5	2023-24	1,981.16	1,720.52	86.84	181.00	9.14	79.64	4.02
	कुल	**5,731.13**	**5,079.96**	**88.64**	**366.54**	**6.40**	**284.63**	**4.97**
			जेजेएम मानकों के अनुसार		**286.56**	**5%**	**114.62**	**2%**
			वास्तविक व्यय एवं मानकों के मध्य अंतर		**79.98**		**170.01**	
			डिंडोरी जिले हेतु पीएचईडी द्वारा घटक-वार व्यय में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण					
1	2019-20	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2020-21	1,413.48	1,369.43	96.88	6.91	0.49	37.14	2.63
3	2021-22	8,160.38	7,889.21	96.68	19.97	0.24	251.20	3.08
4	2022-23	8,587.72	8,332.36	97.03	45.98	0.54	209.38	2.44
5	2023-24	9,241.46	8,809.07	95.32	115.91	1.25	316.48	3.42
	कुल	**27,403.04**	**26,400.07**	**96.34**	**188.77**	**0.69**	**814.2**	**2.97**
			जेजेएम मानकों के अनुसार		**1,370.15**	**5%**	**548.06**	**2%**
			वास्तविक व्यय एवं मानकों के मध्य अंतर		**-1,181.38**		**266.14**	

स.क्र.	वर्ष	कुल व्यय	कवरेज निधि		सहायक गतिविधियाँ		डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधि	
			₹ लाख में	प्रतिशत में	₹ लाख में	प्रतिशत में	₹ लाख में	प्रतिशत में
निगम द्वारा घटक-वार व्यय में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण								
स.क्र.	वर्ष	कुल व्यय	कवरेज निधि		सहायक गतिविधियाँ		डब्ल्यूक्यूएम एंड एस निधि	
			₹ करोड़ में	प्रतिशत में	₹ करोड़ में	प्रतिशत में	₹ करोड़ में	प्रतिशत में
1	2019-20	0	0	0	0	0	0	0
2	2020-21	306.69	306.61	99.97	0.08	0.03	0	0
3	2021-22	1,420.46	1,414.65	99.59	5.81	0.41	0	0
4	2022-23	3,146.93	3,127.35	99.38	19.58	0.62	0	0
5	2023-24	8,634.00	8,597.93	99.58	36.07	0.42	0	0
	कुल	**13,508.08**	**13,446.54**	**99.54**	**61.54**	**0.46**	**0**	**0**
				जेजेएम मानकों के अनुसार	**675.40**	**5%**	**270.16**	**2%**
				वास्तविक व्यय एवं मानकों के मध्य अंतर	**613.86**		**270.16**	

परिशिष्ट 23

ग्रामीण संस्थाओं को पीडब्लूएस प्रदान करने की स्थिति

स. क्र.	जिला	विद्यालय			आंगनवाड़ी			ग्राम पंचायत भवन			स्वास्थ्य केंद्र		
		कुल	पीडब्लूएस प्रदान किया गया	पीडब्लूएस लंबित है	कुल	पीडब्लूएस प्रदान किया गया	पीडब्लूएस लंबित है	कुल	पीडब्लूएस प्रदान किया गया	पीडब्लूएस लंबित है	कुल	पीडब्लूएस प्रदान किया गया	पीडब्लूएस लंबित है
1	**छतरपुर**	2384	1236	1148	1241	648	593	293	68	225	137	61	76
2	**डिंडोरी**	1922	1449	473	1827	1235	592	282	78	204	106	38	68
3	**ग्वालियर**	1127	962	165	597	465	132	33	33	0	25	25	0
4	**झाबुआ**	2323	1812	511	1426	1060	366	66	65	1	34	34	0
5	**नर्मदापुरम**	1390	840	550	934	461	473	81	76	5	75	39	36
6	**नरसिंहपुर**	1594	1060	534	841	512	329	66	62	4	13	13	0
7	**टीकमगढ़**	1642	1441	201	1071	628	443	12	10	2	172	101	71
8	**विदिशा**	2098	1250	848	1048	593	455	333	107	226	78	78	0
	कुल	**14480**	**10050**	**4430**	**8985**	**5602**	**3383**	**1166**	**499**	**667**	**640**	**389**	**251**

परिशिष्ट 24

विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में पीडब्ल्यूएसएस हेतु निविदा स्वीकृति में विलंब दर्शाने वाला विवरण

(अवधि दिनों में)

स.क्र.	जिला	चयनित ब्लॉक	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	संख्या				100 दिवसीय अभियान के प्रारंभ दिनांक यानी 02 अक्टूबर 2020 से कार्य प्रारंभ में विलंब
					विद्यालय	आंगनवाड़ी	विद्यालय-आंगनवाड़ी	कुल	
1	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	53/2021-22	08-नवंबर -21			270	270	402
		माखन नगर	86/2020-21	27-मार्च -21	100	50		150	176
2	नरसिंहपुर	करेली	29/2021-22	28-मई -21			150	150	238
			44/2021-22	27-सितम्बर -21			150	150	360
		चीचली	51/2021-22	11-अक्टूबर -21			150	150	374
			08/2021-22	28- मई -21			150	150	238
3	डिंडोरी	समनापुर	66/2020-21	10-मार्च -21	43	25		68	159
			73/2020-21	19-मार्च -21	56	39		95	168
			01/2021-22	05-अप्रैल -21	47	27		74	185
			10/2021-22	19-अप्रैल -21	61	44		105	199
			35/2020-21	17-जून -21	23	24		47	258
		मेहंदवानी	62/2020-21	10-मार्च -21	42	41		83	159
			65/2021-22	27-जुलाई -21	36	38		74	298
			15/2021-22	31-मई -21	49	42		91	241
			62/2021-22	27-जुलाई -21	43	32		75	298
			66/2021-22	27-जुलाई l-21	34	24		58	298
4	झाबुआ	पेटलावद	96/2020-21	23-मार्च -21	141	0		141	172
			12/2021-22	05-मई -21	0	229		229	215
		झाबुआ	79/2020-21	26-फरवरी -21	190	0		190	147
			93/2020-21	17-मार्च -21	0	130		130	166
			83/2021-22	23-सितम्बर -21	25	78		103	356
			98/2020-21	19-मार्च -21	158	0		158	168
5	छतरपुर	बड़ा मल्हेरा	15/2021-22	03-जुलाई -21			85	85	274
		लवकुशनगर	31/2020-21	18-मार्च -21			60	60	167
6	ग्वालियर	भितरवार	61/2020-21	24-जून -21	52	0		52	265
			68/2021-22	13-अक्टूबर -21	262	155		417	376
		भितरवार और मोरार	59/2021-22	21-जून -21	73	100		173	262
		मोरार	62/2021-22	25-जून -21	32	32		64	266
			69/2021-22	13-अक्टूबर -21	133	43		176	376
7	टीकमगढ़	बल्देवगढ़	53/2020-21	13-जनवरी -21			91	91	103
		जतारा	77/2020-21	05-फरवरी -21			89	89	126
8	विदिशा	सिरोंज	77/2020-21	19-मार्च -21	150	75		225	168
	कुल							**4,173**	**103 से 402 दिन**

परिशिष्ट 25

निष्पादित न की गई गतिविधियों हेतु आईएसए को किए गए अतिरिक्त भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र	जिला	आईएसए का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध राशि	भुगतान की गई राशि	अनुबंध राशि के विरुद्ध भुगतान का प्रतिशत	निष्पादित गतिविधियों हेतु देय प्रतिशत	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=5*(7-8)
1	**छतरपुर**	मेसर्स शिव शक्ति समिति छतरपुर	27/20-21	52.76	56.43	107	40	35.35
		मेसर्स एसआरएम एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी, सागर	34/21-22	88.78	88.78	100	40	53.27
2	**डिंडोरी**	मेसर्स नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वूमन चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट, जबलपुर	60/20-21	41.95	40.37	96	40	23.49
		मेसर्स अदिति स्वयं सेवी संस्थान समिति, जबलपुर	43/22-23	74.35	63.97	86	40	34.20
3	**ग्वालियर**	मैसर्स ग्रामीण विकास युवा संस्थान, राजस्थान	42/21-22	74.83	60.14	80	40	29.93
		मैसर्स एम. आर. मोरारका, जीडीसी रूरल रिसर्च फाउंडेशन, जयपुर	92/21-22	81.80	44.03	54	40	11.45
4	**झाबुआ**	मैसर्स राजस्थान बाल लाल्याण समिति	83/20-21	76.68	46.70	61	40	16.10
5	**नर्मदापुरम**	मेसर्स नर्मदांचल नया जीवन जन कल्याण सेवा समिति	80/20-21	54.12	48.33	89	40	26.52
		मैसर्स नेटिव एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग सोसाइटी	85/21-22	106.90	90.34	85	40	48.11
6	**नरसिंहपुर**	मेसर्स हमलोग शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, भोपाल	53/20-21	62.85	55.44	88	40	30.17
		मेसर्स हेल्प राइस हैंड्स टू हेल्प, जबलपुर	72/22-23	111.59	72.53	65	40	27.90
7	**टीकमगढ़**	मैसर्स एलायंस अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, भोपाल	91/20-21	68.22	55.44	81	40	27.97
8	**विदिशा**	मैसर्स सार्थक सोसायटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, जयपुर	04/21-22	38.34	19.17	50	20	11.50
		कुल		**933.17**	**741.67**			**375.96**

परिशिष्ट 26

टीपीआईए अनुबंध, अतिरिक्त भुगतान और टीपीआई के बिना सिविल ठेकेदारों को अनियमित भुगतान पर विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला	टीपीआई एजेंसी का नाम	टीपीआई का अनुबंध क्रमांक/दिनांक	अनुबंध की दर	कार्य का अनुबंध क्रमांक/दिनांक	टीपीआई निरीक्षण के बिना अथवा अनुचित निरीक्षण के साथ कार्य का भुगतान	कॉलम संख्या के अनुसार कार्य की राशि पर टीपीआई को किया गया भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8= (7*0.5%)-5
1	नर्मदापुरम	मैसर्स आईआर क्लास सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस प्रा. लि.	82/2020-21 (15.03.2021)	12.00% कम	47/2022-23 (13-10-2022)	292.04	1.28
					48/2021-22 (19-10-2021)	100.15	0.44
					52/2020-21 (17-02-2021)	115.88	0.51
					53/2020-21 (08-11-2021)	38.38	0.17
2	नरसिंहपुर	मैसर्स एमएसवी इंटरनेशनल इंक, हरियाणा	22/2022-23 (20.07.2022)	28.00% कम	48/2020-21	163.65	0.59
					16/2021-22	47.60	0.17
					74/2021-22	114.75	0.41
					60/2021-22	123.96	0.45
3	डिंडोरी	मैसर्स एमएसवी इंटरनेशनल इंक, हरियाणा	22/2022-23 (25.07.2022)	28.00% कम	115/2021-22	123.25	0.44
					120/2021-22	142.82	0.51
					110/2021-22	265.00	0.95
					34/2018-19	142.35	0.51
4	झाबुआ	मेसर्स डॉ. अमीन कंट्रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद	88//2020-21 (12.03.2021)	13.4 % कम	77/2020-21	289.34	1.25
					46/2020-21	132.77	0.57
					03/2021-22	387.11	1.68
					37/2022-23	453.78	1.96
5	विदिशा	मेसर्स टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्रा. लिमिटेड, हरियाणा	73/20-21 (08.03.21)	19.91 % कम	44/20-21 (28-01-2021)	97.11	0.39
					58/20-21 (17-02-2021)	96.19	0.39
6	छतरपुर	इंट्राटेक सिविल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंट, पुणे	29/20-21 (10.03.21)	18.30 % कम	55/2021-22 (11-11-2021)	53.46	0.22
					31/20-21 (18-03-2021)	73.47	0.30
					15/21-22 (03-07-2021)	58.28	0.24
					14/2020-21 (24-03-2021)	55.83	0.23
7	टीकमगढ़	पेंटाकल कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्रा. लि., मुंबई	26/22-23 (26.05.22)	7.00 % कम	24/2020-21 (06-10-2020)	104.82	0.49
					75/2020-21 (03-02-2021)	142.84	0.66
					53/20-21 (13-01-2021)	70.04	0.33
					77/2020-21 (05-02-2021)	53.81	0.25
					11/2020-21 (24-03-2021)	119.05	0.55
			कुल			3857.73	15.94

परिशिष्ट 27

बिना जलापूर्ति के पोर्टल पर एफएचटीसी की गलत रिपोर्टिंग

स.क्र.	जिला	गांवों के नाम	एफएचटीसी पोर्टल के अनुसार प्रदान किया गया
1	झाबुआ	नेगडिया	209
2		लाम्बेला	589
3	नरसिंहपुर	बहोरीपार	1
4		गुंडराई	16
5		मुराछ	15
6	डिंडोरी	कांदावानी	17
7		रुजनीसराय	49
8		समनापुर	1
9		जटाडोंगरी रायत	289
10		खम्हेरा	24
11		झाँकीमल	185
12	विदिशा	अमारी	104
13		हमादपुर	97
14		मुतर्रा	28
15		पायराखेड़ी	115
16		पलिता	84
17		इकोदिया	69
18		ककरुआ चौबीसा	61
19		भाटखेड़ी	11
20		ककरज	37
21		आमढ़ाना	40
22	छतरपुर	बहादुरपुर	295
23		बैरगिया पुखरी	82
24		बजरंगपुर	23
25		बरुआ	20
26		बेदी	85
27		बेहार पुरवा	60
28		बेरी	95
29		बेरखेड़ी	46
30		भैराही	33
31		भोजपुरा	69
32		बिदुंपुरवा	36
33		बिशनखेड़ा	94
34		बोकाना	106
35		धरमपुर	8
36		घोसीपुर	30
37		गोंचीपुरा	9
38		गोविंदपुर	86

स.क्र.	जिला	गांवों के नाम	एफएचटीसी पोर्टल के अनुसार प्रदान किया गया
39		जमुपुरा	62
40		जरावारा	72
41		जूडीपुर	20
42		कल्याणपुर	132
43		कमालपुरवा	73
44		कार्की	137
45		कसार	163
46		खामिन खेड़ा	69
47		ख़राबा	60
48		खिरकुवा	46
49		किरतपुर (नंद)	74
50		किरतपुर (पदरखा)	130
51		किवाटी	68
52		किवलाहा	78
53		कुँवरपुर	55
54		लौसी	57
55		माधौपुर	20
56		मझपटिया	180
57		मझगुवां खुर्द	14
58		मानपुर (भानपुर)	6
59		मनुरिया	313
60		मिश्रन पुरवा	143
61		मोतीपुरवा	70
62		मुडेरी उत्तरी	263
63		नगरौली	48
64		निधवा पुखरी	3
65		पड़रिया	55
66		पंचमपुर	80
67		प्रतापपुरा	54
68		पाटली	36
69		पटना	171
70		फुटवारी	41
71		रजौरा	100
72		राजपुरवा	37
73		रामझाला	156
74		रामपुरघाट	72
75		रावपुर	118
76		रतनपुर	64
77		सदफ़ल	42
78		सदकर	240
79		सहसपुर	186

स.क्र.	जिला	गांवों के नाम	एफएचटीसी पोर्टल के अनुसार प्रदान किया गया
80		शिवराजपुर	47
81		सिलगॉन	25
82		तेलंगपुर	35
83		टिकारी	302
84	टीकमगढ़	अचर्रा खास	456
85		एस्टन	351
86		बछौड़ा खास	77
87		बदामदई खास	156
88		बकपुरा	151
89		बलवंतपुरा खास	104
90		बम्हौरीकलां	641
91		बम्होरी खास	1365
92		बनपुरा बुजुर्ग	195
93		बनपुरा खुर्द	57
94		बनपुरा सैपौन	107
95		बेला	286
96		बेरौ	312
97		भानपुरा	125
98		भेलसी	292
99		बुडेरा	698
100		चंदेरा खास	1592
101		चंदेरी खास	550
102		चिंगुवां	60
103		दरदोरा	91
104		देवपुर	162
105		डेरी	840
106		देवेरदा खास	97
107		धनवाहा	55
108		दिगौड़ा	1191
109		दिनौ	109
110		दोह चक-1	33
111		दुबदेई	24
112		डुंडा	391
113		फरका पतारी	189
114		फूटरचुक 2	74
115		गैंती	55
116		गणेश नगर	32
117		गणेशपुरा	143
118		गोपालपुरा खास	28
119		हजूरीनगर	218
120		हीरापुर खास	247

स.क्र.	जिला	गांवों के नाम	एफएचटीसी पोर्टल के अनुसार प्रदान किया गया
121		इमलाना	16
122		जनकपुर	21
123		कछिया खेड़ा	10
124		कदवाहा	88
125		खजरार	27
126		खरौं	154
127		खोडेरा	41
128		कुडिला	471
129		कुडयाला	93
130		लाखेरी	57
131		लार खास	442
132		लार खुर्द	384
133		लारौं	270
134		लक्ष्मणपुरा	163
135		मबाई	718
136		मडोरी	159
137		मझगुवां	112
138		मलगुवां	782
139		मनपसार	67
140		मस्तपुर खास	359
141		मटोल खास	649
142		मोहनगढ़ खास	1003
143		मोहनपुरा	31
144		मुहरा खास	666
145		मुर्राहा बाबा	70
146		नरगुड़ा खास	43
147		नौरपाड़ा	45
148		नूना	659
149		पंडेर	134
150		पाठा खास	411
151		पटोरी जागीर	120
152		पिपरा	157
153		राम सागर	138
154		रामनगर बुजुर्ग	675
155		रानीपुरा	105
156		सैपुरा	431
157		सरकनपुर खास	97
158		शाहपुर	80
159		शिव नगर	20
160		श्यामपुरा	11
161		सुजारा	203

स.क्र.	जिला	गांवों के नाम	एफएचटीसी पोर्टल के अनुसार प्रदान किया गया
162		तापरिया नजदिक कुंजपुर	93
163		थार	246
164		टिंडोरी	24
165	ग्वालियर	आदमपुर	61
166		एरोन	155
167		बरेठा	133
168		बेलगढ़ा	60
169		बेरखेड़ा	67
170		भवनपुरा	77
171		भेंसनारी	394
172		डोनी	69
173		गजपुर	95
174		गोवाई	50
175		झाँकरी	51
176		कैथोदा	171
177		खेड़ा	64
178		किशनपुर	67
179		कुलेथ	47
180		मैना	178
181		मकोड़ा	192
182		नजरपुर	45
183		पचोरा	116
184		सांतौ	24
185		उदयपुर	89
186		उरवा	138
187		वीरमाधना	86
	कुल		**31,963**

परिशिष्ट 28

एफएचटीसी की संख्या में व्यापक भिन्नता का विवरण

स.क्र.	जिला	गांवों के नाम	वीएपी के अनुसार एफएचटीसी	डीपीआर के अनुसार एफएचटीसी	निष्पादन के अनुसार एफएचटीसी	जेजेएम डैशबोर्ड के अनुसार एफएचटीसी	योजना प्रोफाइल के अनुसार एफएचटीसी	योजना प्रमाणन के अनुसार एफएचटीसी
1	नर्मदापुरम	खोखसर	157	162	157	157	157	157
		ग्वाड़ीखुर्द	37	97	96	63	26	0
		बागलखेड़ी	97	166	98	98	67	67
		कांकडी	32	32	35	146	32	32
2	झाबुआ	घुघरी	521	500	500	521	495	495
		बारीगांव	31	60	31	31	31	31
		कुण्डला	421	630	421	421	411	411
		मांडली बड़ी	393	320	393	377	377	284
3	नरसिंहपुर	सुआतला	456	90	119	456	4	4
		मानेगांव	398	284	200	398	371	92
		खड़ाई	301	50	12	301	0	0
		हृदयपुर	33	169	130	106	106	91
4	डिंडोरी	मोहाती	205	251	271	251	159	126
		भालापुरी	220	235	220	220	216	216
		कठौतिया	705	712	705	705	259	259
		सुखलौदी	287	297	297	297	297	287
5	विदिशा	बरखेड़ा ताल	124	125	122	124	104	124
		भौरिया	323	291	239	312	163	163
		सागर	0	0	0	0	0	0
		न्यूली	0	0	0	0	0	0
6	छतरपुर	डूमखेड़ा	206	206	51	175	175	175
		कनभई	21	40	21	21	21	21
		बामनकोला	0	0	0	0	0	0
		बंधा चनौली	0	0	0	0	0	0
7	टीकमगढ़	तमोरा	205	186	98	258	166	231
		मरगुवां	813	626	626	634	614	614
		धरमपुरा	234	170	185	161	75	75
		कुनैता	34	29	34	34	34	34
8	ग्वालियर	डांग गुथिना	320	190	187	178	88	88
		पुरा बनावर	211	181	182	211	41	208
		बेनीपुरा	120	91	130	90	90	90
		भौरी	474	322	218	396	84	77
		कुल	**7,379**	**6,512**	**5,778**	**7,142**	**4,663**	**4,452**

परिशिष्ट 29

परीक्षण और मान्यता प्राप्त मापदंडों को दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	जिला	प्रयोगशाला का नाम	डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एस फ्रेमवर्क			एनएबीएल मान्यता		
			एनएबीएल मान्यता	परीक्षण किए गए मापदंड	कमी	आवश्यक मापदंड	मान्यता प्राप्त मापदंड*	कमी
1	छतरपुर	जिला प्रयोगशाला	23	12	11	17	3	14
2		उप संभागीय प्रयोगशाला, बड़ा मलहरा	16	9	7	11	9	2
3		उप संभागीय प्रयोगशाला, लवकुश नगर	16	9	7	11	9	2
4		उप संभागीय प्रयोगशाला, नौगांव	16	6	10	11	9	2
5	डिंडोरी	जिला प्रयोगशाला	23	12	11	17	3	14
6		उप संभागीय प्रयोगशाला, शाहपुरा	16	15	1	11	9	2
7		उप संभागीय प्रयोगशाला, समनापुर	16	13	3	11	9	2
8	ग्वालियर	जिला प्रयोगशाला	23	10	13	17	3	14
9		उप संभागीय प्रयोगशाला, डबरा	16	9	7	11	9	2
10	झाबुआ	जिला प्रयोगशाला	23	13	10	17	3	14
11		उप संभागीय प्रयोगशाला, थांदला	16	8	8	11	9	2
12	नर्मदापुरम	जिला प्रयोगशाला	23	13	10	17	9	8
13		उप संभागीय प्रयोगशाला, पिपरिया	16	7	9	11	9	2
14		उप संभागीय प्रयोगशाला, सिवनी मालवा	16	7	9	11	9	2
15		उप संभागीय प्रयोगशाला, सोहागपुर	16	10	6	11	9	2
16	नरसिंहपुर	जिला प्रयोगशाला	23	14	9	17	8	9
17		उप संभागीय प्रयोगशाला, गाडरवारा	16	14	2	11	9	2
18		उप संभागीय प्रयोगशाला, करेली	16	16	0	11	9	2
19	टीकमगढ़	जिला प्रयोगशाला	23	13	10	17	3	14
20		उप संभागीय प्रयोगशाला, जतारा	16	10	6	11	9	2
21	विदिशा	जिला प्रयोगशाला	23	14	9	17	3	14
22		उप संभागीय प्रयोगशाला, गंज बसौदा	16	11	5	11	9	2
23		उप संभागीय प्रयोगशाला, सिरोंज	16	11	5	11	9	2

परिशिष्ट 30

स्वीकृत पदसंख्या के सापेक्ष जिला/उप संभागीय प्रयोगशालाओं में मानव संसाधन की उपलब्धता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	जिला	केमिस्ट / वाटर एनालिस्ट		जूनियर केमिस्ट		माइक्रोबायोलॉजिस्ट/ बैक्टीरियोलॉजिस्ट		जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट		लैबोरेट्री असिस्टेंट				डेटा एंट्री ऑपरेटर				लैब अटेंडेंट				फील्ड असिस्टेंट			
		जिला		उप संभागीय		जिला		उप संभागीय		जिला		उप संभागीय		जिला		उप संभागीय		जिला		उप संभागीय		जिला		उप संभागीय	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
1	छतरपुर	1	1	3	3	1	0	3	0	2	0	3	0	1	0	3	0	1	0	3	0	2	0	3	0
2	डिंडोरी	1	0	2	2	1	0	2	0	2	2	2	1	1	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0
3	ग्वालियर	1	3	1	1	1	0	1	0	2	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	0	2	0	1	0
4	झाबुआ	1	1	1	1	1	0	1	0	2	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	2	0	1	0
5	नर्मदापुरम	1	2	3	0	1	0	3	0	2	2	3	0	1	0	3	0	1	0	3	0	2	0	3	0
6	नरसिंहपुर	1	2	2	1	1	0	2	0	2	0	2	1	1	0	2	0	1	0	2	1	2	0	2	0
7	टीकमगढ़	1	1	1	1	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0
8	विदिशा	1	2	2	2	1	0	2	0	2	1	2	1	1	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0
	कुल	**8**	**12**	**15**	**11**	**8**	**0**	**15**	**0**	**16**	**7**	**15**	**4**	**8**	**0**	**15**	**0**	**8**	**3**	**15**	**1**	**16**	**0**	**15**	**0**

डब्ल्यूपीटी पर स्थापित प्रयोगशालाओं में मानव संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति का विवरण, स्वीकृत पदसंख्या के संदर्भ में

विवरण	डब्ल्यूटीपी सगद-हिनोटिया माली में प्रयोगशाला के लिए जनशक्ति			डब्ल्यूटीपी बासुजारा (बदामलहेरा) में प्रयोगशाला के लिए जनशक्ति		
	डीडब्ल्यूपीएमएस के अनुसार आवश्यक है	सीपीएचईओ के अनुसार आवश्यक है	नियोजित जनशक्ति	डीडब्ल्यूपीएमएस के अनुसार आवश्यक है	सीपीएचईओ के अनुसार आवश्यक है	नियोजित जनशक्ति
केमिस्ट / वाटर एनालिस्ट	01	01	01	01	01	01
जूनियर केमिस्ट	--	-	--	--	-	01
माइक्रोबायोलॉजिस्ट/ बैक्टीरियोलॉजिस्ट	01	01	--	01	01	--
जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट	--		--	--		--
लैबोरेट्री टेक्निशन / असिस्टेंट	02	03	--	02	03	01
डेटा एंट्री ऑपरेटर/क्लर्क	01	01	--	01	01	--
लैब अटेंडेंट/क्लीनर	01	03	01	01	03	--
फील्ड असिस्टेंट	02	03	02	02	03	--
कुल	**08**	**12**	**04**	**08**	**12**	**03**

परिशिष्ट 31

बहु-ग्राम योजना एवं एकल-ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

स.क्र.	जिले का नाम	योजना का नाम	एमवीएस/एसवीएस के अंतर्गत ग्राम		कुल ग्राम
			एमवीएस	एसवीएस	
1	ग्वालियर	सदा	23	5	28
2		घाटेगांव-भितरवार	24	160	184
3	डिंडोरी	शाहपुरा मेहंदवानी	108	213	321
4		करंजिया	151	11	162
5		डिंडोरी	365	49	414
6	नरसिंहपुर	पायली	59	4	63
7	झाबुआ	पेटलावद	216	29	245
8		गड़वाड़ा	4	7	11
9		झकनावदा	13	9	22
10		धमोही	14	5	19
11		गुलाबपुरा	3	6	9
12		आलीराजपुर	381	158	539
13		माही	386	418	804
14		मझौड़िया	180	32	212
15	विदिशा	नहरयाई संजय सागर	74	55	129
16		टेम	110	97	207
17		हनोता	318	244	562
18		कोठा	239	82	321
19		मदिया बीना	144	75	219
20	टीकमगढ़	बानसुजारा टीकमगढ़	123	78	201
21	छतरपुर	गैरोली	104	8	112
22		कुटने	126	5	131
23		बिजावर	72	27	99
24		लवकुशनगर	155	123	278
25		छतरपुर तारपेड़	132	7	139
		कुल	**3,524**	**1,907**	**5,431**

संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

फ्लोराइड हटाने वाली इकाई

बोरवेल

संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

एए	प्रशासनिक स्वीकृति
अल्फा एचसीएच	अल्फा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन
एएपी	वार्षिक कार्य योजना
एआरडब्ल्यूएसपी	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
एडब्ल्यूसी	आंगनवाड़ी केंद्र
बीसी	ब्लॉक समन्वयक/कॉऑर्डिनेटर
बीसीसी	व्यवहार परिवर्तन संचार
बीसीएम	बिलियन क्यूबिक मीटर
बीटा एचसीएच	बीटा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन
बीओडी	बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड
बीओक्यू	मात्रा का बिल
बीटी रोड	बिटुमिनस तरमैक रोड
सीसी	सामुदायिक अंशदान
सीसी रोड	सीमेंट कंक्रीट रोड
सीई	मुख्य अभियंता
सीएमएचओ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सीयू.एम.	घन मीटर
सीओडी	केमिकल ऑक्सीजन डिमांड
सिपेट	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
सीजीडब्ल्यूबी	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
सीडब्ल्यूपीएम	क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन
सीडब्ल्यूजीएम	क्लियर वाटर ग्रेविटी मेन
सीडब्ल्यूएफएम	क्लियर वाटर फीडर मेन
डीसी	जिला समन्वयक
डीएपी	जिला कार्य योजना
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीपी	डिलिवर्ड ड्यूटी पेड
डीआई पाइप	डक्टाइल आयरन पाइप
डीएन	वितरण नेटवर्क
डीओ	डिज़ाल्व ऑक्सीजन
डीपीएपी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीपीडीए	सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्र
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीडब्ल्यूएसएम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
डीडब्ल्यूक्यूएम & एस	पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस

डीडब्ल्यूक्यूसी	ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी कमिश्नरेट
ईडीएफ	इलेक्ट्रोलाइटिक डीफ्लोरिनेशन यूनिट
ईई	कार्यपालन यंत्री
ई-इन-सी	प्रमुख अभियंता
ईपीसी	इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण
एफएचटीसी	कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन
एफसी	वित्त आयोग
एफटीके	फील्ड टेस्ट किट
जीएफआर	सामान्य वित्त नियम
जीओआई	भारत सरकार
जीओएमपी	मध्य प्रदेश शासन
जीपी	ग्राम पंचायत
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचडीडी विधि	हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड
एचडीपीई पाइप	हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन पाइप
एचजीएम मैप्स	हाइड्रो-जियो-मॉर्फोलॉजिकल
एचएच	परिवार
एचजीजे	हर घर जल
एचटी	हाई टेंशन
आईए	कार्यान्वयन एजेंसियां
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईओटी	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आईएसए	कार्यान्वयन सहायता एजेंसी
आईएसएसआर	दर की एकीकृत मानक अनुसूची
जल निगम	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
जेजेएम	जल जीवन मिशन
जेपीआई	संयुक्त भौतिक निरीक्षण
केआरसी	मुख्य संसाधन केंद्र
एलडी	क्षतिपूरक शास्ति/लिक्विडेटेड डैमेजेज़
एलपीसीडी	प्रति व्यक्ति प्रति दिन लीटर
एलटी	लो टेंशन
एमबी	माप पुस्तिका
एमसीएम	मिलियन क्यूबिक मीटर
एमडी	प्रबंध निदेशक
एमएलडी	प्रति दिन मिलियन लीटर
एमओडी	मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट
एमओएफ	वित्त मंत्रालय

एमपीडब्ल्यूआरडी	मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग
एमवीएस	बहु-ग्राम योजना
एन ए बी एल	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
एनई	पूर्वोत्तर
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केंद्र
एनआरएससी	नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर
एनआरडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
ओडीएफ	खुले में शौच से मुक्त
ओएचटी	ओवरहेड टैंक
ओ&एम	संचालन एवं रख-रखाव
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीएसी	संभावित संविदा राशि
पीएफएमएस	पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम
पीएच	पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन
पीएचईडी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
पीएमकेवीके	प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र
पीएलसी	प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर
पीआरए	पार्टिसपटॉरी रूरल अप्रैज़ल/सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
पीएस	प्रधान सचिव
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
पीडब्ल्यूएस	पाइप जलापूर्ति
पीडब्ल्यूएसएस	पाइप जलापूर्ति योजना
क्यू एंड क्यू	मात्रा एवं गुणवत्ता
आरएसडब्ल्यू विभाग	ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
आरडब्ल्यूपीएम	रॉ वाटर पंपिंग मेन
आरए बिल	चालू खाता बिल
एसएजीवाई	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एसएपी	राज्य कार्य योजना
एससी/एसटी	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
एससीएडीए	सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्सेस के साथ जिला मीटरिंग क्षेत्र (डीएमए)
एससीसी	अनुबंध की विशेष शर्तें
एसडी	सुरक्षा जमा
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसई	अधीक्षण यंत्री
एसएलएसएससी	राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति
एसएनए	सिंगल नोडल अकाउंट

एसओआर	अनुसूची दर
एसक्यूसी	पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण
एसवीएस	एकल ग्राम योजना
एसडब्ल्यूएसएम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
टीसी बैक्टीरिया	टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया
टीपीआई	तृतीय पक्ष निरीक्षण/थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन
टीपीआईए	थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी
टीटीसी	ट्राइफेनिल टेट्राज़ोलियम क्लोराइड
यूटी	केन्द्र शासित प्रदेश
यूएडीडी	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
वीएपी	ग्राम कार्य योजना
वीडब्ल्यूएससी	ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ
वाश	जल, स्वच्छता एवं स्वच्छ व्यवहार
डब्ल्यूक्यूएम & एस	जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस
डब्ल्यूआरडी	जल संसाधन विभाग
डब्ल्यूटीपी	जल शोधन संयंत्र
डब्ल्यूयूसी	जल उपयोगकर्ता समिति

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/hi